खण्ड-296, अंक-4
सोमवार, 21 चैत्र, शक संवत् 1894
(10 अप्रैल, 1972 ई0)

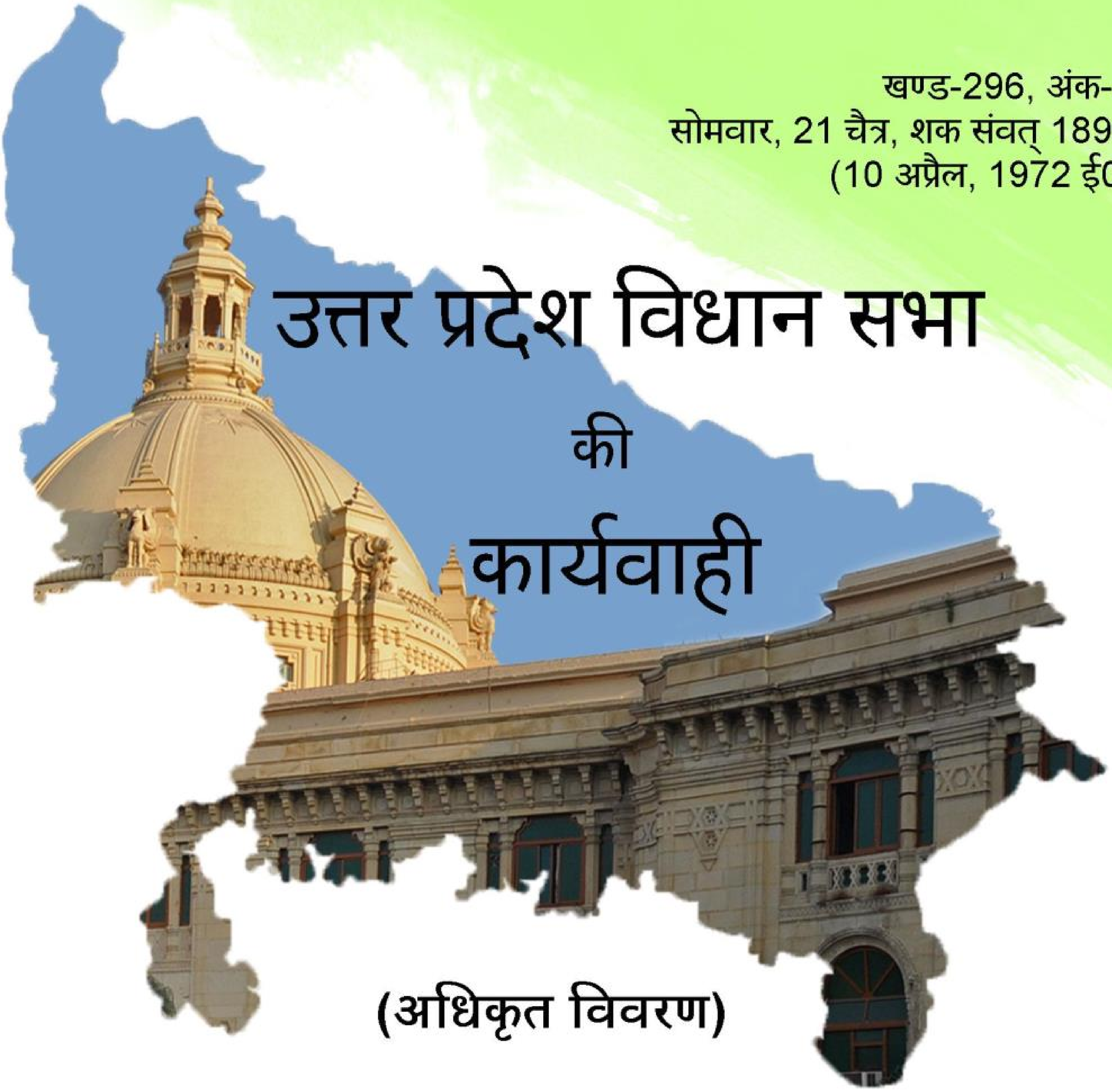

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 296 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	365–369
प्रश्नोत्तर	369–399
व्यवस्था का प्रश्न	399–400
परगनाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	400–405
सामुदायिक विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	405
उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में केन्द्रीय वेतन मण्डल की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी)	405
राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला में चल रही हड़ताल के संबंध में वक्तव्य ..	405–409
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	409–410
1972–73 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	410–449
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	449–451
1972–73 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	451–454
उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में केन्द्रीय वेतन मंडल की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	454–460
नत्थियां	461–471

अदर पूर्वा विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 10 अप्रैल, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—347

अज़बसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली),
केशोराम, श्री (जिला बदायूं),
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव श्री,
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणीराय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्तवैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री

बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला बाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री

रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर, सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्सी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टाम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज लाल श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)

हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिबंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहर, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 10 अप्रैल, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्र

खाण्डसारी चीनी के परमिट

**1—श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या राज्य सरकार ने किसी राजाज्ञा द्वारा खाण्डसारी चीनी के परमिट देने के नियम निकट में बदले हैं जिसके कारण खाण्डसारी व्यापार की स्थिति खराब हो गई है ? यदि हां, तो वह राजाज्ञा क्या है ? सरकार गिरी हुई स्थिति को सुधारने के लिये क्या कर रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

जी नहीं प्रश्न नहीं उठता। खांडसारी जिसके प्रदेश से निर्यात पर 1/4/69 से कोई प्रतिबन्ध नहीं था 2-3-72 से इसके प्रदेश से निर्यात पर भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है। भारत सरकार के प्रश्नगत आदेश में प्रदेश सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह खांडसारी के निर्यात के लिये परमिट दे सकती है। शासन खांडसारी के वर्तमान स्टाक आदि से संबंधित आंकड़े संकलित कर रहा है। साथ ही शीघ्र ही खांडसारी उद्योग व व्यवसाय तथा अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई जा रही है ताकि वस्तुस्थिति की जानकारी हो जाय और शासन को सही नीति निर्धारण करने में सफलता मिले।

श्री रामगोपाल सण्ड—

भारत सरकार ने क्या आदेश इस संबंध में भेजा है क्या मंत्री जी उसकी मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनीसिंह—

मई 1,1971 को प्रदेश के बाहर जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। 2 मार्च, 1972 से उन्होंने कहा है खांडसारी, गुड़, बूरा और कैंडी प्रदेश से बाहर नहीं जायगी। साथ ही प्रदेश को अधिकार दे रखा है कि वह उसका परमिट दे सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो परमिट प्रदेश देता है या देने का प्रदेश ने विचार किया उसके लिये क्या आधार है, क्या क्राइटेरियन है, किस आधार पर परमिट दिया जायगा ?

श्री बेनीसिंह---

मैंने निवेदन किया अभी शासन ने कोई निश्चय नहीं किया है। व्यापारियों, कृषकों और अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाया है। उसमें हम देखेंगे कि कितना हमारे पास स्टाक है, आया हमारे काम में आ सकता है, शादी-विवाह और दूसरी तरह से पहुंच सकता है, तब कोई नीति निर्धारित करेंगे।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खांडसारी उद्योग काटेज इंडस्ट्री है, और चीनी मिल से पैदा होती है, क्या इसको संरक्षण देने के लिये कोई विशेष नीति बनायी है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

बनायी नहीं है। विचार कर रहे हैं।

श्री बेनीसिंह---

विशेष संरक्षण की नीति यह है कि हमने अभी तक कोई निर्यात पर प्रतिबंन्ध नहीं लगाया, कोई कंट्रोल नहीं किया। भारत सरकार ने लगाया है। उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि कितना बाहर दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

खाद्य मंत्री जी मेरे से सहमत होंगे कि भारत सरकार ने खांडसारी के निर्यात पर इस कारण प्रतिबन्ध लगाया था कि चीनी मिलों को गन्ना और अधिक जा सके। गन्ना मिलें अब बन्द हो गयी हैं। गन्ना भी समाप्त हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या वह भारत सरकार को लिखने की कृपा करेंगे कि अब निर्यात पर से प्रतिबंन्ध हटा लें ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बेनीसिंह---

मैंने निवेदन किया कि इसकी जल्दी ही आजकल में मीटिंग होने वाली है। इसके बाद निश्चय कर सकेंगे कि हम क्या करें ?

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि चीनी की जो आजकल दिक्कत हो रही है, गांव के बसने वाले खांडसारी से ही थोड़ा-बहुत गुजर कर सकते हैं, उन्होंने बताया कि हम आंकड़े इकट्ठ कर रहे हैं और मीटिंग करेंगे, तब जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे इसमें कितना समय लगेगा, कहीं शैतान की आंत तो नहीं हो जायगा ?

श्री बेनीसिंह---

मैंने निवेदन किया वह मीटिंग कल है, शाम को। कल उसके बाद ही निर्णय करेंगे कि हम क्या नीति निर्धारित करें ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के कारागारों में कैदी

*1—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश की कारागारों में कितने बंदी ऐसे हैं जिनको कि बीस वर्ष से अधिक बन्दी बने हुए हो गये और उनको अब तक मुक्त नहीं किया गया ? क्या सरकार बीस वर्ष से अधिक की अवधि के बंदियों को मुक्त करने की व्यवस्था करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

कारागार उप-मंत्री (श्री रामपूजन पटेल)—

प्रदेश के कारागारों में ऐसे बंदियों की संख्या 1-3-72 को 166 थी। शासन ऐसे बंदियों की मुक्ति के विषय में समय-समय पर विचार करता रहता है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

1-3-72 को ऐसे बन्दियों की संख्या 166 थी। समय-समय पर शासन नें उस पर विचार किया लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या इन बन्दियों की रह गयी जिनको 20 वर्ष से अधिक बन्दी बने हुए गये, इसका क्या कारण है ?

कारागार मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

ऐसी बात नहीं है। "कनविक्सट्" की संख्या दिसम्बर तक 22038 थी और उनमें से अब 166 हैं। 166 उनकी संख्या है जिनमें से अधिकांश 396 आई० पी० सी० मारेल टर-पीट्यूड के हैं और उनपर कार्यवाही हो रही है और इनके लिये रिवाइजिंग बोर्ड 401 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत सिफारिश करता है, और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उन पर विचार किया जाता है।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

रिवाइजिंग बोर्ड बैठता है तो 20 साल से जो अधिक सजा काट चुके होते हैं उन के सम्बन्ध में सिफारिशें आती हैं उनको सरकार स्वीकार नहीं करती है तो क्या सरकार उनको स्वीकार करने की कृपा करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ऐसे कैदियों के सम्बन्ध में एक तो जो अधीक्षक जेलों का होता है वह सिफारिश भेजता है जिलाधीश तथा वहां के अधिकारों के थ्रू और दूसरे रिवाइजिंग बोर्ड अपनी सिफारिशें सरकार को भेजता है। अब अगर सिफारिश यह होती है कि करेक्टर ठीक नहीं है जेल में तो सरकार रिवाइजिंग बोर्ड की सिफारिशों को जरूर कैंसिल कर देती है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

जिन कैदियों ने हीनियस क्राइम्स किये हैं और जिनको सजा काटे हुए 20 वर्ष हो चुके हैं उनकी जो मेनटेलिटी है क्राइम करने की उसको सरकार क्यों नहीं सुधार सकी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वहां के जिलाधीश की राय उसके इंसोशियेंशस, इंटिसिडेंट्स और फेमिली मेम्बर्स को देख कर यह निर्णय लिया जाता है कि वह कोई ऐसा गिरोह बना सकता है या नहीं बना सकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ऐसे डाकू जिनको सीरियस क्राइम्स में 20 साल की सजा हो चुकी है और वे कुख्यात कातिल सजा पाने के बाद भी छूट गये और उन्होंने फिर कत्ल किया तो क्या ऐसे कातिल लोगों को, ऐसे कुख्यात डाकुओं से भी 20 साल के बाद छोड़ने पर यह सरकार विचार करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

माननीय सदस्य अगर कोई ऐसा उदाहरण देंगे तो उसकी जांच हो सकती है। मेरी समझ में ऐसा नहीं होता होगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

प्राय: राष्ट्रीय पर्व पर सरकार बहुत से बन्दियों को छोड़ देती है ऐसी हालत में इस साल भारत की जो एक महान ऐतिहासिक उपलब्धि हुई है बांगला देश की जीत तो क्या सरकार इस उपलक्ष्य में सभी पुराने गुनहगारों को छोड़ने को तैयार है और फिर नये सिरे से नया अध्याय शुरू किया जाय?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अभी सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है।

चीनी वितरण में धांधली

*2---श्री रामगोपाल सण्ड---

प्रदेश में चीनी 4 रुपया किलो बिक रही है। वितरण तथा कन्ट्रोल की दुकान पर होने वाली धांधली को सरकार रोकने के लिये क्या कर रही है?

खाद्य राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)---

चीनी खुले बाजार में महंगी बिक रही है न कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर। इस समय जो चीनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से नियंत्रित दर पर निर्धारित मात्रा में साधारण उपभोक्ताओं को उपलब्ध की जा रही है वह पूरी चीनी का 60 प्रतिशत अंश है जिसे चीनी मिलें अपने पक्ष में प्रतिमास मुक्त किये जाने वाले कोटे से निर्धारित मूल्य पर भारत सरकार को उपलब्ध करती है। चीनी मिलें शेष 40 प्रतिशत स्वयं खुले बाजार में मनचाहे दामों पर बेचती हैं। और इस समय उन पर रोक लगाने का शासन के पास कोई अधिकार नहीं है।

चीनी के वितरण तथा कन्ट्रोल की दुकान पर होने वाली धांधली की जब भी कोई शिकायत आती है तो जांच के उपरान्त उस पर उचित कार्यवाही की जाती है। चीनी वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की धांधली को रोकने के लिये जिलाधिकारियों को समुचित आदेश हैं और वे उसका पालन भी यथाशक्ति करते रहते हैं।

प्रदेश के 46 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार दुकानों की व्यापक चेकिंग के फलस्वरूप अब तक अनियमितताओं के सम्बन्ध में 65 विक्रेताओं के विरुद्ध जांच हो रही है, 49 की जमानतें जब्त की गयीं, 162 के लाइसेंस निरस्त तथा 126 के लाइसेंस निलम्बित किये गये।

श्री रामगोपाल सण्ड---

मान्यवर, प्रश्न कर्ता ने यह प्रश्न पूछा था कि खुले बाजार में चीनी चार रुपया किलो बिक रही है क्या इसकी सूचना सरकार को है?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आपका कथन है कि प्रदेश में 4 रुपया किलो शक्कर बिक रही है। आप दूसरा सवाल करें।

श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कंट्रोल की दुकानों पर जो चीनी एलाट की जाती है वह केवल 50 प्रतिशत चीनी ही एलाट की जाती है और बाकी 50 प्रतिशत चीनी जो बड़े दुकानदार हैं वे अपने पास ही रख लेते हैं तो क्या सरकार को ऐसी जानकारी है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जब जब इस विषय में शिकायतें मिली हैं तब-तब उन पर ऐक्शन ले लिया गया है और उसी के आंकड़े मैंने अभी आपके सामने रखे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि प्रदेश के अन्दर कितनी ही राशन की दुकानों पर बोगस कार्ड्स बने हुए हैं जिससे कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, इन दुकानों का सर्वेक्षण करवायेंगे ताकि इन बोगस कार्ड्स का पता चल जाय और सही आदमियों को ही चीनी मिल पावे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जिलाधीशों को इस बारे में कहा गया है और जगह-जगह पर सर्वेक्षण भी हो रहा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 40 प्रतिशत चीनी व्यापारियों तथा बड़े-बड़े मिल मालिकों को दी जाती है और केवल 60 प्रतिशत ही कन्ट्रोल की दुकानों को वितरण हेतु दी जाती है । तो सरकार को शत प्रतिशत चीनी कंट्रोल की दुकानों से बेचने में क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री बेनी सिंह—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी जानते हैं कि शक्कर का जो कंट्रोल होता है वह गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से होता है जो आदेश वहां के हैं उनका ही हमें पालन करना होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शिवराज सिंह....

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

बी० के० डी० को आपने बोलने का अवसर नहीं दिया इसलिये हम सदन का त्याग कर रहे हैं.....

(श्री शम्भूनाथ चौधरी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

ग्रामीण क्षेत्रों की चीनी की आवश्यकता की पूर्ति को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार के आदेश जिलाधीशों को प्रसारित करने की कृपा करेंगे कि एक निश्चित सीमा तक हर अदालती पंचायत में एक चीनी की दुकान एलाट की जाय?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, ऐसे आदेश पहले से ही हुए हैं कि एक पंचायत में एक वितरण की दूकान हो । हमने यह भी किया है कि जो दुकानें अलग हैं जिनका हेडक्वार्टर जिला हेडक्वार्टर है, उनको तहसील हेडक्वार्टर में रख दिया गया है । इसके अलावा यह भी किया गया है कि हर ब्लाक पर एक राशन की दुकान हो जाय । ताकि वह वहां से ले सकें । इसके लिये मैं विचार करूंगा और शायद वह हो सकेगा ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जितने लाइसेंस रद्द किये हैं उनमें से कितने थोक व्यापारियों के हैं और कितने फुटकर व्यापारियों के हैं ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मन्त्री जी इसको देखते हुए कि इस समय शादी-विवाह के लिये चीनी की बड़ी दिक्कत हो रही है, उनके लिये स्पेशल कोटा तहसीलदार या किसी और अन्य माध्यम से वितरित कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

जो कोटा हमें मिल रहा है उसमें यह सम्भव नहीं है लेकिन हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से विवाह-शादियों के लिये मांग की है कि वह हमको दस हजार टन दिया कर ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि पहले जो व्यवस्था थी वही कायम है और लाइसेंसीज चीनी ला करके इकट्ठी दूसरे हाथों में बेच देते हैं और उपभोक्ता को नहीं मिल पाती है?

श्री उपाध्यक्ष—

वे पूंछ रहे हैं कि उपभोक्ता को चीनी नहीं मिल पाती है और दूसरों को बेच देते हैं ।

श्री बेनी सिंह—

जब कोई ऐसी शिकायत आती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं ।

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी अब यह महसूस कर रहे हैं कि 60 परसेंट चीनी सही कीमत पर दी जाती 40 परसेंट भी इन्हीं के द्वारा दिये जाने के लिये तथा जितनी चीनी इस प्रदेश में उत्पन्न होती है वह दूसरे प्रदेश में जाने के बजाय यहीं दी जाय, इसके लिये भारत सरकार को लिखेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, यह आल इंडिया सवाल है ।

श्री राम बिलास पाण्डेय—

श्रीमन्, जब चीनी 4–5 रुपये किलो बिक रही है तो यह भारत सरकार को लिख सकते हैं कि 40 परसेंट चीनी भी इन्हीं दुकानों के द्वारा वितरित करायें और इस प्रदेश की चीनी इसी प्रदेश में दी जाय ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, यह बड़ी घातक नीति होगी क्योंकि हम दूसरी जगहों से ईडिबिल आयल्स और कोयला वगैरह मंगाते हैं । अगर यह नीति रहेगी तो बड़ी गड़बड़ी होगी । इसलिये, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जितनी चीनी यहां पैदा हो यहीं रह जाय और दूसरे सूबों को न दें । यह उचित नहीं मालूम होता ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो खांडसारी समिति बैठ रही है उसको यह लिखेंगे कि उसका कुछ परसेंट इन दुकानों के द्वारा बिके?

श्री बेनी सिंह—

मैंने कहा कि वह कल की बात पर निर्धारित होगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मन्त्री जी ने जो बताया कि विवाह शादी के लिये उन्होंने कुछ कोटा सेंट्रल गवर्नमेन्ट से मांगा है तो इस बात को देखते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट को और भी जगह सप्लाई करना है जिससे वह मजबूर है इसलिये क्या वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो चीनी का मौजूदा कोटा है उसमें से कुछ मात्रा शादी विवाह के लिये तहसीलदार तथा किसी और एजेंसी के द्वारा विवाह-शादी के लिये चीनी दी जाय?

श्री बेनी सिंह—

इतनी छोटी सी तादाद में से और अलग-अलग बटवारा से शादी विवाह के लिये भी कोई खास मदद नहीं हो पायेगी, उसका उचित उपयोग भी न हो पायेगा तथा गड़बड़ी और ज्यादा बढ़ जाने की संभावना है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

किसी परिवार में 2 व्यक्ति हैं और किसी परिवार में 15–20 व्यक्ति हैं तो क्या गांवों में चीनी बांटते समय परिवार के सदस्यों की संख्या मन्त्री जी निश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

इस प्रकार की संख्या के अलग-अलग आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन साधारण रूप से एक परिवार में 5 व्यक्ति माने जाते हैं, वही हिसाब यहां भी लगाया जायगा।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री नित्यानन्द स्वामी—

(14वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

देहरादून में स्प्रिट का परमिट

*2—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहरादून में स्प्रिट विक्रेताओं की मांग पर परमिट प्रणाली फरवरी, 1972 से समाप्त कर दी, जो कि स्प्रिट के समुचित, सुव्यवस्थित तथा नियमानुसार वितरण के लिये लागू की गई थी? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामपूजन पटेल—

जी हां। नगर देहरादून में एम० एल० 17 अनुज्ञापियों द्वारा स्प्रिट की फुटकर बिक्री के लिये परमिट प्रणाली जिला अधिकारी, देहरादून के आदेश दिनांक 8–11–70 द्वारा लागू की गई थी। जिला अधिकारी, देहरादून का आदेश नियमानुकूल न होने के कारण परमिट प्रणाली फरवरी, सन् 1972 से आबकारी आयुक्त के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी जिलाधिकारी का वह पत्र पढ़ेंगे जिसके आधार पर परमिट प्रणाली लागू की गयी थी और जिसके औचित्य को उन्होंने साबित किया था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिलाधिकारी के पास कुछ लोगों की शिकायतें आयीं थीं कि स्प्रिट ठीक तरह से नहीं मिलती है। उनके आधार पर आदेश जारी कर दिये गये थे और जनता के लाभार्थ यह परमिट सिस्टम लागू किया गया। लेकिन इसके बाद फिर जनता की ओर से शिकायतें हुई। इसकी

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]
जांच हुई और उसको रूल्स के खिलाफ पाया गया तथा उसमें कुछ दिक्कतें भी थीं, इसलिये फिर उसको रद्द कर दिया गया ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब तक स्प्रिट की दुकानों से परमिट की प्रणाली के द्वारा स्प्रिट बिकती रही, उसकी चोर बाजारी खत्म हो गयी थी और उससे जनता को संतोष भी था। लेकिन लाइसेन्स होल्डरों के दबाव डालने के कारण इस सिस्टम को हटा लिया गया। क्या माननीय मन्त्री जी परमिट प्रणाली फिर से लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

विचार करने के लिये तो तैयार हैं लेकिन यह रूल्स के खिलाफ हो जाता है, रिटेलर को यह बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह केवल परमिट से ही बेच। दूसरे जनता की भी यह मांग थी कि परमिट सिस्टम को खत्म कर दिया जाय।

बस्ती जिले में गांजा की पकड़

*3—श्री सुखपाल पान्डे (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में जनवरी, सन् 1971 से दिनांक 15 नवम्बर, 1971 तक कितना-कितना गांजा आबकारी एवं पुलिस विभाग ने अब तक पकड़ा है और क्या यह सही है कि बांसी तहसील में 8 बोरा गांजा कार पर लदा हुआ दिनांक 24 जून, 1971 को आबकारी निरीक्षक द्वारा पकड़ा गया ? यदि हां, तो पकड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बस्ती जिले में 1-1-71 से 15-11-71 तक 12 कुन्तल 92 किलो 290 ग्राम गांजा पुलिस विभाग द्वारा तथा 3 कुन्तल 1 किलो 870 ग्राम गांजा आबकारी विभाग द्वारा पकड़ा गया।

यह सही नहीं है। बांसी तहसील में 8 बोरा गांजा 24-6-71 को आबकारी निरीक्षक द्वारा पकड़ा गया बल्कि उसी दिन आबकारी निरीक्षक ने 40 किलो ग्राम खुला हुआ अवैधानिक गांजा एक कार के अन्दर गुप्त रूप से बने हुए केबिन में से बरामद किया था। उपरोक्त केस में पकड़े गये अभियुक्तों के निम्न नाम हैं—

1—श्री सम्पति लाल पुत्र नाथू जी सुनार, निवासी देवगढ़ भदरिया, थाना देवगढ़ भदरिया, जिला उदयपुर, राजस्थान।

2—शिवमंगल पुत्र रमाकान्त तिवारी, निवासी नोलापार, थाना भटनी, जिला देवरिया।

3—मुखलाल पुत्र रामबचन लोहार निवासी नोनादार, थाना भटनी, जिला देवरिया।

4—श्याम नारायण तिवारी पुत्र सीताराम, ग्राम उसका, थाना भटनी, जिला देवरिया।

उपरोक्त चारों अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 200 रु0 प्रत्येक पर जुर्माना तथा न देने पर 2 माह के कठोर कारावास की सजा दी गई थी तथा कार सरकार के हक में अपहृत कर ली गयी थी। इन अभियुक्तों ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया था तथा घटना के दिन ही इक्साइज मैजिस्ट्रेट द्वारा उनको उपरोक्त सजा दे दी गई थी।

कोषाधिकारी, नरेंद्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल का स्थानान्तरण

*4श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोषाधिकारी नरेंद्रनगर, (जिला टिहरी-गढ़वाल) के व्यवहार अभद्र व्यवहार के आधार पर लगभग दो वर्ष पूर्व आयुक्त, गढ़वाल मंडल ने पौड़ी कोषागार से उसका स्थानांतरण करने के विषय में लिखा था ? यदि हां, तो शासन ने क्या निर्णय लिया ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

जी हां, आयुक्त गढ़वाल मंडल ने लगभग तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को जो इस समय नरेंद्र नगर में नियुक्त हैं, जिला अधिकारी के आदेशों के उल्लंघन के आधार पर पौड़ी से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की अनुशंसा शासन से की थी। उक्त अधिकारी को तदनुसार जुलाई, 1969 में पौड़ी से नरेंद्रनगर स्थानांतरित कर दिया गया था।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गढ़वाल के कमिश्नर ने एक भ्रष्टाचारी आदमी को गढ़वाल से बाहर भेजने की सिफारिश की थी ? यदि हां तो गढ़वाल मंडल से बाहर उसका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसकी तो पूरी जानकारी नहीं है कि उसको कमिश्नरी से बाहर भेजने के लिये लिखा था लेकिन उसका ट्रांसफर नरेंद्रनगर कर दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शासन की यह नीति है कि जितने भी अफसर शिकायत के बाद स्थानान्तरित किये जाएं उनको टेहरी गढ़वाल ही भेजा जाय ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

शासन की ऐसी नीति कभी नहीं हो सकती, अब उनको टेहरी गढ़वाल से भी स्थानान्तरित किया जा रहा है।

श्री इन्द्रमणि—

क्या यह सही है कि इस अधिकारी के खिलाफ नरेन्द्रनगर के जिला अधिकारी तथा अन्य लोगों ने भी लिख कर भेजा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी कोई सूचना नहीं।

श्री रामविलास पांडेय—

उनका ट्रांसफर टेहरी गढ़वाल को कर दिया गया और अब कहा जा रहा है कि उनका ट्रांसफर वहां से भी कर दिया गया है तो क्या वह वहां से अब जहां जा रहे हैं वहां से भी उनका ट्रांसफर कर दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर हो चुका।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत पौड़ी गढ़वाल के ग्राम

*5—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिला पौड़ी-गढ़वाल के किन-किन गांवों को 1971–72 तथा सन् 1972–73 में सम्मिलित किया गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सन् 1971–72 में निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था:—

1—पित्रसेण
2—पोखरी
3—मुसेटी
4—थालीसेण
5—ऐथा
6—बारा सेहणी
7—सिरसू
8—सई गांव
9—पाली
10—जुगलसेन
11—फरनारी
12—गढ़कोट
13—बुरासीखाल
14—कुजोली
15—बोरोखाल
16—डुमैला मल्ला
17—डुमैला तल्ला
18—सरा तल्ला
19—ककरोला
20—सियूसीं
21—बंगार
22—बेजरा
23—बेदीखाल
24—नोगांव
25—सुकई
26—जिवई
27—चाथर
28—खमोली
29—सगला कोटी
30—जुनेसेरा
31—मंड्डली
32—सराईखेत
33—कसई
34—स्वीयाखेत
35—देवराजदेवी
36—मालगांव
37—पोखड़ा
38—चचीरा
39—कारखेत
40—चमसूथर
41—नागघर
42—रीठाखाल
43—कुरख्याल
44—दहेली
45—टोल
46—गोरली गांव
47—इना
48—श्री कोटखाल
49—बरनुगांव
50—बैथाखी
51—नोगांव
52—व्योली
53—एकेश्वर
54—रिंगवाडी
55—चौपटियाखाल
56—नोगावखाल
57—फरसुला
58—गोदी बड़ी
59—गोदी छोटी
60—चोपड़ा
61—गादोली
62—अल्दावा
63—सकाली
64—सेहरी
65—हनुमंती
66—हरिसंहपुर
67—रतनपुर
68—मेरवा
69—सिन्दरी
70—पूरनकोट
71—काशीरामपुर
72—सिंगडडी
73—किशनपुर
74—बीन्था

उत्तर प्रदेश विधान सभा

75—अपरशिला
76—लोवरसिला
77—मुरैना
78—व्याली
79—ढोर
80—सेरा मल्ला

वर्ष 1972-73 तथा चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के शेष काल में उपरोक्त सूची में उल्लिखित विद्युतीकरण के लिए शेष बचे ग्रामों के अतिरिक्त 288 और ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन 80 गांवों में से कितने गांवों में अबतक विद्युतीकरण किया गया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी तक केवल 7 गांवों का ही विद्युतीकरण हो सका है और शेष के लिये सामान इकट्ठा किया जा रहा है, उनका सर्वे करीब-करीब पूरा हो चुका है और कार्य आरम्भ कराने का प्रयास तेजी से हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या यह सही है कि सन् 1971-72 के लिये गढ़वाल जिले के विद्युतीकरण के लिये जो धनराशि रखी गई थी उसमें से काफी बड़ी धनराशि 30 मार्च को लैप्स हो गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस प्रकार की योजनायें विद्युत् बोर्ड के बजट में होती हैं और वह लैप्स के आधार पर नहीं बल्कि कार्य के आधार पर कार्य करता है, मुझे खेद है कि इन पूरे गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो सका लेकिन जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने कहा है उनको आदेश दिया जा रहा है कि जल्द ही सामान पोल आदि उपलब्ध कराये जायें और इस वर्ष के लक्ष्य के साथ पिछले साल के बाकी लक्ष्य को भी पूरा करें।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या यह सही है कि गढ़वाल जिले में जो विद्युतीकरण नहीं हुआ उसके जिम्मेदार वहां के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हैं और उन्होंने अपने अधिकारियों को कोई काम नहीं सौंपा है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या मन्त्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

60 गांवों का हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि अगले साल लक्ष्य पूरा कर दिया जायगा तो क्या सम्पूर्ण टेहरी जिले के लक्ष्य की पूर्ति की जायेगी?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर हो चुका है।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

सन् 1972-73 के जो लक्ष्य हैं उसमें क्या इन 80 ग्रामों को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो पिछले लक्ष्य पूरे नहीं हुए उनको सामने रखकर आगे के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जायगा ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में जो ग्रामीण विद्युतीकरण हो रहा है उसका रिटर्न 10 प्रतिशत मिल जायगा, बोर्ड को ?

श्री उपाध्यक्ष

यह तो ब्योरे का प्रश्न हो गया ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

10 प्रतिशत के रिटर्न की शर्त, जिसको ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये रखा गया है। चाहे वह पहाड़ी जिलों में हो या मैदानी जिलों में, वह एक ऐसी रुकावट हो गयी है जिसके कारण ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। इसलिए क्या माननीय मन्त्री जी को आशा है कि उन्हें जिला पौड़ी गढ़वाल में, जो विद्युतीकरण हो रहा है, उससे वह 10 प्रतिशत रिटर्न मिल जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक पौड़ी गढ़वाल में रिटर्न का प्रश्न है उन क्षेत्रों के लिए 8 प्रतिशत है। हमें आशा है कि वह रिटर्न मिल जायेगा। एस्टीमेट लगाया जाता है वैसे असली स्थिति तो तभी मालूम होती है जब वह लौट जाय। यह एक बुनियादी प्रश्न है। बोर्ड एक कामर्शियल संस्था है। यहां पर अक्सर चर्चा होती है कि बोर्ड घाटे पर चल रहा है तो इसलिए बोर्ड को वह बात भी ध्यान में रखनी होती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो विद्युतीकरण की योजना है चाहे वह पर्वतीय जिलों के लिए हो या चाहे पिछड़े जिलों के लिए हो, उसके बारे में कोई निश्चित आधार बनाया है जिसके आधार पर विद्युतीकरण होता है कुछ विशेष स्थानों के लिए विशेष आधार बनाये हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो व्यापक नीति का प्रश्न है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए रिर्टन की मात्रा 8 प्रतिशत कर दी है क्योंकि वहां पर लाइनें बड़ी-बड़ी दूर तक जाती हैं तब उपभोक्ता मिलते हैं। वे बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं। शेष इलाकों में सामान्य नियम हैं।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

माननीय मन्त्री जी को जहां 8 प्रतिशत रिटर्न की आशा है वहां तो ये विद्युतीकरण कर रहे हैं लेकिन मैदानी जिलों में जहां पर 20–25 प्रतिशत रिटर्न मिलने की आशा है वहां पर विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है । जहां पर लोग यह आशा लगाये बैठे हों कि बिजली होगी हम अपने ट्यूबवेल चलायेंगे, गली कूचों में बिजली लगायेंगे, वहां पर आशा नहीं रखी जाती है कि 10 प्रतिशत भी रिटर्न मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपने सुझाव दिया है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

श्रीमन्, मैंने यह सुझाव नहीं दिया है। वहां पर भी आशा के आधार पर विद्युतीकरण हो रहा है तो मैदानों में भी वैसे ही क्यों नहीं हो रहा है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा है कि हमारी तो यह नीति है कि 5 साल के अन्दर पंचम पंच वर्षीय योजना में प्रदेश में सारे गांवों का विद्युतीकरण कर रहे हैं।

विद्युत् अनुरक्षा एवं ग्राम्य विद्युतीकरण मंडल, अलीगढ़ में ट्रांसफार्मर तथा तांबे के तारों की चोरी

*6—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्युत् अनुरक्षा एवं ग्राम्य विद्युतीकरण मण्डल (गंगा सर्किल) अलीगढ़ में किस-किस खण्ड में 1 जनवरी, 1969 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि में कितने-कितने मूल्य के ट्रांसफार्मर्स तथा तांबे के तारों की चोरी हुई और उसके लिए कौन-कौन अधिकारी अथवा कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं। अब यह 15 दिन बाद आयेगा।

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन्, इस प्रश्न को भेजे 51 दिन हो गये हैं। लाखों रुपये का मामला है। इसमें लाइनमैन से लेकर एस०ई० तक का हाथ रहा है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ये कब तक हमें सूचना मंगाकर दे सकेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो यह 15 दिन के लिए स्थगित हो गया है। अब इस पर प्रश्न नहीं हो सकते हैं।

अलीगढ़ से खाद्य निगम द्वारा गेहूं का क्रय

*7—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत रबी की फसल में दिनांक 31 जून, 1971 तक मेसर्स मूलक चन्द्र नरेश चन्द्र परचेजिंग एजेन्ट, अलीगढ़ से खाद्य निगम ने कुल कितने मूल्य का कितना गेहूं किस दर पर खरीदा? क्या यह सच है कि उपरोक्त फर्म द्वारा खाद्य निगम को बेचा गया गेहूं निर्धारित स्तर के घटिया किस्म का गेहूं था उक्त गेहूं का मूल्य ऊंची दर से भुगतान किया है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन् उसमें भी लाखों रुपये का गबन है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह भी 15 दिन बाद आयेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन् मन्त्री जी के अक्सर ऐसे जबाब होते हैं । इस पर आप व्यवस्था दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि लाखों रुपये का गबन है और यह 19 तारीख को ही गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या ज्यादा रुपये का गबन होने के कारण ज्यादा समय लगेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि गबन का मामला है तो बहुत सतर्कता बरतकर आपके सामने स्थिति को रखेंगे और फिर आप प्रश्न करेंगे ।

ओबरा, जिला मिर्जापुर एवं हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में रूसी मशीन द्वारा बिजली का उत्पादन

*8--श्री सुखपाल पांडे, श्री रामकरन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1967 में ओबरा, जिला मिर्जापुर में पहली रूसी मशीन चालू हुई और हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में पहली मशीन अप्रैल, 1968 में चालू हुई ? दोनों मशीनों के चालू होने पर 34 महीनों में कितनी यूनिट बिजली बनी और दोनों के उत्पादन में क्या भारी अन्तर पाया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

ओबरा, जिला मिर्जापुर की पहली मशीन के चालू होने पर पहले 34 महीनों में 566 मिलियन यूनिट तथा हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ की पहली मशीन के चालू होने पर पहले 34 महीनों में 883 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ । यह अन्तर ओबरा की मशीन के 5,290 घंटे मेजर ओवर हाल हेतु बन्द रहने के कारण हुआ ।

*9--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[निरस्त]

उत्तर प्रदेश किराया नियन्त्रण सम्बन्धी कानपुर के नागरिकों का शिष्ट मण्डल

*10--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मन्त्री एवं पूर्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 फरवरी, 1972 को कानपुर के नागरिकों का कोई शिष्ट मण्डल उनसे उत्तर प्रदेश किराया नियन्त्रण अधिनियम जो कि विधान सभा के गत सत्र में पारित हुआ था, से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में मिला था ? यदि हां, तो शिष्ट मन्डल ने क्या ज्ञापन दिया एवं मन्त्री महोदय ने कौन-कौन से आश्वासन दिये ?

श्री बेनी सिंह--

जी हां। 21 फरवरी, 1972 को कानपुर के नागरिकों का एक शिष्ट मंडल मिला था। उनके द्वारा दिये गए ज्ञापन की एक प्रति †सदन की मेज पर रखी है।

शिष्ट मण्डल की कुछ आपत्तियां विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम की नीति व उसके प्राविधानों से सम्बन्धित थी और उनके बारे में उन्हें केवल अधिनियम के प्राविधानों को समझा दिया गया था और कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। उन्हें यह बता दिया गया था। कि नियम लागू करने से पूर्व उनका प्रारूप जनता की सूचना तथा उसके सुझावों के लिए पहले प्रकाशित किया जायेगा, और ऐसा सरकार ने कर भी दिया है। शिष्ट मण्डल को यह भी बताया गया कि यदि अधिनियम तथा नियमों के लागू होने के बाद जनता को कोई कठिनाई उनके कार्यान्वियन से उत्पन्न होगी तो सरकार आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिये तैयार रहेगी।

बलिया जिले की जल विद्युत् विभाग की जांच

*11--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1969-70 में मुख्य लेखाधिकारी के विभाग द्वारा बलिया जनपद के जल विद्युत् विभाग की जांच करने पर कुछ गबन के तथ्य प्रकाश में आये जिसके आधार पर श्री उत्तमचन्द असिस्टेन्ट सुपरवाइजर मुअत्तल किये गये? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

श्री उत्तम चन्द्र, असिस्टेंट सुपरवाइजर, को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 4 जनवरी, 1970 से मुअत्तल किया गया।

यह निलम्बन महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, द्वारा प्रकाश में लाई गई अनियमितताओं पर आधारित है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

इस अधिकारी के खिलाफ जो अनियमिततायें हैं उनमें से मुख्य-मुख्य आप बतला दीजिये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, वैसे मैं कुछ प्रमुख अनियमिततायें बता रहा हूं। श्री उत्तमचन्द, सुपरवाइजर ने मास जुलाई, 68 से अगस्त, 69 तक प्राप्त धनराशि उपभोक्ताओं की अभिलेखों में जमा नहीं की। श्री उत्तमचन्द ने मास नवम्बर 70 से अगस्त, 71 तक उपभोक्ताओं से जमानत एवं सर्विस कनेक्शन हेतु ली गई धनराशि से कम धनराशि रसीद की प्रतिलिपि में दिखाई और इस प्रकार 4507.2 का गबन हुआ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि गबन और अनियमितताओं में माननीय मन्त्री जी अन्तर समझते हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष--

गबन भी अनियमितता है ही और अपराध मूलक है यह आप कह सकते हैं।

---

†छापी नहीं गई।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस धन का दुरुपयोग होता था जिसको आप गबन की संज्ञा में कह सकते हैं और इसी आधार पर मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सुपरवाइजर सितम्बर में मुअत्तिल हुआ। सहायक इंजीनियर को क्यों नहीं मुअत्तिल किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, अभी तो जो जिम्मेदार था जिसने शुरू में रुपया लिया और जिसने जमा नहीं किया उसका निलम्बन करके पुलिस में केस दे दिया गया है और जांच चल रही है और जो भी सम्बन्धित पाया जायेगा किसी को छोड़ा नहीं जायेगा।

प्रदेश में आणविक विद्युत् गृह का निर्माण

*12—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सकार राज्य सरकार की सहमति से उत्तर प्रदेश में आणविक विद्युत् गृह का निर्माण कराने के लिये तैयार हो गई है ? यदि हां, तो कब से, कहां और इसकी शर्तें तथा उपादेयता क्या होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। अभी तक स्थान चयन समिति की अन्तिम संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि चयन समिति का निर्माण कब हुआ और कौन-कौन उसमें सदस्य हैं और उसके विलम्ब का कारण क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह समिति अटामिक एनर्जी कमीशन ने बनाई है। उसके चेयरमैन चक्रवती हैं। अन्य सदस्यों के नाम मालूम नहीं हैं।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नरौरा स्थान पहले निश्चित कर लिया गया था क्या वह बदल दिया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, बदलने का सवाल नहीं है। समिति के सामने जो दो-तीन जगहें आयीं उनमें नरौरा तो है ही साथ में माताटीला भी है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, स्थान के चयन का प्रश्न वर्षों से चला आ रहा है। इसमें कौन-सी कठिनाई आ रही है और यह कब तक हो जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह प्रश्न अटामिक एनर्जी कमीशन के विचाराधीन है। चयन समिति की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए देरी हो रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय विद्युत् मन्त्री जी को यह मालूम है कि पहले नरौरा का स्थान छापा जा चुका था और श्री साराभाई के जमाने में यहां अणु विद्युत् केन्द्र की स्थापना का एक प्रकार से निश्चय भी हो चुका था। तो फिर किन कारणों से नरौरा के बजाय अन्य स्थानों पर इसके विचार करने का प्रश्न उपस्थित हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध है, उसका यह निश्चित मत है कि अणु विद्युत् केन्द्र नरौरा में ही कायम किया जाय और इसी आधार पर डा० के० एल० राव और उप-मन्त्री श्री बैजनाथ कुरील ने अपना वक्तव्य भी दिया है। जो अभी तक हमें प्राथमिक सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह अणु विद्युत् गृह एक चट्टान पर बनाने की योजना है। नरौरा में जमीन मटीली और उपजाऊ है। इस सम्बन्ध में डिजाइन का सवाल सामने आया था। उन्होंने मुझे इस बात का भरोसा दिलाया है कि वे अटोमिक इनर्जी कमीशन को नरौरा में भी अणु विद्युत् केन्द्र बनाने की संस्तुति करेंगे। लेकिन जब तक अन्तिम घोषणा नहीं हो जाती, कुछ कहना वांछनीय नहीं है।

बुलन्दशहर जिले में अणु विद्युत केन्द्र

*13—श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में अणु विद्युत् केन्द्र ऐसे स्थान पर बनने जा रहा है जहां पर कई ग्राम पहले से ही आबाद हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन ग्राम हैं और उनकी संख्या और क्षेत्रफल क्या है और सरकार ऐसे गांवों के पुन-र्वास के लिये कौन सी योजनायें बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अणु विद्युत् केन्द्र निर्माण हेतु स्थान चयन समिति की अन्तिम संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई है—प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री त्रिलोक चन्द—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 24 और 25 फरवरी को भारत सरकार के उप मन्त्री जी श्री कुरील ने बयान दिया था कि नरौरा में अणु विद्युत् गृह पर पहली अप्रैल से काम शुरू हो जायेगा। तो जो बयान वह निकला था वह किस आधार पर निकला था और कैसे उन्होंने कह दिया कि पहली अप्रैल से नरौरा में काम शुरू हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इनसे सम्बन्धित नहीं है। यह कैसे जवाब दे सकेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि रुड़की कन्वोकेशन के अवसर पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा कर दी थी कि यह अणु विद्युत् गृह नरौरा में ही खुलेगा और मेरी इस सूचना को सही मानते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि इस स्थान के बदलने की सम्भावना कैसे हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसा मैंने निवेदन किया यह अटोमिक पावर स्टेशन बनाने का काम अटोमिक इनर्जी कमीशन का है और वही सारे देश में अटोमिक पावर हाउस बनाता है। जहां तक प्रदेशीय

सरकार की सम्मति का सम्बन्ध है तो हमारे विचार से इसको नरौरा में ही लगना चाहिये और अपने इसी विचार की घोषणा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने की होगी। लेकिन जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता क्या कहा जा सकता है।

लेखा कार्यालय क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, लखनऊ के नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का कोटा

*14—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया), श्री अवधेश प्रताप मल्ल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ के अधीन क्षेत्रीय लेखा कार्यालय में कितने कर्मचारियों की नियुक्ति लिपिक एवं चपरासी के पद पर दिसम्बर, 1969 से अब तक की गई तथा उनमें अनुसूचित जाति के लिये शासन द्वारा निर्धारित कोटा पूरा लिया गया ? यदि अनुसूचित जाति के लोगों को उक्त पदों पर नहीं लिया गया, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। लिपिक वर्ग के 12 और चतुर्थ श्रेणी के 5 कर्मचारी नियुक्त किये गये। लिपिक वर्ग में 12 में से 3 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी नियुक्त किये गये और उनका कोटा पूरा कर दिया गया, परन्तु चतुर्थ श्रेणी में इन पदों पर अनुसूचित जाति का कोई भी अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किया जा सका। इन 5 रिक्तियों में से 4 अल्पकालीन अवकाश रिक्तियां थीं और जब इन रिक्तियों में नियुक्तियां की गयीं उस समय अनुसूचित जाति के किसी अभ्यर्थी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, लखनऊ के अधीन क्षेत्रीय लेखा अधिकारी कार्यालय में हो रही अनियमितताओं सम्बन्धी ज्ञापन

*15—श्री मैनेजर सिंह, श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव' (जिला बहराइच), श्री अवधेश प्रताप मल्ल (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा सदस्य श्री नारायण दास तथा अन्य कई सदस्यों ने माह दिसम्बर, 1971 में एक ज्ञापन द्वारा क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक लखनऊ के अधीन क्षेत्रीय लेखा अधिकारी कार्यालय में हो रही अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था ? यदि हां, तो इस विषय पर क्या कार्यवाही अब तक की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। इस विषय पर क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ से आख्या दिनांक 4-4-72 को प्राप्त हुयी, जिस पर शासन विचार कर रहा है।

टिहरी-गढ़वाल के विभिन्न स्थानों पर विद्युतीकरण

*16—श्री इन्द्रमणि—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है तथा अब तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

टेहरी गढ़वाल में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल 50 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रक्खा गया है जिसमें से 30 ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1971-72 तक हो गया है।

*17—श्री इन्द्रमणि—

क्या विद्युतमंत्री को यह मालूम है कि माई की मंडी जवाड़ी मरदार टिहरी-गढ़वाल, रुद्र प्रयाग में विद्युतीकरण के विषय में गत वर्ष मंत्री ने आदेश दिये थे परन्तु उसका पालन अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? तथा कब तक उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण हो जायेगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वस्तुत: माइकी मंडी जबाड़ी मरदार का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है और इसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन में यदि 8 प्रतिशत प्रतिलाभ प्राप्त हुआ तो इनका विद्युतीकरण 1972–73 में कर दिया जाएगा।

श्री इन्द्रमणि—

क्या माननीय मंत्री जी उन 29 गावों के नाम बताने की कृपा करेंगे? यदि न बता सकें तो मुझे लिखित भिजवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

लिखित रूप में भिजवा दिया जायगा।

श्री इन्द्रमणि—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि विद्युतीकरण करते समय जहां फौजी लोग हैं, वहां प्राथमिकता दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सरकार ने फौजी लोगों को प्राथमिकता देने का निश्चय कर लिया है और इस सम्बन्ध में सर्वे कराया जा रहा है और जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री जगन्नाथराव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन स्थानों पर विद्युतीकरण की योजना चल रही है, वहां कभी तार और कभी कोई सामान नहीं मिलता, जिसके कारण, काम पूरा नहीं हो पाता है और अधिकांश भागों पर ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य असफल रहा है ? इस कठिनाई को सरकार समझकर इस प्रकार के उपकरणों को एकत्र कराने की कृपा करेगी जिससे निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जा सके ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जहां कहीं भी सामान की कमी पड़ती है वहां सामान फौरन उपलब्ध कराया जाता है और यदि माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो कृपया बताने की कृपा करेंगे जिससे छानबीन करके जांच पड़ताल कराई जा सके।

जन-संख्या के आधार पर प्रदेश के चीनी के कोटा में वृद्धि की मांग

*18—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने केन्द्र सरकार से जन-संख्या के अनुपात में उत्तर प्रदेश का चीनी का मासिक कोटा बढ़ाने की मांग की है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। केन्द्रीय खाद्य मंत्री से अनुरोध किया गया था कि प्रदेश को भविष्य में 86,500 टन चीनी का मासिक कोटा दिया जाय पर केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1972 के लिये बढ़ाने के बजाय 20,000 टन का ही कोटा दिया। इसको न मानकर केन्द्रीय खाद्य मंत्री से तार एवं पत्र द्वारा प्रदेश का कोटा बढ़ाने की पुनः मांग की गयी। केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने फरवरी के कोटे को बढ़ा कर 21,384 टन कर तो दिया पर यह सूचित किया कि चीनी के स्टाक की स्थिति को देखते हुये कोटे में अधिक वृद्धि करना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से निरन्तर पत्र-व्यवहार के फलस्वरूप प्रदेश को मार्च, 1972 से 25,000 टन चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है तथा अप्रैल 1972 में औषधि निर्माताओं के लिये भी चीनी का 219 टन का अतिरिक्त कोटा मिला है। सरकार इस दिशा में अब भी प्रयत्नशील है। संसद सदस्यों को भी पत्र इस अनुरोध के साथ लिखे गये हैं कि वे केन्द्रीय सरकार पर हमारा चीनी का कोटा बढ़ाने के लिये जोर डालें। अभी हाल में फिर केन्द्रीय खाद्य मंत्री से 10,000 टन चीनी का विशेष कोटा देने का अनुरोध किया है।

नया गेहूं क्रय करने की सरकारी योजना

*19—श्री राम सिंह खन्ना (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बार नयी गेहूं की फसल पर सरकार किसान से सीधे गेहूं खरीदने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

जी हां, वर्ष 1972–73 में सरकार किसान से सीधे गेहूं खरीदने की योजना बना रही है जिसके अन्तर्गत लगभग 18 लाख टन गेहूं की खरीद प्रस्तावित है। यह खरीद राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लगभग बराबर की मात्रा में करेंगी। इस वर्ष खरीदारी किसान से, बिना परचेजिंग एजेन्ट के माध्यम के सीधे ही करने का प्रस्ताव है। किसानों को मूल्य का भुगतान बैंकों, तहसीलदारों तथा जहां यह सुविधा उपलब्ध न हो खरीदारी एजेन्सी के स्टाफ के माध्यम से कराया जाएगा। खरीदारी करने के लिए तीनों एजेन्सियों द्वारा पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोले जाएंगे और प्रयत्न यह किया जा रहा है कि जहां तक हो सके किसी भी किसान को अपना गेहूं बेंचने के लिये 5–7 मील से अधिक दूर न जाना पड़े।

योजना की विस्तृत रूप रेखा माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ भेज दी गई है और उनके सुझाव मांगे गये हैं। दो-दो, तीन-तीन मंडलों के माननीय सदस्यों की मीटिंग भी की गई और इस संबंध में विचार विनिमय हुआ।

सदर तहसील, गोरखपुर में ईंट के भट्ठे

*20—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के निर्वाचन क्षेत्र झंगहा में कितने ईंट के भट्ठे हैं तथा वे कब से चल रहे हैं? इनको किन दरों पर बिक्री करने का आदेश है? इस तरह प्रत्येक को कितना अब तक (मार्च, 1972 तक) बिक्री-कर देना पड़ा है एवं कितना अभी बकाया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के निर्वाचन क्षत्र झंगहा में इस समय 20 ईंट के भट्ठे हैं। इस समय सरकार द्वारा ईंटों की बिक्री की कोई दर निश्चित नहीं की गई है। प्रत्येक भटठा कब से चल रहा है और प्रत्येक को कितना अब तक (मार्च, 1972 तक) बिक्री-कर देना पड़ा है एवं कितना अभी बकाया है, इसका पूरा विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 461 पर)

श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया, मेरी सूचना को सही मान कर इस बात की जांच करवायेंगे कि ईंट के भट्ठे वाले 75 रु0, 80 रु०, और 85 रु० प्रति हजार की दर से ईंटों को बेच रहे हैं। ईंट भट्ठे वालों के पास एक पुस्तिका भी होनी चाहिये जिसमें वे इस प्रकार की चीजों को अंकित करते जायं परन्तु वे इसको नहीं दिखलाते हैं। वे मनमानी ढंग से ईंटों को बेचकर लाभ कमा रहे हैं। क्या सरकार इसके लिये निश्चित मूल्य निर्धारित करेगी ताकि जनता इस महंगाई से बच सके? इस बारे में कोई सर्क्यूलर भी यहां से प्रसारित होना चाहिये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ईंटों के लिये कोई दर निश्चित नहीं है और न इस प्रकार का कोई विचार ही सरकार का है। अगर वे किसी प्रकार की ज्यादती करते हैं तो माननीय सदस्य उसको सरकार की सूचना में लावें तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों को सरकारी दर पर ईंट दिलाने की व्यवस्था

*21---श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपदों में जिनके घर, बाढ़ एवं अतिवृष्टि से गिर गये हैं उनको अविलम्ब सरकारी दर पर ईंट दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब से यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

इस समय सरकार की ओर से जनता के प्रयोग के लिये ईंटों के मूल्य तथा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः किसी व्यक्ति को सरकारी दर पर ईंट दिलाने की व्यवस्था करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रदेश के 54 जिलों में से 51 में बाढ़ आई थी और उनमें से अधिकांश मकान नष्ट हो गये हैं। ईंटों का कोई निश्चित रेट नहीं फिक्स है और भट्ठे वाले मनमाने दर पर ईंटों को बेंच रहे हैं। इन भट्ठे वालों को सस्ते दर पर यहां से कोयला दिया जाता है। कोयले के टेण्डरों के बारे में समय-समय पर मंत्री जी सूचना दिया करते हैं। इसी प्रकार से सस्ती दर पर ईंटों को दिलवाने का प्रबन्ध सरकार की तरफ से किया जाना चाहिये। कम से कम उन स्थानों पर इसका प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये जहां पर बाढ़ का प्रकोप अधिक था। यदि वह इसको मानते हैं तो यह कब तक होगा?

श्री बेनी सिंह---

माननीय सदस्य ने कहा है कि कोयले के सम्बन्ध में यहां से समय-समय पर इत्तिला मिलती रहती है। इससे आपको ज्ञान होगा कि हमारे कोयले की आमद में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है और सरकार इस स्थिति में नहीं है कि उनको कोयला दे सकें, वह इस स्थिति में नहीं है। ऐसी हालत में उन पर ईंटों के बारे में नियंत्रण करना कहां तक सम्भव होगा।

श्री रियासत हुसैन---

यह देखते हुये कि वे मनमाने दर पर ईंटों को बेच रहे हैं दूसरी तरफ उनके ऊपर सेल्स टैक्स का काफी धन बकाया पड़ा है। वे लोग क्रैश प्रोग्राम के लिय भी ईंट नहीं देते हैं। यह देखते हुये कि क्रैश प्रोग्राम और डेवलपमेंटल वर्क्स के लिये सरकार को भी ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, ईंटों को रिक्वीजीशन करने के बारे में सरकार विचार करेगी?

श्री बेनी सिंह--

रिक्वीजीशन की कोई बात नहीं है। जब इमरजेन्सी हुई थी तब हमने एक आदेश दिया था जिसके मातहत कलेक्टर साहबान भट्ठेवालों को बुला कर उसके खर्च को निकाल कर तथा कोयले वालों को भी बुला कर उसका एक एग्रीड रेट तय कर लेते थे और उसी रेट पर सरकारी कामों के लिये ईंट लिया करते थे। क्रैश प्रोग्राम में भी जहां कहीं आवश्यकता पड़ती होगी या सरकारी कामों के लिये जरूरत पड़ती है वहां पर वे इसी प्रकार से ईंटें लिया करते हैं। यदि माननीय सदस्य इसके विपरीत और कुछ बताना चाहें तो बतायें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि सरकार ने जैसा कि अभी मंत्री जी ने बतलाया, सरकारी कामों के लिए ईंट के रेट निर्धारित करवा दिये हैं जिला अधिकारी के द्वारा, तो उसी तरह से जैसा कि फिरंगी प्रसाद जी ने कहा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जिनके मकान गिर गये हैं, उनको भी ईंट दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब से, नहीं तो क्यों?

श्री बेनी सिंह--

जो आदेश दिये गये थे वह इमरजेन्सी में डिफेन्स आफ इंडिया रुल्स के अन्तर्गत दिये गये थे, अब वह दुबारा लागू नहीं कर सकेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जिला अधिकारी बाढ़ पीड़ितों को सही रेट दिलाने में प्रयत्न करें।

श्री जगवीर सिंह--

जैसे कि सरकारी कामों के लिये ईंटें कम दामों पर मिल जाती हैं तो जिन परिवारों के लोग लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनके लिये भी सरकार प्रबन्ध कराएगी ?

श्री बेनी सिंह--

प्रश्न दोहरा दीजिए।

श्री जगवीर सिंह--

सरकार की नीति लड़ाई में वीरगति पाने वालों के परिवार की मदद करने की है, तो क्या सरकार विचार करेगी कि उनको मकान बनाने के लिये ईंट सस्ते दर पर मिल सके ?

श्री उपाध्यक्ष--

उनको तो मकान देने की बात है।

श्री जगवीर सिंह--

मैं तो गांव की बात कर रहा हूं, मकान तो शहर में दिये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

वीरगति प्राप्त न कहिए, अपंगु कहिए।

श्री बेनी सिंह--

इस तरह से आदेश अलग से नहीं दिये गये हैं। कलेक्टर से यह कहा गया है कि इस प्रकार के परिवारों की मदद करें। जो माननीय सदस्य ने कहा है उस पर विचार करेंगे।

रबी की फसल की कीमत निर्धारण सम्बन्धी परिपत्र

*22--श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगामी रबी की फसल की कीमत निर्धारण के सम्बन्ध में शासन ने कोई परिपत्र केन्द्रीय सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो सरकार इसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

आगामी रबी की फसल के कीमत निर्धारण के सम्बन्ध में शासन ने कोई परिपत्र केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजा है । अत: प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री त्रिलोक चन्द--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक परिपत्र जो उनके हस्ताक्षर से केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है उसमें गेहूं की प्रति कुन्टिल क्या कीमत मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है ?

श्री बेनी सिंह--

मैंने जो अभी उत्तर दिया था उसको माननीय सदस्य पढ लें । हमने एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन को गेहूं की कीमत मुकर्रर करने के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं । हमने सरकार की ओर से कोई परिपत्र नहीं भेजा है ।

श्री शिवराज सिंह--

क्या सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि इस वर्ष गेहूं के दाम गत वर्ष के मुकाबले गिराये न जाएं ?

श्री बेनी सिंह--

हां, सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि दाम गिराये न जाएं । इस बात पर 13, 14 की मीटिंग में जोर दिया जावेगा ।

श्री राम कुमार शास्त्री--

क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो आगामी फसल गेहूं कि तैयार होने जा रही है, यह भी शोहरत है कि आप खरीदने जा रहे हैं, तो जो कीमत निश्चित करेंगे, किस आधार पर करेंगे ? कास्ट आफ प्रोडक्शन का आधार रहेगा या नहीं रहेगा ?

श्री बेनी सिंह--

श्रीमन्, जो इसकी कीमत निर्धारित होती है, वह एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की रिपोर्ट पर होती है और उसके बाद सभी मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस होती है, उसमें वाद-विवाद के बाद कीमत तय की जाती है ।

श्री कल्याण सिंह--

मंत्री जी ने कहा है कि शासन ने यह फैसला लिया है कि गत वर्ष से गेहूं के दाम गिराये न जाएं, तो क्या यह देखते हुए कि गत वर्ष से सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं, सरकार ऐसा निर्णय लेगी कि गत वर्ष से गेहूं की कीमत और अधिक रक्खी जाय?

श्री बेनी सिंह--

शासन ने यह निर्णय लिया है कि कम से कम इस कीमत को न गिरने दिया जाय ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार पिछले वर्ष के मुकाबिले कीमतें गिराने के लिए तैयार नहीं है ताकि किसानों को संतोष हो सके?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब आ चुका है।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें 16 प्रतिशत प्राइसेज बढ़ी हैं तो इस बात का ध्यान रखते हुए 80 लाल और 85 सफेद गेहूं में प्रोत्साहन दिलाने की कोशिश करेंगे?

श्री बेनी सिंह--

एक भ्रम मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारी जो यह खरीदने की मंशा है, वह प्रोक्योरमेन्ट नहीं है, बल्कि प्राइस सपोर्ट की है। हमने यह कहा है कि जो निर्धारित प्राइस है अगर उस प्राइस के ऊपर किसान को मिलता है, तो वह चाहे जहां बेचें लेकिन उस प्राइस से नीचे भाव नहीं गिरने दिया जायगा।

क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, लखनऊ को दी गई सरकारी वाहन

*23--सर्वश्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा), नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर), हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक लखनऊ को शासन की ओर से कोई वाहन दौरे के प्रयोजन के लिये दी गई है और क्या यह सही है कि उनके अधीन श्रेत्रीय लेखा अधिकारी उक्त वाहन का प्रयोग न करके निजी वाहन का प्रयोग सरकारी दौरे में कर रहे हैं और शासन से अनियमित रूप से अत्यधिक धन भत्ते के रूप में प्राप्त कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने की व्यवस्था करेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह सही है कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ को दौरे के प्रयोजन के लिये शासन की ओर से एक वाहन दी गई है और यह भी सही है कि उनके अधीन क्षेत्रीय लेखा अधिकारी उक्त वाहन का भी प्रयोग सरकारी दौरे में कर रहे हैं। परन्तु यह सही नहीं है कि वह शासन से अनियमित रूप में अत्यधिक धन भत्ते के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने जो भी यात्रा भत्ता आहरित किया वह वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 3, में दिये गये यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार आहरित किया गया है। अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही को करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह परिहार--

क्या यह सही है कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ के अधीन क्षेत्रीय लेखा अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत सरकार को मिली है जिसमें उन्होंने अवैध रूप से भत्ते बनाये हैं?

श्री गोस्वामी, राधाकृष्ण--

शिकायत की सूचना नहीं है लेकिन वे अपनी यात्रा में अपनी गाड़ी का प्रयोग अवश्य करते हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में जो आडिट रिपोर्ट है, उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यदि आदेश होंगे तो अवश्य रखूंगा ।

श्री पन्ना लाल गुप्ता (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां रेल सुविधा उपलब्ध हो, वहां निजी वाहन पर यात्रा न की जाय । यदि ऐसा है तो क्या उस पर कार्यवाही करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी कोई बात नहीं है । जिला लखनऊ के अन्तर्गत 22 जिले हैं जिसके अन्तर्गत 175 कार्यालय हैं जिनका निरीक्षण करना क्षेत्रीय लेखा अधिकारी के लिये बहुत आवश्यक है । रेल द्वारा यह सम्भव नहीं हो सकता है और इनका निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है । इसलिये उन्हें अपने वाहन का इस्तेमाल करना आवश्यक है ।

*24—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[4थे सोमवार के लिये स्थगित ।]

*25—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

कारागार मन्त्री द्वारा जेलों का निरीक्षण

*26—चौधरी रामपाल सिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि प्रतापगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जेलों का निरीक्षण उन्होंने अक्तूबर, नवम्बर, 1971 में किया? यदि हां, तो इन जेलों में अलग-अलग कौन-कौन सीं अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार के तथ्य मिले और उनमें अलग-अलग जेलों के कौन-कौन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और यदि, नहीं तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां । जिला कारागार, प्रतापगढ़ में रोटी दाल ठीक नहीं पकी थी । जेलर के पास कैशबुक में दर्ज राशि से अधिक धनराश थी । हवालातियों को बेड़ी न डालने के आदेश के बावजूद भी बेड़ी पड़ी थी । जिला कारागार, मुरादाबाद में एक वार्डर जेलर के पद पर ड्यूटी दे रहा था । बन्दियों को दी जाने वाली रोटियां अच्छी नहीं थी । कारागार के सब्जी के फार्म का ब्योरा उपलब्ध नहीं था । जिला कारागार, रामपुर में कैश चेष्ट की दोनों चाभियां जेलर के पास थीं । जेलर के पास एक क्लब का रुपया पाया गया । रोटियां ठीक नहीं पक रहीं थीं । कड़ुवा तेल तौलाने पर रजिस्टर के मुताबिक कुछ कम था । बैरिक की टट्टियां गन्दी थीं । बेड़ी डालने के आदेश होने पर भी बेड़ियां नहीं पड़ी थी । जिला कारागार, बरेली में पाकशाला के पास दो बोरा आटा मिला । बैरकों की टट्टियां गन्दी थी । जिला कारागार प्रतापगढ़ में पाकशाला प्रभारी तथा बेड़ी डालने से सम्बन्धित सहायक जेलरों को चेतावनी दी गयी है । धनराशि अधिक होने के विषय में जेलर का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया । जिला कारागार, मुरादाबाद में जेलर की चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । जिला काराकार, रामपुर में जेलर को एक चाभी अधीक्षक को देने का आदेश दे दिया गया है । क्लब का धन कर्मचारियों ने सुरक्षा कोष में दे दिया है । अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । कड़ुवे तेल के कम मूल्य को सम्बन्धित कर्मचारी ने जमा कर दिया है । जिला कारागार, बरेली में आटे के विषय में स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

*27—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के वर्ष 1971–72 में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है? क्या यह सही है कि सभी गांवों का विद्युतीकरण 125 रु0 फी कनेक्शन जमा करा कर किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वित्तीय वर्ष 1971–72 में बुलन्दलहर जिल में निम्नलिखित तीन गांवों का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स द्वारा किया गया है:—

1—हबीबपुर ।

2—इटेडा ।

3—नगला बुटेना ।

विभागीय नियमानुसार उपभोक्ताओं से 130 रु0 जमानत व सर्विस कनेक्शन चार्जज आदि का जमा कराकर ही विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जाता है, अतः इन गांवों के विद्युतीकरण के समय उपभोक्ताओं से 125 रु0 नहीं बल्कि 130 रु0 जमा कराकर ही गांवों का विद्युतीकरण किया गया ।

श्री त्रिलोक चन्द—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1971–72 में बुन्देलखण्ड में कितने गांवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसकी सूचना की जरूरत है ।

मारकेटिंग इन्सपेक्टर अलीगढ़ द्वारा बरती गई अनियमिततायें

*28—श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 19 फरवरी, 1972 को अलीगढ़ से मारकेटिंग इन्स्पेक्टर वगैर तक पट्टी के माल गोदाम से दुकानदारों को माल दे रहा था परन्तु पहले ही से उन दुकानदारों के रजिस्टर पर वगैर तक पट्टी भरे हस्ताक्षर कर रखे थे जिसको डी० एस० ओ० ने पकड़ा था ? यदि हां, तो सरकार उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां । मार्केटिंग इन्सपेक्टर, अलीगढ़ के विरुद्ध जिलापूर्ति अधिकारी को दिनांक 19 फरवरी, 1972 को माननीय श्री राम प्रसाद देशमुख, एम0 एल0 ए0 द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी । उक्त शिकायत पर जांच करने के लिये जिलापूर्ति अधिकारी ने तत्काल अपने एरिया राशनिंग आफिसर को तैनात किया । बाद में उक्त मामले में उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा भी जांच कराई गई । यह सही है कि मार्केटिंग इन्सपेक्टर, अलीगढ़ ने अपने कर्त्तव्यों के पालन में लापरवाही एवं अनियमितताएं बरतीं । इस लापरवही एवं अनियमितता के लिये मार्केटिंग इन्सपेक्टर की चरित्र पंजिका में एक प्रतिकूल प्रविष्टि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ द्वारा प्रदान की जा रही है और उन्हें उक्त गोदाम से स्थानान्तरित भी कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त इस मामले पर अब शासन द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 27 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*29-30—श्री महराम सिंह—

[4 थे सोमवार के लिये स्थगित ।]—

श्री सूबेदार सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा जिला जेल, मैनपुरी का निरीक्षण

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)

*31—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971-72 में प्रश्नकर्त्ता ने जिला मैनपुरी के कारागार की निरीक्षण-पंजिका में अपनी निरीक्षण आख्या लिखते समय कतिपय शिकायतें एवं सुझाव लिखे थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उन शिकायतों एवं सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? सरकार ने अब तक उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

निरीक्षण पंजिका में जो बातें लिखी हैं, उनका संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

उन पर की गई कार्यवाही की सूचना भी संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 462 पर)

उन्नाव जिले के ग्रामों को बिजली देने की व्यवस्था

*32—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1972–73 में उन्नाव जिले में किन-किन नये ग्रामों को बिजली देने की व्यवस्था की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वित्तीय वर्ष 1972–73 में 'ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' में उन्नाव जिले के 36 नये ग्रामों में बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव है जिनके नामों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 463 पर)

मुरादाबाद नगर में स्प्रिट की थोक एवं रिटेल की दूकान

*33—श्री महीलाल—

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि जिलाधिकारी मुरादाबाद ने वर्ष 1971 में नगर मुरादाबाद के लिये एक थोक व चार रिटेल की स्प्रिट की अतिरिक्त दुकानों की स्वीकृति शासन से मांगी थी ? यदि हां, तो क्या वह सही है कि थोक की दूकान की स्वीकृति दे दी गई है परन्तु रिटेल की दुकानों की स्वीकृति नहीं दी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, प्रचलित विधि के अनुसार जिलाधिकारी मुरादाबाद ने जिला मुरादाबाद में एक थोक व चार रिटेल स्प्रिट की अतिरिक्त दुकानों के सृजन हेतु शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को लिखा था । जिलाधिकारी की संस्तुति पर उक्त दुकानों के सृजन के औचित्य पर परीक्षण किये जाने के उपरान्त आबकारी आयुक्त ने थोक दूकान के लाइसेंस के सृजन के लिये शासन को संस्तुति की थी । तदनुसार शासन द्वारा थोक की दूकान की स्वीकृति दे दी गयी ।

चार रिटेल स्प्रिट की अतिरिक्त दूकानों के सृजन के औचित्य की जांच करने पर आबकारी आयुक्त ने पाया कि बहजोई, जोया व नरोली नामक तीन स्थानों पर प्रस्तावित दूकानों की आवश्यकता नहीं थी । तदनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया । चौथे स्थान चंदौसी में एक फुटकर दूकान का लाइसेंस दिये जाने का प्रश्न अभी आबकारी आयुक्त के जांचाधीन है।

प्रदेश में कोयले का अभाव

*34—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में कोयले की कमी हो गई है और चालू वितरण व्यवस्था से जनता को आज भारी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो सरकार कोयले की कमी को दूर करने के लिये क्या आवश्यक कार्यवाही कर रही है ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां, कोयले की कमी अवश्य है। परन्तु वर्तमान व्यवस्था के ही द्वारा प्रदेश में कोयले का वितरण कुछ equitable (समान) तरीके से हो पाया है और उससे परेशानी थोड़ी बहुत कम हो सकी है।

कोयले की कमी दूर करने का जो प्रयास किया गया है उन सबके संबंध में सरकार ने माननीय सदस्यों को पूर्णतया अवगत कराने की चेष्टा की । इस संबंध में हमारे पत्र संख्या-12976, दिनांक 20 सितम्बर, 1971, संख्या-15775, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971, संख्या 17195, दिनांक 30 दिसम्बर, 1971, संख्या-1129, दिनांक 9 फरवरी, 1972 व संख्या-2582, दिनांक 22 मार्च, 1972 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । नवम्बर 1971 तक हमारे यहां कोयले का आयात ऊंचा उठ रहा था और प्रयास भी जारी था कि यकाएक देश पर संकट आ पड़ा । जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि इसी कारण आयात में बहुत भारी कमी हुई । रेलवे वैगन्स की उपलब्धि अब भी सामान्य नहीं हो पाई है। आशा है कि धीरे-धीरे कुछ स्थिति सम्भलेगी । उसके लिये प्रयास सतत किया जा रहा है ।

*35—श्री राम गोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

केन्द्र का राज्य सरकार पर ऋण

*36—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार पर केंद्र का कितना ऋण है और क्या केंद्रीय सरकार को उपरोक्त धनराशि को अनुदान के रूप में दिये जाने के बारे में लिखा गया है? यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

केंद्रीय सरकार से प्राप्त किये गये ऋणों की अदत्त धनराशि दिनांक 31-3-71 को 686.75 करोड़ रुपया थी । उक्त धनराशि को अनुदान के रूप में दिये जाने के लिये केंद्रीय सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा गया है ।

कारागार मन्त्री द्वारा कानपुर जेल का निरीक्षण

*37—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जेल में 22 अगस्त, 1970 को संसोपा सत्याग्रहियों पर जेल कर्मचारियों द्वारा किये गये बर्बर लाठी चार्ज की घटना के बाद माननीय जेल मंत्री कानपुर जेल में पहुंचे थे और संसोपा सत्याग्रहियों के बदन पर उन्होंने स्वयं चोटें देखी थी और जेल अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दोषी बताया था और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का सत्याग्रहियों को मौखिक आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अपनी जानकारी तथा सिटी मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में विरोधाभास मानकर किसी जज द्वारा इस लाठी चार्ज के संबंध में जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह सत्य है कि कारागार मंत्री गत 4–9–70 को जिला कारागार कानपुर के निरीक्षण के अवसर पर संसोपा सत्याग्राहियों से मिले थे और उनकी चोटें देखी थी परन्तु घटना के लिये किसी कर्मचारी को दोषी नहीं बताया था और न घटना की न्यायिक जांच कराये जाने के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन दिया था ।

अतारांकित प्रश्न

श्री एस० के० सहाय, ब्वायलर आपरेटर थर्मल पावर हाउस, मिर्जापुर की करेंट लगने से मृत्यु

1—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री एस० के० सहाय ग्राम पो० चोपन, जिला मिर्जापुर जो ओबरा थर्मल पावर हाउस जिला मिर्जापुर के मेंटीनेंस सेक्शन में ब्वायलर आपरेटर के पद पर कार्यरत थे, ड्यूटी करते समय 1 जून, 1970 को बिजली का करेंट लग जाने से अस्पताल में दाखिल किये गये और 4 जून, 1970 को अस्पताल में ही मृत्यु हो गई ? यदि हां तो उनके परिवार को सरकार की ओर से कौन-सी सहायता दी गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री एस० के० सहाय को 1 जून, 1970 को बिजली का झटका लगने की कोई सूचना सरकार को नहीं है ।

वह मियादी बुखार की हालत में 3 जून, 1970 को अस्पताल में भरती हुये थे और 5 जून, 1970 को अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

चोरी गये ट्रांसफार्मर्स सम्बन्धी आदेश

2—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्री परिषद का यह निर्णय कि अब ट्रांसफार्मर चोरी होने पर काश्तकारों से पैसा नहीं वसूल किया जावेगा, जिला केंद्रों को कौन सी तारीख को प्रसारित किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

चोरी गये ट्रांसफार्मरों को बदलने पर काश्तकारों से पैसा नहीं वसूल किया जायेगा; इस संबंध में जिला केंद्रों को एक विस्तृत आदेश फरवरी, 18,1972 को प्रेषित किया गया ।

चन्दनी, जिला नैनीताल में पकड़ा गया गांजा

3—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के खटीमा तहसील के अन्तर्गत चन्दनी में दिनांक 13 जनवरी, 1972 को पुलिस द्वारा छापा मारने के फलस्वरूप कितने वजन तथा कितनी कीमत का गांजा पकड़ा गया ? जिस टैक्सी में वह गांजा पकड़ा गया था उसका नम्बर क्या है तथा मालिक कौन है ? और कहां का रहने वाला है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक 13-1-1972 को जिला नैनीताल के खटीमा तहसील के अन्तर्गत चन्दनी में पुलिस द्वारा कोई छापा नहीं मारा गया और न ही कोई गांजा पुलिस द्वारा पकड़ा गया ।

चीनी के लाइसेंस सम्बन्धी नीति

4—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चीनी के लाइसेंस देने की सरकार की क्या नीति है ? एक संयुक्त परिवार में कितने लाइसेंस दिये जा सकते हैं ?

श्री बेनी सिंह—

उत्तर प्रदेश शक्कर और गुड़ व्यापारियों को लाइसेंस देने की आज्ञा 1962 के अन्तर्गत एक समय में 50 क्विंटल से अधिक परिमाण में चीनी क्रय-बिक्रय या बिक्रय के लिये संग्रह करने के कारोबार हेतु राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है । ये लाइसेंस थोक बिक्रेताओं को जिलाधिकारी से प्राप्त करना होता है । नियंत्रित चीनी तथा खुले बाजार की चीनी के लाइसेंस एक ही व्यक्ति को नहीं दिये जाते हैं ।

एक संयुक्त परिवार में लाइसेंस देने की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उक्त आज्ञा के अन्तर्गत प्रत्येक कारोबार के स्थान के लिये पृथक लाइसेंस लेना अनिवार्य है ।

बिक्री-कर की बकाया धनराशि

5—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 31 मार्च, 1971 तक बिक्री-कर की जितनी धनराशि बकाया थी उसकी कितनी धनराशि 15 नवम्बर सन् 1971 तक वसूल हुई है और कितनी धनराशि अभी शेष है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

31 मार्च, 1971 तक बिक्रीकर की 32.02 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी । इस बकाया में से 30-11-71 तक 2.26 करोड़ रुपये की वसूली तथा 3.27 करोड़ की अपील तथा पुनरीक्षण आदि के फलस्वरूप कमी हुई और 1-12-71 को 26.69 करोड़ रुपये की बकाया शेष रह गई ।

मैनपुरी जिले में ईंट का भट्टा सम्बन्धी आवेदन-पत्र

श्री सूबेदार सिंह तथा श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 जनवरी, 1970 से 20 फरवरी, 1972 तक मैनपुरी जनपद में कितने लोगों ने ईंट का भट्ठा लगाने के लिये आवेदन-पत्र दिये? जिलाधिकारी ने कितने आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया तथा अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त काल में किन भट्ठा मालिकों को उपरोक्त अवधि में कब-कब कितना कोयला दिया गया ?

श्री बेनीसिंह—

1 जनवरी, 1970 से 20 फरवरी, 1972 तक मैनपुरी जनपद में 38 लोगों ने ईंट का भट्ठा लगाने के लिये आवेदन-पत्र दिये । आठ आवेदन-पत्रों को भूमि संबंधी प्रमाण-पत्र और जिला परिषद का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत न करने तथा निजी प्रयोग के लिये ईंट पकाने के कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया । उपरोक्त काल में 66 भट्ठे वालों को 156 बाक्स वैगन स्लैक कोल विभिन्न तिथियों पर दिया गया जिसकी विवरण सूची सदन के पटल पर रक्खी जाती है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 464 पर)

7—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[4थे मंगलवार में प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय जिलों के सहकारी समिति संप्रेक्षक के सृजित पद

8—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों के लिये सहकारिता विभाग में सहकारी समिति संप्रेक्षक के लिये कितने पदों का सृजन किया गया तथा इन पदों पर पर्वती भू-भाग के कितने लोग लिये गये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1971–72 में सहकारिता सम्प्रेक्षकों के 110 अस्थायी पद सृजित किये गये और उन पर तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं जिनमें से 48 व्यक्ति पर्वतीय भू-भाग के हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे पास आया है····

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं, मैं सूचना दे रहा हूं ।

श्री शिव कुमार पांडेय—

यह जबरदस्ती है, आपकी ओर से ही यह घोषणा हो चुकी है कि व्यवस्था के प्रश्न जीरो आवर्स में उठाये जा सकते हैं····

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता, आप बैठिये ।

श्री शिवकुमार पांडेय—

आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने देते, यह हमारे साथ घोर अत्याचार कर रहे हैं, इसके विरोध में म 5 मिनट के लिये सदन त्याग करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप रुकिये, इस तरह से आप नहीं जा सकते, आपको निकाला जायेगा । यह सदन का अवमान है, चेयर का अवमान है ।

श्री शिव कुमार पांडेय--

मैं तो खुद जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन का अवमान है। मैं शासन दल को अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं कि वह अपने दल के सदस्यों को समझायें (व्यवधान) मेरी व्यवस्था के विरोध में इस तरह से नहीं जा सकते। इस तरह से अगर कोई जाता है तो यह चेयर का अपमान है।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

मुझे श्रीमन्, इसके लिये खेद है, मेरा विचार है कि सम्मानित सदस्य की ऐसी भावना नहीं है कि वह आपके आदेशों का पालन न करें और न ही उनका किसी प्रकार का चेयर का अवमान करने का विचार है। मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन आज दिन भर के लिये वे निकाले गये हैं, वे बाहर रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

किन परिस्थितियों में हम सदन त्याग सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

सभी परिस्थितियों में, लेकिन इस तरह से नहीं।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन, वे अभी सदन में बैठे हैं · · · · ·

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है · · · · · (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं एक सूचना दे रहा हूं तब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री शिव कुमार पांडेय--

श्रीमन्, मेरी बात से यदि आपको दुख हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन सर्वोपरि है, ठीक है।

परगनाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्याम लाल कनौजिया ने बिशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न उठाया है जो इस प्रकार है · · · · ·

"कल दिनांक 9-4-72 को दोपहर बाद आजमगढ़ शहर में कुछ व्यक्ति मुझे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर मिले और उन्होंने परगनाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के यहां ग्राम समाज की भूमि को भूमिहीनों में बटवारे के सम्बन्ध में उक्त परगनाधिकारी से बात-चीत करन को कहा। मैं तथा वे सभी व्यक्ति इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी क पास गये। परगनाधिकारी ने बगैर कोई बात सुने ही मुझे भद्दी-भद्दी गालियां देना प्रारम्भ किया। और कुछ व्यक्ति जो वहां बैठे थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता उनसे मुझ को पकड़ लेने के लिये कहा तथा स्वयं भी पकड़ने का प्रयास किया। किन्तु मैं अपने साथ के व्यक्तियों के कारण बच पाया और वहां से किसी प्रकार वापस हुआ। यदि उन्होंने उस समय मुझे पकड़ लिया होता तो आज विधान सभा की बैठक में सम्भवतः उपस्थित नहीं हो पाता।

परगनाधिकारी का यह कार्य जहां एक ओर एक विधायक के नाते जनता की आवाज अधिकारियों तक पहुंचाने में बाधा उपस्थित किया, वहीं मुझे पकड़ लेने की उनकी कोशिश इस सदन की बैठक में भी भाग लेने से रोकने में भी स्वतः एक प्रयास रहा। इसके अतिरिक्त अभद्र व्यवहार एवं गाली देना तथा धमकी देना न केवल मेरा अपमान ही है बल्कि एक विधायक के कर्त्तव्य पालन में भविष्य के लिये भी बाधा उपस्थित करता है।"

माननीय सदस्य कन्नौजिया ने ऐसा प्रश्न उठाया है। एक और माननीय सदस्य ने भी ऐसा ही प्रश्न उठाया था। उसमें इसमें थोड़ा फर्क है। मैं इसे मुख्य मंत्री जी को कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं, और फिर उसके बाद·····

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरा यह कहना है कि मुख्य मंत्री जी को न भेजें, इसे विशेषाधिकार समिति को भेजें।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके बाद यदि आवश्यक होगा तो यह भेजा जाएगा या सदन के समक्ष रखा जायगा। लेकिन प्रश्न यह है कि अभी एक शिकायत आई, उसको मुझ को दिया गया। अब मुख्य मंत्री जी इस पर कार्यवाही करके सदन को अवगत करायें, यदि सदन सन्तुष्ट हो तो....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, जो नोटिस आपको प्राप्त हुआ है, उसमें 2-3 बातें लिखी गई हैं। पहली बात तो यह है कि जिसको मैं सीरियसली लेता हूं—अगर माननीय सदस्य को आज पकड़ लिया गया होता परगनाधिकारी द्वारा तो पता नहीं सदन की कार्यवाही में आज माननीय सदस्य भाग लेते या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

तब तो प्रश्न हो जाता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उनका प्रयास मात्र इनके न आने का कारण बन सकता था। यह तो इनकी बात थी कि किसी तरह बच कर निकल आये। उनका तो पूरा प्रयास हुआ। जब उनका प्रयास हुआ तो यह न केवल विशेषाधिकार का बल्कि सदन के अवमान का प्रश्न है और जब सदन के अवमान का प्रश्न उपस्थित हो जाये और विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उपस्थित हो जाये तो यह प्रश्न अकेले मुख्य मंत्री जी का नहीं रह जाता, यह प्रश्न प्रशासनिक नहीं रह जाता, यह सीधे सीधे सदन का हो जाता है—चाहे जिस पक्ष के सदस्य हों पूरे 426 व्यक्तियों का यह सवाल हो जाता है। सदन की मान-मर्यादा का सवाल हो जाता है। इसलिये मुख्य मंत्री जी के हवाले

[श्री कल्पनाथ सिंह]

यह प्रश्न आप न करें। इस मामले में मेरा निवेदन यह है कि इसे आप विशेषाधिकार समिति को जांच के लिये, अन्वेषण के लिये, और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये भेज दें और सदन फिर उसके प्रतिवेदन पर विचार करे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, आप नियम 65 को देख लें। आपके सामने यह विकल्प है ही नहीं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठेगा, उसको मुख्य मंत्री के पास भेज सकते हैं या आप गृह मंत्री के पास भेज सकते हैं या पुलिस के दरोगा को भेज सकते हैं। मैं यह कहता हूं कि आपके सामने कोई विकल्प है ही नहीं। नियम 65 में यह है कि जो ग्राह्यता के बारे में है।

"(1) ऐसे प्रश्न की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों से नियंत्रित होगी:--

(क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो,

(ख) सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो,"

तो प्राग्दर्शन के अन्दर आप इस बात को स्वयं स्वीकार करेंगे कि एक विधान सभा के सदस्य साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाय तो हम लोगों को स्वतंत्र रूप से काम करने का जो अवसर है वह नहीं रहेगा। तो इसमें होता यह है कि अगर यह प्रश्न मुख्य मंत्री जी को चला गया तो यह हमारे सब का प्रश्न नहीं रहेगा यह मुख्य मंत्री और माननीय सदस्य का प्रश्न हो जायगा। हम चाहते हैं कि यह हम सब का प्रश्न रहे। आगे से जो अधिकारी हैं उनको मालूम रहेगा इस सदन के एक माननीय सदस्य का अवमान करना सदन का अवमान करना है और आपका भी अवमान है, आप सदन के अंग हैं। इसलिये इस नियम के अन्दर आपको दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिये कृपा करके इसको विशेषाधिकार समिति को दे दें और उसी में निर्णय लें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

मैं स्वामी जी से सहमत नहीं हूं, मुझे दुख है। इस कारण नहीं कि सदन का अवमान का प्रश्न आये तो मैं पीछे रहूं, बल्कि एक ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है कि एक सरकारी कर्मचारी जिला-आजमगढ़ का है और एक माननीय सदस्य हैं, उनका विश्वास करना तो स्वाभाविक ही है नियमों के अन्दर। तभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री या शासन से पूछेंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी जो व्यवस्था है कि आप एक रिपोर्ट मुख्य मंत्री द्वारा या किसी और ढंग से मंगा लें, यह उचित है और अगर आश्वस्त हो जायं तो उस अधिकारी को सदन के अन्दर प्रस्तुत करें या जो भी कार्यवाही उचित हो वह करें। लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति होता तो ठीक था, पर शासन के अधिकारी के बारे में शासन के अफसरों से पूछना तो ठीक ही होगा वरना फिर तो यही होता रहेगा।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो विधायक महोदय ने लिखा है, अगर सच है तो एक प्रिविलेज कमेटी के सामने जाना चाहिये। लेकिन एक पक्ष सदन में नहीं है और जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर इसको सीधे प्रिविलेज कमेटी में भेजते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि विधायक ने जो कुछ लिखा है वह अक्षरशः सही है, तो एक पक्ष वंचित हो जाता है। मुमकिन है कि उन्होंने जो कहा वह भावावेश में हो। तो प्राइमा फेसाई आफेंस आपके सामने जरूर होना चाहिये तब प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजें। अभी तक कोई आफेंस नहीं। एक सुझाव जैसा उनके दिमाग में आया है। आप मुख्य मंत्री को भेजते समय निर्धारित कर दें कि इस अवधि तक जो कुछ हो उसकी जांच करके सदन के सामने रख दें। उसके उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करें तो उचित होगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, इस किस्म की घटनाएं आये दिन होती हैं। प्रदेश के अन्दर नौकरशाही कितनी निरंकुश हो चुकी है यह इसकी एक मिसाल है और ऐसी मिसालें बराबर आपके सामने आ रही है। जहां तक इसके कानूनी पक्ष का ताल्लुक है, मेरा आपसे निवेदन है कि प्राग्दर्शन में आपके सामने इस सूचना को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। व्यक्तिगत जानकारी एक आधार पर माननीय सदस्य ने आपके सम्मुख शिकायत की है कि मेरे साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया गया। यही नहीं, उस अधिकारी को मालूम था कि विधान सभा का सत्र चल रहा है। माननीय सदस्य को विधान सभा की तरफ जाना है और उसके बावजूद भी उन्होंने माननीय सदस्य को पकड़ने की कोशिश की और उनको गैरकानूनी तरीके से कनफाइन करने की कोशिश की। पांडेय जी ने कहा कि जांच होनी चाहिये। एक पक्षीय सूचना है, सही है, लेकिन कौन करेगा ? हमारी प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत जांच मुख्य मंत्री नहीं करेंगे बल्कि प्रिविलेज कमेटी करेगी। तो उस कमेटी के सामने इस अधिकारी को पूरा अवसर मिलेगा कि वह अपना बचाव रख सकेगा। लेकिन इस प्रकार की घटनायें आये दिन घटती जा रही हैं, नौकरशाही पर लगाम लगाना आवश्यक है। अगर माननीय सदन के सदस्य के खिलाफ ऐसी कार्यवाही हो सकती है तो मजदूरों और हरिजनों का क्या होता होगा ?

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, किसी आवश्यकता से मजबूर होकर विधायक अपने जिले के अफसरान के सामने जाता है किसी जनहित के, पब्लिक के उद्देश्य को ले करके। तो उस आधार पर जाकर बात करता है जिसको इस सदन के अन्दर सरकार की तरफ से भिन्न-भिन्न प्रकार के आश्वासन दिये जाते हैं, रोजाना के काम करने में, रोजाना की पालिसी चलाने में, उन्हीं चीजों को आधार बना कर माननीय सदस्य अपने जिले के अधिकारियों के पास जाता है और जाकर कहता है कि सदन में इस तरह की बात हुई है, इसको आप इस तरह से कीजिये। देखने में आया है कि हर जिले के अधिकारी माननीय सदस्य की उस बात को वजन न देकर जो शिकायत उसमें निहित होती है, माननीय सदस्य की कोई हैसियत न समझ कर सेकंड और थर्ड तरीके पर, उसको कंसीडर करते है जिसकी वजह से इस तरह की घटना समस्त प्रदेश में होती है। इसलिये चूंकि जिला अधिकारियों से जो हम लोगों का वास्ता है उसके पीछे वही बातें हैं जो इस माननीय सदन के अन्दर आपकी अध्यक्षता में बैठ कर इस तरफ से एश्योरेंस किये जाते हैं, बात बतलायी जाती हैं, इसने सब बातों को देखते हुए, इस घटना को सामने रखते हुए, मैं सहमत हूं कि इस इश्यू को प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द कर दें ताकि इस पर विचार हो सके।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

यह मामला तो साफ है। पांडेय जी ने बहुत सफाई के साथ मान लिया कि यह प्रिविलेज का मामला है। केवल उनको यह आपत्ति थी कि यहां एक पक्ष नहीं सुना गया। यह सर्वमान्य सिद्धात है जो कोई बात यहां कोई माननीय सदस्य कहता है वह सही बात कहता है। इस सिद्धान्त को मानते हुए जब सदस्य के साथ खुद वाकया हुआ है उन सब को मालूम था कि सदन चल रहा है, वह बाधक हो सकता है गिरफ्तार करने से, जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, हम अगर यह कहें कि हमारे सदस्य झूठ बोल रहे हैं, जो कहते हैं सच नहीं है, यह बात तो अनुचित मालूम होती है। इसलिए सीधे-सीधे आपको प्रिविलेज कमेटी को भेज देना चाहिये। अगर इसको माननीय मुख्य मंत्री को भेज देंगे तो जो भी कर्मचारी रहे हों कभी नहीं कहेंगे कि मैंने यह व्यवहार किया था। वह इनकार करेंगे। इसलिए आप प्रिविलेज कमेटी को भेजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, यह मामला बहुत गम्भीर है। जब यह विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला सदन के समक्ष आ गया है तो यह सदन की प्रापर्टी हो गया है। विशेषाधिकार समिति में ही इसका निर्णय हो। इसे माननीय मुख्य मंत्री को भेजने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये आप इस निर्णय को बदल दें और विशेषाधिकार समिति को भेज दें। एक बात और देख लें। यह मामला बहुत गम्भीर है। नौकरशाही आज सरकार पर हावी है। इसमें सरकार का भी अपमान हुआ है। माननीय सदन का एक सदस्य उनके पास कर्त्तव्य पालन के लिये जाय उसके साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाय। सरकार को तुरन्त इस सूचना को सही मान कर ऐसे एस० डी० ओ० को सस्पेंड कर देना चाहिये, तब यह मामला विशेषाधिकार समिति में जाय।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, यह जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आपके पास आया उसमें यह बात लिखी हुई है कि उन्होंने पकड़ कर लाने को कहा और दूसरे लोगों से भी कहा कि पकड़ो लेकिन मैं किसी प्रकार बच कर निकल आया। हो सकता है कि ऐसी बात रही हो, कानूनी। इसके लिये मेरा सुझाव है कि इस पर निर्णय दो दिन के लिए स्थगित कर दें। जो तथ्य हैं, माननीय सदस्य से भी मालूम कर लूंगा और जिले से भी मालूम कर लूंगा। परसों इस पर निर्णय ले लें।

[विरोधी दल के कई सदस्य खड़े हुए।]

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसका मतलब यह है कि सदस्य सही नहीं बोल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें सदन को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर सदन या उसके किसी सदस्य का अवमान हुआ है तो जो कोई भी कार्यवाही होती है, मान लीजिये विशेषाधिकार समिति में कार्यवाही होती है, क्या दंड दिया जाय सदन नेता ही देते हैं। या मुख्य मंत्री के यहां भेजा जाता है। यह जो सवाल आपने उठाया है अच्छा होता कि अध्यक्ष जी इस पर निर्णय देते अभी नहीं उठता।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे गाली दी और पकड़ने के लिये कहा। अगर शासक दल के माननीय सदस्य के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो किसी भी विधायक के साथ ऐसी घटना घट सकती है। अब अगर माननीय मंत्री जी को दो दिन का मौका दिया जायेगा तो मामला सुलझा दिया जायगा और शान्त कर दिया जायगा। लिहाजा इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने ठीक बात कही थी लेकिन सदन की राह यह मालूम होती है कि इसे अविलम्ब, प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाय

श्री श्यामलाल कनौजिया—

एक मिनट मेरी भी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

क्यों सुना रहे हैं? आपकी बात तो सारा सदन कह रहा है।

श्री श्यामलाल कनौजिया—

उपाध्यक्ष महोदय, सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष—

सब की भावनाओं को देखते हुये चूंकि प्राग्दर्शन में यह केस बनता है लिहाजा यह निर्देश किया जाता है कि यह विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

सामुदायिक विकास मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न भी है कि मंत्री ने गलत उत्तर दिया। इसे मैं मंत्री जी के पास कार्यवाही के लिये भेज दूंगा। जिस अधिकारी ने मंत्री जी को गलत सूचना दी है नियमानुसार उसे दंडित किया जाना चाहिये। इसे कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में केन्द्रीय वेतन मण्डल की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

परिवहन मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

बयान की प्रतियां हमें दी जायं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

प्रतियां दी जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

शासन से प्रतियां नहीं आई हैं।

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

शाम को समझौता हुआ। कल छुट्टी थी। सबेरे आज स्टेटमेंट तैयार कराया और उसे साइक्लोस्टाइल कराया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे शाम को ले लिया जायगा। प्रतियां बांट दी जायं और अब आगे का कार्यक्रम लिये लेता हूं।

राजकीय सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माणशाला में चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

[सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

राज्य सरकार ने राजकीय सूक्ष्म उप यंत्र निर्माणशाला की स्थापना 1950–51 में की थी। इस यंत्रशाला में पानी नापने के मीटर, दबाव नापने की घड़ियां और सूक्ष्मदर्शीयंत्र बनाये जाते हैं। इस कारखाने में 493 कर्मचारी कार्य करते हैं।

[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री राजबिहारी सिंह]

इस कारखाने में 4 यूनियनें काम करती हैं जिनमें से मुख्यतया केवल एक यूनियन, अर्थात् "राजकीय सूक्ष्म यन्त्र निर्माणशाला श्रमिक संघ" हड़ताल व अन्य अवैधानिक कार्य करने में प्रयत्नशील है। "श्रमिक संघ" की मुख्य मांग यह रही है कि कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाय। इस विषय पर विस्तृत रूप से शासन ने विचार किया और यह अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है कि श्रमिकों को राज्य कर्मचारी बनाना संभव नहीं है क्योंकि उससे कारखाने की आर्थिक स्थिति और उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और फैक्टरी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी मानना उपयुक्त नहीं है। इनकी दूसरी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया और यह मांग कि श्रमिकों को रेगुलर वर्कमैन घोषित किया जाय, सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई। तद्नुसार 22 दिसम्बर, 1971 को आदेश भी जारी कर दिये गये थे परन्तु कुछ वैधानिक संदिग्धताओं को स्पष्ट रखने के उद्देश्य से यह उचित समझा गया कि उक्त घोषणा कारखाने के स्थायी आदेशों (स्टैण्डिंग आर्डर्स) में कुछ संशोधन करने के बाद ही की जावे। ये संशोधन तैयार करके सर्टीफाइंग आफिसर (श्रमायुक्त, कानपुर) को भेज दिये गये हैं और उनकी स्वीकृति के बाद शीघ्र लागू कर दिये जायेंगे और उसके बाद 3 वर्ष से अधिक सेवा किये हुये श्रमिकों को रेगुलर वर्कमैन घोषित कर दिया जायेगा।

मजदूर यूनियन की यह मांग भी रही है कि श्रमिकों पर इंजीनियरिंग वेज बोर्ड द्वारा संस्तुत वेतनमान लागू किये जायं। निःसंदेह इन वेतनमानों के लागू होने से श्रमिकों को आर्थिक लाभ होगा। यद्यपि वैधानिक रूप से राजकीय कारखानों पर वह संस्तुति लागू नहीं होती पर शासन ने यह निर्णय भी ले लिया है कि श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षित किये जायं जिससे उनमें बढ़ोत्तरी हो। इसके लिये आवश्यक शासकीय आदेश शीघ्र ही प्रसारित किये जा रहे हैं। यह वेतनमान 1 जनवरी, 1970 से लागू किये जा रहे हैं। इनके लागू करने में शासन को कैलेन्डर वर्ष 1970 में 76,555 रुपये, 1971 में 1,09,786 रुपये और 1972 में 1,42,043 रुपये का अधिक आर्थिक भार ओढ़ना होगा। चूंकि 1-1-1970 से पुरानी बकाया देनी है इस लिये वर्ष 1972-73 में आर्थिक भार 3,71,070 रु० का होगा।

इसके अतिरिक्त कारखाने के मजदूरों के वेतन व काम की हालतों में सुधार के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। रेगुलर वर्कमैन घोषित हो जाने के बाद वर्कचार्ज्ड की पद्धति समाप्त हो जायेगी। मकान भत्ता पहिले से ही दिया जा रहा है और वर्ष में 7 दिन का आकस्मिक अवकाश भी दिया जा रहा है।

यद्यपि प्रत्येक वर्ष में कारखाने में लाभ नहीं हुआ फिर भी श्रमिकों के हित के लिये प्रत्येक वर्ष एक्स-ग्रेशिया का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया:—

वर्ष	लाभ (लाख में)	हानि (लाख में)	दर जिस पर एक्स-ग्रेशिया दिया गया
1964-65	20.29	—	12 प्रतिशत
1965-66	11.03	—	10 प्रतिशत
1966-67	—	5.15	15 दिन का वेतन दोनों
1967-68	—	0.36	वर्षों के लिये।
1968-69	0.30	—	4 प्रतिशत
1969-70	1.12	—	4 प्रतिशत
1970-71	—	8.92 (अनुमानित)	4 प्रतिशत

रेगुलर वर्कमैन घोषित होने से श्रमिकों को वेतन में बढ़ोत्तरी इत्यादि का कोई लाभ नहीं होगा। उससे, केवल उनकी नौकरी के सुरक्षा सम्बन्धी स्थिति मजबूत होगी और उसमें कुछ देरी होने के कारण ही ऐसा असन्तोष पैदा करने का कोई आधार नहीं था जिसमें हड़ताल का कोई औचित्य हो। फिर भी शासन उस सम्बन्ध में तेजी से कार्य कर रहा है और रेगुलर वर्कमैन की घोषणा कर दी जायेगी।

30 मार्च, 1972 से हड़ताल करने का आह्वान श्रमिक संघ नामक यूनियन ने किया है। यह हड़ताल अवैधानिक है और इसका प्रभाव कारखाने में आंशिक ही है। 30 मार्च, 1972 से 5 अप्रैल, 1972 तक सामान्य उपस्थिति की तुलना में श्रमिकों की उपस्थिति 55 परसेंट से 64 प्रतिशत तक रही जिससे स्पष्ट होता है कि हड़ताल का प्रभाव आंशिक ही है। आगे इसके और सुधारने की संभावना है।

22 दिसम्बर, 1971 की राजाज्ञा के अनुसार श्रमिकों को रेगुलर वर्कमैन घोषित करने में देरी होने के कारण ऊपर बताये जा चुके हैं। "श्रमिक संघ" के कार्यकर्त्ताओं को यह स्थिति बराबर बताई जाती रही कि सिद्धान्ततः उनके रेगुलर वर्कमैन घोषित होने की मांग और पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने की मांग मान ली गई है फिर भी श्रमिक संघ ने 15 फरवरी, 1972 से अवैधानिक हड़ताल कर दी जो 17 फरवरी तक रही। उसी दौरान कुछ श्रमिकों ने हिंसात्मक व अन्य अवांछनीय कार्यों में भाग लिया और स्वेच्छा से काम पर आने वालों को बलपूर्वक रोका। इसलिये अनुशासन भंग करने वाले 14 श्रमिकों को निलम्बित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध आरोपपत्र तैयार कर लिये गये हैं जिसे लेने के लिये उन्हें बार-बार बुलाया गया पर वे उसे लेने नहीं आये। स्पष्ट है कि किसी भी श्रमिक को काम से नहीं हटाया गया। आरोपों के बारे में उनका उत्तर आने पर प्रत्येक श्रमिक के विषय में गुण अवगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। यदि उनका उत्तर संतोषजनक हुआ तो निलम्बन समाप्त कर दिया जायगा।

जहां तक श्रमिक संघ के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता को काम पर वापस लेने का प्रश्न है, तथ्य यह है कि इनको 24-1-1970 को पूरी आनुशासनिक कार्यवाही विधिवत समाप्त करने के बाद सेवा से निकाला गया था। कुछ समय पहले इनको दूबारा काम पर लेने के लिये इन्होंने एक प्रत्यावेदन दिया था उस पर सहायक श्रमायुक्त ने जांच की थी। यद्यपि उनकी अनुशंसा थी कि इनको दुबारा रख लिया जाय परन्तु उच्चतर विधि सम्बन्धी परामर्श प्राप्त किया गया है और यह विषय शासन के विचाराधीन है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि इस बात का सतत प्रयत्न किया जा रहा है कि कारखाने में औद्योगिक शान्ति बनी रहे और श्रमिकों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जाएं। फिर भी कुछ श्रमिक अवैधानिक हड़ताल करने और अनुशासन को भंग करने पर आमादा हैं। यह कार्यवाही कारखाने और श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है। शासन इस कारखाने की स्थिति के प्रति पूर्णतया जागरूक है और यथास्थिति कार्यवाही की जा रही है।

मैं सदन को विश्वास में लेकर यह भी कहना चाहता हूं कि यह कारखाना बहुत अच्छी प्रकार चलता हुआ नहीं कहा जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां बना सामान कम बिक रहा है। इसके कारण उत्पादन कम करना पड़ता है व पीस रेट श्रमिकों को मजदूरी कम मिलती है और उनमें असंतोष होता है। विभाग प्रयत्नशील है कि इस कारखाने में अन्य नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाय। जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी से बात हो रही है कि वहां बिजली मीटर बनाये जाएं। इसके लिये भारत सरकार को लाइसेन्स का आवेदन पत्र भेजा जा चुका है। इसके साथ भारत सरकार के सुरक्षा उत्पादन मंत्रालय से बात हो रही है कि सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुएं बनाई जायं। मेरी आशा है कि विभाग इस विषयमें शीघ्र ही कुछ ठोस कार्य कर पायेगा। ऐसा होने पर मजदूरों में और संतोष बढ़ेगा।]

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, यह बहुत विस्तृत है इसलिये पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि इस विषय पर विस्तृत रूप से शासन ने विचार किया और यह अंतिम निर्णय लिया जा चुका है कि श्रमिकों को राज्य कर्मचारी बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि उससे कारखाने की आर्थिक स्थिति और उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और फैक्टरी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी मानना उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा ऐसा कारण है जिससे उनको राज्य कर्मचारी घोषित करने में कारखाने के उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, फैक्टरी के कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के काम करने के घन्टे अलग-अलग हैं यह सर्व विदित है। इसलिये इनको राज्य कर्मचारी घोषित करना सम्भव नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यह एक राजकीय उद्योगशाला है और राज्य सरकार द्वारा संचालित उद्योग-शाला है तो क्या कारण है कि आप इनको राज्य कर्मचारी नहीं मान सकते ? क्यों इस सुविधा से आप उनको वंचित कर रहे हैं ? उसका आधार क्या है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, आधार मैंने बता दिया कि बहुत सी राजकीय फैक्टरियां चल रही हैं। जब वहां के कर्मचारी राज्य कर्मचारी नहीं हैं तो यहां के कर्मचारी कैसे राज्य कर्मचारी घोषित किये जा सकते हैं ?

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी में जो राजपत्रित अधिकारी और कर्मचारी हैं, इसी आधार पर उन्हें भी निकालने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जितने राजपत्रित अधिकारी हैं, उनमें से एक पद को तोड़ दिया गया है और जो 1-2 पद और ऐसे हैं उनको भी तोड़ने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, अभी हड़ताल चल रही है और 40 से 45 प्रतिशत कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सा कदम यह सरकार उठाने जा रही है जिससे कर्म-चारी अपनी हड़ताल तोड़ दें और इस यंत्रशाला का कार्य आरम्भ हो जाय ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जो उनकी मुख्य मांगें है उनमें एक मांग को छोड़ कर बाकी मांगों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कबूल किया है कि इस फैक्टरी की हालत खराब है और माल घटिया किस्म का और कम बन रहा है तो क्या इसकी जांच कराई है कि इसका क्या कारण है और कैसे सुधार किया जा सकता है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, घटिया माल का सवाल नहीं बल्कि माल कम बिकता है। इसके सुधार के लिये नये-नये यंत्र बनाये जायं इसके लिये कोशिश कर रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस फैक्टरी का प्रबंध किसी कारपोरेशन, किसी कम्पनी या सरकारी विभाग द्वारा होता है '?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ?

श्री राम गोपाल सण्ड—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि उनकी सारी मांगे मान ली गई हैं, तो उनको राजकीय कर्मचारी घोषित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कह तो दिया कि गवर्नमेंट ने उनकी तीन मांगे मान ली हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना मिली है माननीय विश्वनाथ कपूर, वंशीधर पांडेय, राम बिलास पांडेय तथा चन्द्रमोहनसिंह नेगी की नागला बंधिक ग्राम (मथुरा) में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के संबंध में है। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, कर्मचारियों वाला मामला कितने बजे लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

शाम को 5 बजे। यदि समय मिल गया तो पहले भी हो सकता है।

श्री त्रिलोकचन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैंने भी बुलन्दशहर में चेचक के विषय में एक सूचना दी थी जो 3–4–72 को आज वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुई थी। लेकिन उस पर वक्तव्य नहीं आया। उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप मिल लीजिये। हम देखेंगे कि क्या हुआ।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मैं क्षमा याचना करते हुए कोशिश करूंगा कि आप कहीं बिगड़ न जायं। मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि तमाम माननीय सदस्यों के अधिकार बराबर हैं। लेकिन हम देखते

[श्री शिवकुमार पण्डेय]

हैं एक आध सदस्य ऐसे हैं जिनको आप 10-10 बार मौका देते हैं। और हम लोग बराबर खड़े होते हैं लेकिन फिर भी मौका नहीं देते हैं। आपने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या कहने वाला हूं। मैं बैठा ही रह गया और जब तक निर्णय हो गया। मुझे विश्वास है कि आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करेंगे। क्या वजह हैं कि हम 10-10 बार खड़े होते हैं लेकिन हमे मौका नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका यह प्रश्न ऐसा है जो स्वयं में उत्तरित है। वह अपने से ही पूछिये कि जो माननीय सदस्य खड़े होते हैं उनको मैं समय देता हूं। यह व्यवस्था का प्रश्न व्यवस्था में अव्यवस्था लाने की कुचेष्टा लगता है। माननीय शिवकुमार पांडेय जी का कोई प्रश्न नहीं था, जिनका प्रश्न होता है और जिन पर मेरी नजर पड़ती है उनको समय दिया जाता है।

1972-73 के आयव्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस समान्य चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण मैंने सुना और देखा कि चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के हों, इस बात को सबने स्वीकार किया है कि दुर्भाग्यवश आज देश की प्रगति की दौड़ में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि 1968-69 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 256 और 1971-72 में 265 होने का अनुमान है लेकिन अखिल भारतवर्षी आय जो 1968-69 में प्रति व्यक्ति 329.9 थी वह 1969-70 में बढ़कर 339.4 हो गयी। एक वर्ष में ही पूरे देश में 10 रुपया प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ गयी लेकिन उत्तर प्रदेश में तीन वर्षों में जाकर 256 से 265 ही हो पायी।

आज भी माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था खेती पर निर्भर करती है। खेती पर दिन ब दिन भार बढ़ता जा रहा है और औद्योगीकरण नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 56.3 प्रतिशत आय का योगदान कृषि से है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण के पिछड़ेपन का क्या कारण है? सबसे पहले स्टेट, स्टेटरिआर्गेनाइजेशन कमीशन के चैयरमैन श्री के०एम० पन्नीवार ने यह बताया था कि उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा प्रदेश है। तो बजाय इसके कि प्रदेश का औद्योगीकरण करते, प्रदेश के शासकों ने केन्द्र पर दोषारोपण किया। उन्होंने अपने कार्यकलापों को नहीं देखा केवल केन्द्र की गलतियों के लिये शोर मचाया। यह सही है कि केन्द्र ने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की, जितनी सहायता उसको केन्द्र से मिलनी चाहिये थी, उतनी नहीं मिली लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के शासकों ने, चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, कौन सी कोशिश की उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने की और प्रदेश का औद्योगीकरण करने की। मिसाल मौजूद है, यहां के शासकगण सदा उदासीन ही रहे। सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में, जिन्होंने सबसे पहले केन्द्र के खिलाफ नारा लागाया था, उत्तर प्रदेश को केन्द्र की ओर से 3 करोड़ रुपया की धनराशि दी गयी छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिये। अब उस 3 करोड़ रुपया का बटवारा किस प्रकार से हुआ? 50 लाख

---

†6 अप्रैल, 1972 की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया राम रतन गुप्ता को दे दिया गया, 90लाख रुपया जे०के०सिन्थेटिक्स को दे दिया गया और 1.60 करोड़ रुपया शांति प्रसाद जैन को दे दिया गया। भला फिर उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण कैसे होगा जब कि केन्द्र के दिये हुए रुपये की जो बटवारा होता है, वह इस प्रकार से हो जाता है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सारा रुपया दे दिया जाता है और छोटे अथवा मध्यम कोटि के उद्योग स्थापित नहीं किये जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण किस प्रकार से होगा ?

दिल्ली में एक सेमीनार नवम्बर, 71 में हुआ था। उस सेमीनार में भारत सरकार के मंत्री श्री आई० के० गुजराल ने बताया कि उत्तर प्रदेश की 'तीसरी योजना में 619 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता के रूप में केवल आवासों के निर्माण हेतु दिया गया था लेकिन उत्तर प्रदेश के शासन ने केवल 240 करोड़ रुपया ही खर्च किया और 2/3 से अधिक धनराशि केन्द्र को लौटा दी। उसी सेमीनार में श्री शाहनवाज खां ने बताया कि अल्मोड़े के अन्दर एक कारखाना खोलने की योजना के लिये स्वीकृति दी गयी और हिन्दुस्तान स्टील ने सन् 62 में उसके लिये दरख्वास्त दी। लेकिन उस दरख्वास्त पर यह सरकार आज तक कोई निर्णय नहीं ले सकी है कि वहां कोई कारखाना खोला जायगा या नहीं।

तीसरी मिसाल यह है कि पिछले दस वर्षों में पूरे भारत में नये उद्योगों को खोलने के लिये जितने प्रार्थनापत्र आये उनमें से उत्तर प्रदेश के केवल 3.3 प्रतिशत ही थे। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश और उससे केवल 3.3 प्रतिशत ही प्रार्थनापत्र जायं। फिर आप किस मुंह से केन्द्रीय सरकार को कहते ह कि हमें जनसंख्या के आधार पर रुपया दीजिये। मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रार्थना पत्र जनसंख्या के आधार पर पहुंचे उनमें से कितने इस सरकार ने रिकमेंड कर के केन्द्रीय सरकार को भेजे। सन् 1969 में पूरे प्रदेश में 3300 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, उसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने 120 ही प्रार्थना-पत्र रिकमेंड किये। सन् 70 में निजी क्षेत्र में 200 इकाइयों के लिये प्रार्थना पत्र भेजे लेकिन उनका भी क्या हश्र होता है। होता यह है कि उन पर केन्द्रीय सरकार एतराज करती है कि जो प्रार्थना पत्र केन्द्र को भेजे गये है उनमें इस बात का जिक्र भी नहीं कि उद्योग कहां खुलेंगे, कितने आदमियों को उन में काम मिलेगा, कितनी पूंजी उनमें लगेगी और नतीजा यह हुआ कि वह सब प्रार्थना पत्र यहां वापस आ गये। जबतक आपका उद्योग विभाग है और जब तक आप उसमें ताल नहीं डालते प्रदेश का औद्योगीकरण नहीं हो सकता, वे खुले आम रिश्वत और भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं, जहां से बिना रिश्वत लिये हुए एक भी प्रार्थना पत्र आगे नहीं बढ़ सकता। यह इन के उद्योग विभाग की हालत है।

प्रदेश के पर्वतीय अंचल की स्थिति तो और भी खराब है। हमारे वित्त मंत्री महोदय पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं। सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैंकि केवल कृषि के आधार पर पर्वतीय अंचल का विकास नहीं हो सकता, वहां का औद्योगीकरण नितान्त आवश्यक है। यदि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाय तो जितना कच्चा माल वहां मिल सकता है, जितनी मैन पावर वहां उपलब्ध हो सकती है और उसके द्वारा जितना औद्योगिक विकास उस अंचल का हो सकता है देश के अन्दर और किसी क्षेत्र का इतना विकास नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक पर्वतीय लोगों का पोषण बाहर के लोगों ने और ठेकेदारों ने हर तरह से किया है। बाहर के ठेकेदारों ने नौकरशाही के साथ मिल कर वहां के जितने कुदरती साधन थे उनकी खुली लूट की है लेकिन आज वहां की स्थिति और भी गम्भीर है जबकि इन्दिरा जी के समाजवाद की बात की जाती है। मानोपलीज कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है कि किस तरह से साधनों की लूट बाहर के बड़े लोगों के जरिये से की जाती है। अभी तक तो केवल ठेकेदार ही वहां की लूट करते थे लेकिन अब जो देश के बड़े पूंजीपति हैं वह अपना अड्डा वहां बना रहे हैं। अलमोड़ा में मैंगनेसाइट का कारखाना खुल रहा है। प्रोफेसर बलजीत सिंह का कहना था कि प्रदेश के लिये यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे कारखानें खोले जायं लेकिन सरकार ने यह कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में न दे कर अकेले टाटा को दिया है जिसके 49 प्रतिशत शेयर होंगे और सरकार के 51 प्रतिशत होंगे और वह कलकत्ते से आकर पहाड़ की लूट करेंगे। आप कहते हैं कि बोर्ड आफ

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

डायरेक्टर 51 प्रतिशत के हिसाब से हमारे होंगे लेकिन क्या यह स्थिति न होगी कि टाटा के डाइरेक्टर्स के सामने वह गुलाम बन कर रहेंगे और वह इतने योग्य न होंगे जितने उनके डाइरेक्टर्स हैं, वह उनके सामने बोल भी नहीं पायेंगे। ठीक जिस तरह से ओबरा में और मिर्जापुर में आप के इंजीनियर्स बिरला के गुलाम बन कर रह रहे हैं। पहाड़ की तराई में इकलिप्टस के प्लान्टेशन की बात है। टेहरी से नैनीताल की टनकपुर की तराई तक एकलिप्टस का प्लान्टेशन होगा। वह ठेका भी बिरला जी को ही दिया जाने वाला है। मेगनासाइट का टाटा को दे दिया गया, यह बिरला जी को दे रहे हैं वह इकलिप्टस सिनथेटिक के लिये ले जायेंगे। जो देश के बड़े-बड़े पूंजीपति हैं वे सब पहाड़ में ले जाकर बिठाये जा रहे हैं।

बिरला टाटा के अलावा एक और बड़ी फर्म है वालचन्द हीराचन्द जिनकी फर्म हिन्दुस्तान कांस्ट्रक्शन के नाम से काम करती है, जिसके पास बड़े बड़े ठेके देश में बड़े बड़े कामों के हैं। मनेरी माली परियोजना और टेहरी बांध योजना जो पर्वतीय प्रदेश में चलेंगी उन का ठेका भी इन्हीं वालचन्द हीराचन्द की फर्म हिन्दुस्तान कांस्ट्रक्शन को दिया जा रहा है। जो ठेकेदार अभी तक वहां काम करते थे वे तो टेहरी के और पर्वतीय अंचल के लोकल लोगों को ही लगाते थे और वहीं के लोग ट्रांसपोर्ट आदि का कार्य करते थे लेकिन अब वह निर्माण का कार्य और ट्रांसपोर्ट का कार्य वही लोग करेंगे और पहाड़ के लोग इस तरह से बेरोजगार होंगे और उनका शोषण होगा। लेबर कहां से लायें। पहाड़ की लेबर को नहीं रखेंगे। जमशेदपुर और बिहार से लायेंगे। और उन्हें 2 और 2 1/2 रुपया प्रति दिन देंगे इस सदन और पर्वतीय विकास परिषद में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य होंगे, उनमें जो अनस्किल्ड लेबर रखी जायगी वह उसी इलाके से होगी लेकिन देखा जाता है कि जो बड़े बड़े ठेकेदार बाहर से आ रहे हैं वे अपने साथ लेबर लाते हैं और ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी लिपिक और मजदूर भी वे मैदानों से ला रहे हैं। पहाड़ों की जनता को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है।

दूसरे सहारनपुर की स्टार पेपर मिल बिजोरिया साहब की है। वे भी आज तीसरे शोषण करने वाले पहाड़ वालों के हैं। जिस प्रकार से यहां पर आज आप बिरला साहब को 2 पैसे से कम पर सस्ती दरों पर बिजली दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप पहाड़ी आंचलों में देखिये। बिजोरिया साहब को आज आप 44 पैसे पर क्युविक भिट पर वह लकड़ी दे रहे हैं जो बाजार में 6 रुपये से 9 रुपये प्रति क्युविक किट पर बिक रही है। वहां के किसानों को जो वनों की रक्षा करते हैं, उनको 3 रुपये क्यु० फुट पर मिलती लेकिन बिजोरिया साहब को आप 44 पैसे के हिसाब से टेड़ी मेढ़ी कह कर दे रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी के नाम पर आज आप के जंगल के अधिकारी भ्रष्टाचार करके टेढ़ी मेढ़ी के नाम पर सीधी लकड़ी सहारनपुर भेज देते है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप स्टार पेपर मिल को न दें लेकिन आप यह क्यों नहीं करते कि पहाड़ की जो सम्पत्ति है उसकी पल्प बनाने के लिये आप पहाड़ी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करें ताकि उस इलाके में भी उद्योग संभव हो सके और जो और उद्योग हैं उनको भी फायदा हो सके।

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बड़े जोर से कहा कि हम पर्वतीय अंचल के लिए 18 करोड़ देने जा रहे हैं जो कि प्रदेश के अन्दर 8.5 होता है। जब वित्त मंत्री जी नहीं थे तीसरी पंचवषीय योजना में उस समय पर्वतीय अंचल को 9.8 प्रतिशत का अनुदान दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य है वह 10.5 प्रतिशत का है लेकिन आपने इस वर्ष की योजना में जब कि आप पर्वतीय विकास परिषद के भी मंत्री बन चुके हैं, आपने पर्वतीय विकास के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बातें कहीं हैं लेकिन बजट घटाकर 8.5 कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो 18 करोड़ रुपया आपने दिया है कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र से आपको 22 करोड़ की आमदनी होती है। 1967–68 में पर्वतीय अंचल से आपको 12 करोड़ रुपये की आमदनी हुयी है। 22 करोड़ की आप हमसे रेवेन्यू लेते हैं और 8 करोड़ देते हैं तो आप कौन सा बड़ा अहसान वहां की जनता पर करना चाहते हैं।

मैं बड़े अदब के साथ कह देना चाहता हूं कि हिमालय को कश्मीर से लेकर मिजो हिल्स तक पूरे पर्वतीय अंचल को देखें। जहां जहां इस क्षेत्र के अन्दर पर्वतीय अपना राज्य रहा, वहां की फीगर्स हमारे सामने हैं और हम जो मैदानी जिलों से जुड़े हुये हैं, उनकी फीगर्स भी हमारे सामने है। हिमालय में पश्चिम से लेकर पूर्वी इलाके तक आप देखें। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 75 लाख 60 हजार। वहां पर दूसरी प्लान में 62 करोड़ रुपया खर्च किया गया चौथी प्लान से बढ़ गया 162 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति वहां व्यय होता है 545 रुपये। हिमाचल प्रदेश निकटवर्ती राज्य है जिसकी जनसंख्या है 28 लाख 4 हजार और थर्ड प्लान में खर्च किया गया 59 करोड़ रुपये और चौथी प्लान में 96 करोड़ रुपये। और वहां की प्रति व्यक्ति व्यय की धनराशि है 337 रुपये। मेघालय को लीजिये। वहां की आबादी 3,36 हजार है। थर्ड प्लान में खर्च होता है 9 करोड़ रुपये और चौथे प्लान में वहां 66 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति व्यय है वह है 478 रुपये। इसी तरह से नागालैण्ड को लीजिये। वहां की आबादी है 3,69 हजार। थर्ड प्लान में खर्च हुआ 11 करोड़ रुपये और फोर्थ प्लान में 30 करोड़ रुपये। प्रति व्यक्ति औसत है वहां 812 रुपये। इसी तरह से त्रिपुरा को देखिये। वहां की आबादी है 11,22 हजार। थर्ड प्लान में खर्च हो रहा है 16 करोड़ रुपये और चौथे प्लान में वहां का खर्चा 31 करोड़ रुपये हो जाता है। प्रति व्यक्ति औसत व्यय है 271 रुपये। अब मनीपुर को लीजिये। वहां की आबादी है 7,80 हजार। थर्ड प्लान में 13 करोड़ रुपये रक्खे गये थे और चौथे प्लान में 24 करोड़ हो जाते हैं। वहां की प्रति व्यक्ति व्यय 322 रुपये है। अब अपने प्रदेश का पर्वतीय अंचल को लीजिये। वहां की आबादी है 31,06 हजार और थर्ड प्लान में व्यय है 56 करोड़ रुपये का और चौथे प्लान में वह बढ़ कर हो जाता है 65 करोड़ रुपये। प्रति व्यक्ति की औसत खर्च है 180 रुपये।

श्रीमन्, इस पर गम्भीरता से विचार करें। हमारे प्रदेश के अन्दर चिन्तन चल रहा है। तमाम बुद्धिजीवियों में, और कांग्रेस के अंदर भी चल रहा है और इसमें जो संगठन कांग्रेस है वह भी शामिल है। हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी इस विषय पर चिन्तन कर रहे हैं। कहीं भी तो उन्हें पर्वतीय अंचल के रहने वालों को यह मालूम हो सके कि हम भी उत्तर प्रदेश के अंग हैं, जहां-जहां अलग-अलग राज्य मनीपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू काश्मीर का अपना अस्तित्व है उन सबने अपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्स्प्लाइट किया जनता की बेहतरी के लिये। परन्तु हमारी सरकार ने यहां की वन सम्पदा को टाटा और बिरला को लूटने के लिये भेज दिया है। बिजोरिया को इसके लिये भेज दिया है। वालचन्द हीराचन्द हमारे प्रदेश की वन सम्पदा को लूट रहे हैं। आप बंगाल को और बांगला देश को मत भूल जाइये। यही हुआ था वहां भी। पश्चिमी बंगाल वालों ने पूर्वी बंगाल का शोषण किया। तो कहीं ऐसा न हो कि पर्वतीय राज्य के बारे में जो धारणा चल रही है उसको आप बलवती न करें। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार का यही रवैया रहा, अगर हमारी सरकार सजग नहीं होगी तो पृथक पर्वतीय राज्य की मांग जोर पकड़ती जायेगी। क्योंकि हमारे सामने दृष्टान्त हैं उन राज्यों के जहां पर अपने आप जनता उन क्षेत्रों पर शासन कर रही है। मुझे उम्मीद है कि शासन समय रहते चेतेगा। जो समाजवाद की बात करते हैं वे पर्वतीय अंचल के अन्दर पूंजीपतियों को शोषण के लिये भेजेंगे। पर्वतीय अंचलों के अन्दर वन सम्पदा और प्राकृतिक साधनों को विघटित करके क्या शासन इसको सुधारेगा। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी तथा शासन से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न को गम्भीरतापूर्वक लें।

*श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 72–73 के बजट पर बोलने का मौका दिया है। इस बजट को देखकर और वित्त मंत्री जी के भाषण को सुनकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यह यथार्थ के धरातल पर न होकर कवि की कल्पना है और आम जनता के लिये भुलावा है । शब्द बहुत अच्छे हैं। 12,13,15 कारपोरेशन खोलने की बात कही गयी है और आंकड़े भी इस तरह से प्रस्तुत किये गये हैं कि मानों ऐसा प्रतीत हो कि बहुत बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं और भाषा का प्रयोग भी इस तरह से हुआ है जिससे यह मालूम हो कि इस पर विचार किया जायेगा,इसके लिये योजना बनाई जा रही है, हम कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं और इस तरह से कहकर एक बहुत लम्बा और चौड़ा कई पेज का बजट तैयार कर हमारे सामने रख दिया जिससे मुझे कम से कम बहुत निराशा हुई । निराशा इस कारण से हुयी कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले वर्ष हमारी वार्षिक योजना 218 करोड़ की थी और इस साल उनके लिये ज्यादा से ज्यादा बढाना जो संभव था बढ़कर 225 करोड़ 28 लाख कर दी । इस धनराशि में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा हिस्सा अन्तरिम सहायता का है और अगर उस निकाल दिया जाय और अन्य मदों को निकाल दिया जाय तो जो विकास कार्य के लिय खर्च होना है उसमें कमी हुयी है, बढोत्तरी नहीं । इस तरह से पर कैपिटा,इनकम की बात कही गई है कि 265 रुपये हो जाने का अनुमान है 256 से । होगी कि नहीं, यह नहीं कहा जा सकता कवल अनुमान है ।

इस तरह से पिछले वर्ष बजट में घाटा था । इस साल भी 60 करोड़ 68 लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है । उस घाटे को पूरा करने के लिये कुछ साधन भी बताये गये हैं कि 6 करोड़ रुपया लगभग ग्रामीण विकास निधि से आयेगा, 50 लाख रुपया शराब की दूकानों के नीलाम से आयेगा और 6 करोड़ रुपया करों की कड़ाई से वसूली से आयेगा और इस तरह से साढे 12 करोड़ रुपया पूरा होने के बाद 48.10 करोड़ रुपये का घाटा रह जायेगा । घाटे का बजट कम से कम विकासशील देश के डेवलेपिंग एकोनामी में इस बात का द्योतक माना जाता है कि प्रदेश में प्रगति हो रही है, किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जब-जब घाटे का बजट पूरा किया गया, तब-तब यह आश्वासन भी दिया गया कि इस घाटे को पूरा किया जायेगा अपने संसाधनों से। किन्तु वर्ष के अन्त में न इसका प्रयास किया गया और वह घाटे का बजट भी सरप्लस हो गया । इसका क्या कारण था ? इसका कारण था कि करोड़ रुपया उन मदों में, उन विभागों के क्रियाकलापों पर खर्च नहीं हो पाया, लैप्स हो गया और सरप्लस की पोजीशन आ गई । घाटे की योजना इसलिये बनाई थी कि अधिक खर्चा करेंगे संसाधनों को जोड़ने के बाद और नतीजा यह होता है कि योजना और पीछे चली जाती है । पिछले बजट के समय भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम घाटे को पूरा करेंगे और यह घोषणा की थी कि सन् 1969 तक सारे प्रदेश में गांवों में विद्युतीकरण कर देंगे, वह योजना भी पीछे रह गई है ।

श्रीमन्, इस बजट में अलग से जो पिछड़े हुये इलाके हैं, उनके बारे में कहा गया है जिनमें 15 पूर्वी जिले हैं, कुछ बुन्देलखंड के हैं और पहाड़ों के हैं । कुल मिलाकर 27 जिले हैं और यह कहा गया है कि इन पिछड़े हुये इलाकों के लिये अधिक धनराशि का प्राविधान किया गया है। केवल योजना 225 करोड़ रुपये की है और अगर 27 जिलों का योग मिलाकर देखा जाय तो कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपया होता है जो कि 225 का आधा भी नहीं है । लेकिन बहुत से कारपोरेशन खोलने के लिये कहा जा रहा है । जहां तक कारपोरेशन खोलने का संबंध है ।

(इस समय 1 बजे अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविन्द खेर पीठासीन हुये ।)

इसमें दो राय नहीं हैं कि कई संस्थानों को चलाने के लिये कारपोरेशन एक अच्छी चीज है, वह अच्छी हो सकती है यदि उसमें एफीशियेंसी आती है, बिजनेस पैटर्न पर वह चलता है । आपने हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन खोला । उसमें पैकेज प्रोग्राम्स चलाये गये । साल भर में 45 लाख रुपये का घाटा दिया । फलों का प्रोग्राम चलाया गया, कितना फायदा हुआ, 45 लाख का घाटा उठाना पड़ा । जो आपके इक्जिस्टिंग कारपोरेशन्स हैं जैसे स्माल इंडस्ट्री

कारपोरेशन आदि कोई भी उसमें ऐसा है जो कायदे से चल रहा हो । 90 प्रतिशत घाटे पर चल रहे हैं । उनमें एफीशियेंसी नहीं है । इसका कारण यह है कि आप उसी गवर्नमेंट मशीनरी को वहां पर भी काम में लाते हैं, उससे ही वहां पर काम करवाते हैं । कैसे फायदा होगा ? काम करने का तरीका वही, न तो प्रोडक्शन बढ़ा और न इफीशियेंसी ही बढ़ी । फायदा कैसे हो ? जैसे कि हमारे भाई गोविन्द सिंह नेगी ने बताया कि हमारे यहां सालों तक एप्लीकेशन्स पड़ी रहती हैं, कोई काम आगे नहीं बढ़ता है । हमारे यहां रोड्स के लिये रुपया मंजूर हुआ लेकिन टेक्निकल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन्स नहीं मिली, स्टीमेंट्स नहीं बने, फलतः रुपया लैप्स हो जाता है। यह रुपया हमारे यहां 71–72 के लिये मंजूर हुआ था, बराबर अधिकारियों से मिलने के बाद, वित्त मंत्री से मिलने के बाद उसकी सैंक्शन नहीं आई । वह वर्ष तो समाप्त हो गया और अब तो वह साल भी गया और दूसरा बजट वर्ष आ गया । क्या हो रहा है इसको देखें ?

इर्रीगेशन प्रोजक्ट्स की बात भी देखिये । हमारे यहां रामगंगा परियोजना और पंजाब में व्यास परियोजना का काम करीब-करीब एक साथ आरम्भ हुआ था । पंजाब का काम 3 वर्ष पूर्व ही पूरा हो गया और हमारे यहां वाली परियोजना पर अभी 3 वर्ष और लग जायेंगे । 75 करोड़ रुपये से लागत का अन्दाजा लगाकर काम आरम्भ किया गया था जो बढ़ते-बढ़ते अब 159 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। धामपुर में सीमेंट डम्प करने के लिये डढ करोड़ की लागत से स्टेशन बनाया गया । उसका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया । कालागढ़ फ्यूअल इन्जेक्शन का काम हल्द्वानी और मुरादाबाद से करवाया जाता है। गैस रिफिलिंग का काम हो सकता है दिल्ली से जो नजदीक है लेकिन करवाया जाता है बनारस से । 14 हजार रुपयों के चांदी के प्वाइंट्स चोरी चले गये और चार चौकीदारों को मुअत्तल कर दिया गया । ताला इन्टैक्ट है लेकिन वह चोरी हो गये । इसी प्रकार से हमारे यहां रुपये का दुरुपयोग हो रहा है । देर होने से कीमतें बढ़ती जा रही हैं और दिखाने के लिये हमारा बजट भी बढ़ जाता है परन्तु उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है ।

दूसरी तरफ मद्यनिषेध की बात भी कही जाती है । गरीबों के कल्याण के लिये महात्मा गांधी ने इसकी बात हमारे समक्ष रखी थी क्योंकि वह इसकी सर्व प्रथम आवश्यकता समझते थे लेकिन गांधी जी के बाद उनका असर भी जाता रहा और हमारा शासक दल इसको एक प्रकार का रुढ़िवादी विचार समझने लगा । यह कहा जाता है कि इसको करने से हमारे रेवेन्यू का नुक्सान होगा और इसी प्रकार से अन्य दलीलें भी दी जाती हैं । शासन की नीति इस विषय में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जानी चाहिये । आपने तीन जिले ड्राई कर दिये परन्तु उससे मिले हुये जिले ड्राई नहीं किये गये वे खुले ही रहे क्या आप समझते हैं कि आप उसको रोक सकेंगे तो यह प्रतीकात्मक तरह की बात से इस देश का भला होने वाला नहीं है । इससे मद्य निषेध नीति का भी पालन होने वाला नहीं है इसलिये आप स्पष्ट फैसला लीजिये, करेंगे अथवा नहीं करेंगे । और उसके अनुरूप काम कीजिये । हरियाना सरकार ने पब्लिक सेक्टर में एक ब्रेवरी खोली है। आज सवाल यह है कि बहुत से लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं । कानपुर, दिल्ली और मुरादाबाद में बहुत से लोग मर चुके हैं तो आपको इस पर विचार करना चाहिये । आज आप जहां शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की बात करते हैं, बड़े-बड़े उद्योग नेशनलाइज करने की बात करते हैं, तो मद्य को नेशनलाइज क्यों नहीं करते हैं । आप बड़ी बड़ी डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज को नेशनलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं ताकि उन पर पूर्ण नियंत्रण आप का रहे । आपके विभाग का फैलाव हो और अधिक राजस्व मिले और असर भी बढ़े ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से हमारे यहां बाढ़ चली आ रही है और बार-बार यह कहा जाता है कि 51 जिलों में बाढ़ आई है, 3 में नहीं आई है । चमोली में आई है और गढ़वाल जो उसके नीचे है, उसमें नहीं आई है। तो हमको यह राहत भी नहीं मिली है। चमोली में अलखनन्दा में बाढ़ आई । हमारे मोटर बह गये, खेत बह गये और करोड़ों रुपये आपने

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]

गंगा कैनाल की रेत निकालने में लगाये । तो बाढ़ के लिये आप टेम्परेरी पालिसी क्यों अख्तियार करते हैं । जो चमोली में बाढ आई थी उससे वहीं नुकसान नहीं हुआ था। गंगा कैनाल में रेत भर जाती है और करोड़ों रुपया आपको व्यय करना पड़ता है। तो मलवा निकालने के बजाय आप रुपया एफोरेस्टेशन पर व्यय करें तो कटाव अधिक न हों । जो जमीन कट गई है उसका अगर संरक्षण नहीं हो सकता है तो जमीन तब्दील करा दें । उन लोगों को जंगल से जमीन दिलवा दें । उन लोगों के गांव और जमीन जंगल विभाग में चले जायं । उत्तर प्रदेश की फ्लड कंट्रोल योजना में यह आवश्यक होना चाहिये कि यहां के सभी पहाड़ी जिलों में एफोरेस्टेशन होना चाहिये । फ्लड स्टेशन होने चाहिये जिससे तुरन्त इसकी सूचना मिल सके । चमोली की बाढ़ की खबर आल इंडिया रेडियो से दो दिन बाद प्रसारित हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी पंचवर्षीय योजनायें बनी हैं उनकी फाल्टी प्लानिंग रही है । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है लेकिन बेरोजगारी में वृद्धि होती चली जा रही है । इस प्रदेश में लगभग 24 प्रतिशत बेरोजगारी और बढ़ गयी है । अगर तीन करोड़ बंगाल में मैट्रीकुलेट बेकार हैं तो उत्तर प्रदेश में दो लाख बिला नौकरी के हैं । बेरोजगारी में इस प्रदेश का नम्बर दूसरा है । यह बड़ी भयावह स्थिति है । इसलिये श्रीमन्, जो हमारा, इस मुल्क को एक मजबूत मुल्क बनाने का स्वप्न है, अगर इस बेरोजगारी की समस्या को दूर न किया गया, तो वह स्वप्न नष्ट हो जायेगा । सीलोन में जहां भंडारनायक को भारी बहुमत मिला था, वहीं नौजवनों ने रेवूल्यूशन करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है । उनकी आशायें और आकांक्षायें पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिये अगर इस देश और प्रदेश को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस बेरोजगारी के रोग को दूर करना होगा ।

इस बजट में प्रथम पृष्ठ पर कहा गया है कि हमने बंगला देश का निर्णय लिया। बहुत अच्छा काम हुआ । विधान सभा के चुनाव में यह नारा था कि हमारे नेता ने सभी वायदे पूरे कर दिये, मुजीबुर्रहमान को छड़ाया, बंगला देश आजाद कराया । लेकिन जो पुराना नारा गरीबी हटाने का था, उसका कोई उल्लेख नहीं, उसको नहीं हटाया जा सका ।

अध्यक्ष महोदय, पर्वतीय जिलों के बारे में श्री गोविन्द सिंह नेगी जी ने बहुत सी बातें बतायीं, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं । मान्यवर, आज पहाड़ी जिलों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है । श्रीमन् मैं सिर्फ एक मिनट कहकर समाप्त करता हूं । श्रीमन्, पहाड़ी जिलों के लिये एक छोटा-सा स्टेट बना देने से वहां का काफी कल्याण हो जायेगा, उनका काफी आर्थिक उत्थान होगा और वे उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होंगे । दुनिया के किसी भी मुल्क में चार करोड़ से ज्यादा आबादी का कोई स्टेट नहीं है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इन जिलों के उत्थान के लिये वहां स्टेट कायम करना नितांत आवश्यक है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण में लोकसभा की परिपाटी को इस विधान सभा में पहली बार अपनाने पर वर्तमान वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

थोड़े समय के लिये वोट-आन-एकाउन्ट मांगकर तुरन्त आय-व्ययक पर चर्चा प्रारम्भ कर देने की परिपाटी से 31 मार्च तक आय-व्ययक को स्वीकृति देने की उजलत के दबाव से छुटकारा मिल जाता है और आय-व्ययक पर सावधानी से चर्चा करना सम्भव हो जाता है ।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि भविष्य में भी इस परिपाटी को अपनाया जाय, इसी प्रकार का निर्णय यह आदरणीय सदन ले ।

राज्य आय-व्ययक में श्रीमन्, विभागीय परफारमेंस बजट को सम्मिलित करने का श्रीगणेश करने के लिये भी मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। Performance Budget के महत्व को दर्शाने के लिये मैं एक मिसाल सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं । श्रीमन्, जब मैं पी० ए० सी० का चेयरमैन था, तो मुझे याद है, फिशरीज डिपार्टमेंट की योजना का मसला जो समिति के सामने आया। उस स्कीम के अन्तर्गत यह विधान सभा, वर्ष प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष से अधिक धनराशि स्वीकृत करती गयी लेकिन पांच वर्ष में किसी भी वर्ष एक रुपया भी खर्च नहीं हो सका और कोई कार्य नहीं हुआ। Performance Budget की प्रथा के बाद ऐसी भूल सदन से नहीं होगी । परफारमेंस बजट के संबंध में हमें तीन सुझाव देना है । प्रथम सुझाव है कि विभागीय परफारमेंस बजट हर विभाग के संबंध में आना चाहिये । वर्तमान बजट में केवल पांच विभागों का परफारमेंस बजट दिया गया है। मेरी आपत्ति है कि यह हर विभाग के संबंध में होना चाहिये था। दूसरा यह कि परफारमेंस बजट प्रशासकीय विभागों द्वारा तैयार नहीं किया जाना चाहिये वित्त विभाग के अन्दर एक अलग से अनुविभाग इससे ही संबंधित होना चाहिये जो इसे तैयार करे । और 4 त्रैमासिक के आधार पर परफारमेंस बजट तैयार होना चाहिये ताकि हमें यह मालूम हो सके कि हर क्वाटरली में कितना खर्च हुआ । देखने में यह आता है कि साल के अन्त में ही अधिकतर रुपया खर्च होता है । अभी हमको यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि कब कितना काम हुआ और कितना कब खर्च हुआ । इसलिये अगर यह क्वार्टरली बेसिस पर तैयार होगा तो यह जानकारी भी आसानी से प्राप्त हो सकेगी । तदनुसार ठीक मूल्यांकन पर फिर विभाग की सही आलोचना भी की जा सकेगी ।

विभिन्न सरकारी विभागीय आर्थिक कार्य कलापों को माननीय वित्त मंत्री जी ने नौकरशाही, लालफीताशाही तथा फाइनेंशियल हैंडबुक से निजात दिलाने के लिये विभिन्न कारपोरेशन्स की स्थापना की घोषणा की । यह बहुत अच्छी योजना है, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं । लोकतंत्र के अन्दर इस तरह की पब्लिक टेकिंग्स की स्थापना होना चाहिये । लेकिन इसका अमल मुश्किल भी है, इसमें खतरा भी है इन कारपोरेशन्स के कार्य संचालन की क्षमता पर लोगों की लोकतंत्र की आस्था निर्भर करती है। इन कारपोरेशन्स की स्थापना के संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा वे इनका निर्माण तथा कार्य संचालन आदि के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की ओर भी ध्यान देने की कृपा करें । यह सिफारिशें संबंधित रिपोर्ट के चैप्टर 3 में 1(1), (1) 2(1) 3(1) 4, 8 और 12 नम्बर पर हैं। यह अंग्रेजी में हैं, इनको पढ़ने तथा उनका हिन्दी अनुवाद करने में समय लगेगा, इसलिये मैं उनका सारांश ही निवेदन किये देता हूं । सिफारिश यह है कि जब किसी ऐसे कारपोरेशन की स्थापना करनी हो जिसमें पूरा सरकार का ही रुपया हो तो उसे किसी अधिनियम के द्वारा करना चाहिये, सरकारी आदेशों द्वारा नहीं । मसलन बजट भाषण में एक ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना की बात कही गयी है । उसमें पूरा रुपया सरकार लगाने जा रही है, तो इसकी स्थापना के लिये सरकार को एक विधेयक सदन में लाना चाहिये और उसके द्वारा उसकी स्थापना होना चाहिये । ऐसी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स जिनमें सरकार का भी रुपया लगा हो और प्राइवेट सेक्टर का भी रुपया लगा हो उसकी स्थापना कम्पनी ला के अन्तर्गत हो सकती है । इस के अतिरिक्त यदि कुछ अन्डरटेकिंग्स का विषय एक सा ही हो, जैसे चुर्क की सीमेंट फैक्टरी और डल्ला की सीमेंट फैक्टरी, इनके लिये एक ही कारपोरेशन बनाया जा सकता है और सेक्टर कारपोरेशन्स की स्थापना आप कर सकते हैं ।

एक सिफारिश यह भी है कि इनका चेयरमैन संबंधित मंत्रालय का कोई उच्च अधिकारी वगैरह को नहीं बनाना चाहिये, बल्कि उसे गैरसरकारी सदस्य होना चाहिये । इसी प्रकार बोर्ड आफ मैनेजमेंट में भी संबंधित सचिवालय का कोई सचिव नहीं होना चाहिये । मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस समय जो कारपोरेशन्स हैं उनके चेयरमैन तथा बोर्ड आफ मैनेजमेंट को इस सिफारिश के अनुसार बदला जाना चाहिए दूसरी

[श्री शिवराज सिंह]

महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष के अन्दर लोक सभा की और उसी प्रकार से विधान सभा को समय जरूर देना चाहिये, जिसमें जितनी अन्डर-टेकिंग्स हैं, जितने कारपोरेशन्स हैं उन सबके बारे में चर्चा हो जाये। श्रीमन् आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के संबंध में, कई दफा प्रयास किया गया कि उसकी चर्चा इस सदन में हो जाये, लेकिन खेद है कि 19 वर्ष के कार्यकाल में जब से मुझे इस सदन का सदस्य होने का मौका मिला है, किसी साल भी किसी सरकारी उपक्रम की चर्चा नहीं हो सकी। आयोग की पुरजोर सिफारिश है कि जितने कारपोरेसन्श हैं, अन्डर टेकिंग्स हैं उनकी वर्ष में एक बार चर्चा विधान सभा में अवश्य होनी चाहिये।

वर्तमान सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है कि इसने समाजवाद की दिशा में बहुत से फैसले लिये हैं और उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनकी प्रसंशा करता हूं। उनको बधाई देते हुये मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद की परिभाषा मेरे मस्तिष्क में यह है कि समाजवाद व्यवस्था के अन्दर जो वर्ग अनउपार्जित आय पाता हो, उस अवस्था को समाप्त किया जाना चाहिये। समाज का एक वह वर्ग जो दूसरों की मेहनत पर जीवित रहता है, मौज करता है यानी दूसरों का शोषण करता है, यह प्रथा समाजवाद के अन्दर समाप्त होनी चाहिये। आप देखें गत वर्ष में इस सरकार ने बहुत सी चीनी मिलों का टेक-ओवर किया। तेंदू पत्ते के अधिग्रहण करने का निश्चय किया और यह निश्चय किया कि भविष्य में इनको नीलाम किया जायेगा। इसी प्रकार बसों के परमिट देने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है उदारता बरती जायेगी, यह नहीं कि एक ही व्यक्ति को या चन्द व्यक्तियों को ही लखपती बना दिया जाये। इसी प्रकार से अंग्रेजी शराब की दुकानों को नीलाम करने का जो निर्णय लिया गया है वह भी समाजवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सरकार ने 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान जो एन्टरिम रिलीफ दिया है वह भी समाजवाद की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज आर्डर 1972 के लिये, जिसके द्वारा कोल्ड स्टोरेज में जो दरें आलू उत्पादकों से आलू रखने के लिये चार्ज की जाती थीं, उनकी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। साथ ही दो एक सुझाव मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं, वे भी समाजवाद की दिशा में काफी महत्व के कदम होंगे।

ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से हाट-बाजार हैं, उनके स्वामी उनकी व्यवस्था के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं किन्तु हजारों की आय प्राप्त करते हैं। ये लोग हजारों की संख्या में हैं। हरियाणा के अन्दर ये सब सरकारी नियंत्रण में ले लिये गये हैं। मेरा निवदन है कि ग्रामीण क्षेत्र की हाट बाजारों पर यह सरकार तुरन्त अपना नियंत्रण कायम करे या उचित समझे तो इसके लिये भी एक कारपोरेशन की स्थापना की जाये। मेरा अनुमान है कि इससे प्रदेश में हाट-बाजार तथा मेलों की संख्या और बढ़ेगी और इस मद से मेरा अनुमान है प्रदेश की आय 10 करोड़ रुपये तक हो सकेगी।

दूसरा सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किश्त पर रुपया बांटने वाले और गिरवीं रखने वाले बहुत से एक विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, जो समाज के सबसे नीचे वर्ग के ग्रामीण लोगों को ऊंचे ब्याज की दर पर रुपया देते हैं। इस तरह से तथा अन्य बहुत से तरीकों से वह समाज के निम्न वर्ग का भारी शोषण करते हैं। ये लोग जो अन्याय कर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जितना भी ऋण या गिरवीं का रुपया इन लोगों पर महाजनों का है, उन सबका रेडेम्शन किया जाय। ऐसा कानून लाया जाए जिसके द्वारा इस व्यवसाय को समाप्त होना चाहिये।

इसके अलावा मेरा विचार यह भी है कि 1 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को जो भी वित्तीय रिलीफ गत 10 वर्षों में दिये गये हैं उसके लिए सदन की एक समिति

बना दी जाए जो कि उस स्थिति का आज के सामवादी युग में मूल्यांकन करें और जो उसके अनुरूप नहीं है, उसको समाप्त कर देना चाहिये।

मान्यवर, बजट के अंदर एक महत्वपूर्ण सूचना टैक्सेशन की होती है। हर एक व्यक्ति बजट के आने पर यह देखने की कोशिश करता है कि इसके अंदर कौन-सी टैक्सेशन मेजर्स अपनाई गयीं। मुझे खेद है कि मंत्री जी ने कोई नया टैक्स इस वर्ष नहीं लगाया है, जो द्योतक है कि प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था प्रगतिशील नहीं है, अन्यथा जरूर टैक्स लगता और जो लगाया भी है वह प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है। आप खुद अवलोकन करें बजट भाषण का। श्रीमन् पृष्ठ 4 पर उसमें यह शब्द कहे हैं "अभी कहे गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश के अकृषीय क्षेत्रों में प्रगति की दर कृषीय क्षेत्रों में प्रगति की दर से कुछ अधिक रही है।"

मान्यवर, आमदनी की दर बढ़ी है अकृषीय क्षेत्र में और टैक्सेशन जो लगा रहे हैं जिसको "शुल्क" की उन्होंने उपाधि दी है वह कृषीय क्षेत्र में लगा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आमदनी तो बढ़ी अकृषीय क्षेत्र में और टैक्स लगाया जाय कृषीय क्षेत्र में, यह कहां के न्याय की बात है? टैक्स लगाने का सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि जिस वर्ग की आमदनी बढ़े उसकी टैक्स देने की क्षमता भी बढ़ती है, और उसी के ऊपर नया टैक्स लगाया जाता है। इस प्रकार से एक ऐसे वर्ग पर जिसकी कि आमदनी नहीं बढ़ी है उस पर टैक्स लगाना और उस वर्ग पर जिसकी ज्यादा बढ़ी है उस पर न लगाना, मान्यवर, यह एक वित्तीय अन्याय है।

तीसरे, मुझे बड़ी चिन्ता हुई और बड़ी तकलीफ हुई माननीय वित्त मंत्री की निरुक्ति से जो कि इस प्रकार है––"आम तौर पर यह माना जाता है कि केवल कृषि पर ही आत्मनिर्भरता जिस हद तक कम होती है उससे आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में मदद मिलती है।" वित्त मंत्री जी ने अनुमान लगा लिया कि कृषि के क्षेत्र में आय घट गयी तो कृषि पर निर्भरता कम हो गई। इस प्रकार के विचारों के विरुद्ध चेतावनी दी है डा० जी० के० मिरडल ने जो कि स्वीडिश इकोनोमिस्ट हैं:––

"No drive for industrialisation has much chance to be successful if not preceded and accompanied by a rather decisive rise in productivity in agriculture . . . . There is no salvation to these countries unless agriculture itself provided larger number of jobs, its potential being fully exploited."

अभिप्राय उसका यह है कि केवल औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति करने से और कृषि क्षेत्र पिछड़े रहने से उस राष्ट्र का कल्याण नहीं होता। यदि वित्त मंत्री जी की निरुक्ति सही है, आबजर-वेशन सही है, तो 1966–67 में इस प्रदेश की कुल आय में कृषि आय का हिस्सा केवल 52 फीसदी ही था। उस वर्ष तो प्रदेश की समृद्धि बहुत ही बढ़ गयी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आव-श्यकता इस बात की है कि आय कृषि क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से यानी आमदनी कृषि के अलावा और भी किन्हीं साधनों से किसानों को आनी चाहिए और कृषि में काम करने वालों की प्रतिशत घटनी चाहिए 1961 में अमेरिका के अन्दर 13 परसेंट लोग खेती पर आश्रित थे अब 6 परसेंट हैं। जापान के अन्दर 27 परसेंट खेती पर लगे हुए थे 1950 में और 1968 में 13 परसेंट रह गये। आवश्य-कता इस बात की है कि खेती से लोगों को हटाया जाय और वह दिन खुशी का होगा जब प्रदेश के अन्दर खेती पर कम लोग रह जायेंगे। पर उसका आशय यह नहीं है कि प्रदेश की सामूहिक आय में कृषि संवर्ग की आय घट जाय। वित्त मंत्री ने जिस खुशी का इजहार किया है कृषि आय के घट जाने पर यह तो कृषि की अवनति का द्योतक है और उससे प्रदेश का लाभ नहीं हो सकता, समृद्धि नहीं हो सकती।

मैं अब संक्षेप में आपके समक्ष यह रखना चाहता हूं कि 2 बड़े प्रश्न हैं जो आज कृषक वर्ग के सामने हैं। एक है कि वर्तमान वर्ष में गल्ले की खरीद में गेहूं के दाम क्या रखे जाएं. . (लाल बत्ती होने पर) मुझे 5 मिनट और दे देंगे। ऐग्रिकल्चर कमीशन ने इस आधार पर कि इस वर्ष गेहूं का

[श्री शिवराज सिंह]

उत्पादन बढ़ा है, और उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर गल्ला पहुंचाना है और खेती में नयी तकनीक और बीजों का आविष्कार हो गया है, इसलिए गेहूं के दाम गिराने की बात कही है। पहली बात तो यह है कि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन बढ़ा नहीं। गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण गेहूं के बोने का मौसम बहुत पिछड़ गया और गेहूं के बीज का अभाव था। जो भी बीज था खराब था। जरमिनेशन ठीक नहीं हुआ और टिलरिंग खराब हुई। इसलिए मेरा निश्चित मत है कि इस प्रदेश के अन्दर जब कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष पांच लाख टन अधिक गेहूं का उत्पादन होगा, लभभग दस लाख टन गेहूं कम पैदा होगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1971–72 में केवल 37 फीसदी क्षेत्र में हाई ईल्डिंग वैराइटी के प्रसार की बात रखी थी, जब कि केवल 20 फीसदी क्षेत्र को ही हाई ईल्डिंग वैराइटी के बीज यह सरकार पहुंचा पायी। आविष्कार हो गया बीजों का लेकिन जब 80 फीसदी खेतों तक उनको पहुंचा नहीं पाये तो पैदावार कैसे बढ़ सकती है? इस प्रदेश के अन्दर 79 फीसदी किसान छोटे किसान हैं और विशेष कर वही छोटे किसान बीजों से वंचित रह गये हैं। अच्छे बीज छोटे किसानों को न दें, और उनकी पैदावार का मूल्यांकन करें अच्छे बीज के आधार पर, फिर दाम भी कम दें, यह छोटे किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। वैसे नीति के तौर पर भी यह बात गलत है। अगर पैदावार बढ़ भी जाय, तब भी यह पहला वर्ष है जब हमने खाद्यान्नों का बाहर से आयात बन्द किया है, आबादी बढ़ रही है, और राष्ट्र के लिये यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि खाद्यान्नों के मसले में हम कहां तक आत्मनिर्भर हो सकेंगे, इसलिए सरकार को नीति यह होनी चाहिए कि कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आगामी वर्ष में खाद्य के उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। मिसाल मेरे सामने जापान की है। माननीय खाद्य मंत्री मेरे साथ जापान गये थे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह कृपया ध्यान से सुन लें। बात फिर कर लें। जापान के अन्दर 1960 से 1968 तक 13.5 परसेंट प्रतिवर्ष वहां के फार्म हाउसहोल्ड की इनकम बढ़ी, साढ़े 11 परसेंट हर वर्ष खेती की पैदावार बढ़ी। हमारे प्रांत में इसी पीरियड में 1.1 कृषि की पैदावार बढ़ी है। और उन नौ वर्षों में दो वर्ष कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई चार वर्ष से घटी और चार वर्ष उन्नति हुई। 1.1 कृषि की पैदावार बढ़ जाने से माननीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि दाम गिरना चाहिए। जापान में हर वर्ष 11.5 प्रतिशत खेती की पैदावार बढ़ी लेकिन उन्होंने दाम नहीं गिराये मेरे सामने ऐग्रीकल्चर इन जापान ऐट ए ग्लैंस है। उसमें कहा है—

"The ratio of agricultural income out of the total farm-household income deceased from 55 per cent in 1960 to 46 per cent in 1968. At the same time agricultural income per farm-household also improved markedly, indicating an annual average increase of 11.2 per cent for the same period. This increase was brought about partly by an increase of agricultural production and partly by a rise in prices, the contributions of both factors to the increase of total agriculturral income being larger for the price than the production."

फार्म हाउसहोल्ड की आमदनी बढ़ा दी और पैदावार बढ़ाने में, जो दाम दिये हैं, उसका बड़ा हाथ है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस सरकार की पालिसी ऐसी बनायी जाय जिससे अगले वर्ष गेहूं की पैदावार पर कोई बुरा प्रभाव न पड़ सके। सरकार के हाथ में एक मैकेनिज्म है, वह है प्राइस मैकेनिज्म। वह खाद्यान्नों के दाम पर कंट्रोल करती है। अगर इस मैकेनिज्म से काम नहीं लिया गया तो मैं चेतावनी देता हूं कि अगले वर्ष खाद्यान्न में अभाव हो सकता है।

दूसरी बात जिससे कृषक वर्ग में बहुत उत्तेजना है वह यह कि प्रति हार्स पावर कृषि विभाग ने तीन रुपये की लेवी लगा दी है। मिनिमम गारंटी को सरकार ने समाप्त कर दिया इसलिए वह बधाई की पात्र है। ट्रांसफार्मर की चोरी की अवस्था में बोर्ड की ओर से मुफ्त ट्रान्सफार्मर लगाने की व्यवस्था की है उसके लिये कृषक वर्ग सरकार को धन्यवाद देता है। लेकिन यह कहां का न्याय है कि तीन रुपये प्रति

हार्स पावर लेवी लगा दी गयी। जो अच्छे उपभोक्ता थे उन पर तो जुर्माना हो गया और जो उपभोक्ता कमजोर थे, बिजली का उपयोग नहीं करते थे, गैर ईमानदारी से काम करते हैं उनको लाभ हो गया। इस तरह की व्यवस्था करना किसी तरह न्यायोचित नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसे वापस ले ले। इस प्रश्न की हमारी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी जांच कर रही है। इसके सम्बन्ध में, इसके औचित्य के सम्बन्ध में मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है, प्रागदर्शन से मालूम पड़ता है कि इस तरह की लेवी लगाना उचित नहीं है। सरकार इसे वापस ले लेगी यह मैं आशा करता हूं।

*श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाजवाद लाना चाहती है और सरकार की नीतियों के कारण गरीबी और अमीरी में फर्क बढ़ा है, भविष्य में भी बढ़ने की उम्मीद है। उदाहरण के लिये जो नीति आज चल रही है उससे जो सामान उद्योगपति पैदा कर रहे हैं वह मंहगा होता जा रहा है और जो सामान कृषक पैदा करते हैं वह सस्ता होता जा रहा है। नतीजा यह कि जो एक लखपती था वह आज दस लखपती हो गया है। और जो दस वर्ष पहले एक करोड़पति था वह आज दस करोड़पति हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि तीन चार साल पहले गन्ने का भाव जब 12, 13 रुपये थे औरएक किसान ने 100 क्विटल गन्ना बेचा तो उसे 1,200 रुपये मिले। शादी ब्याह के लिये उसने 400 रुपये का कपड़ा खरीदा और उसको 800 रुपये की बचत हो गयी जिससे उसने मकान बनाया, लड़कों को पढ़ाया, साइकिल वगैरह खरीदी। लेकिन इस साल उसने 100 क्विटल गन्ना बेचा तो आन एवरेज पूर्वी जिलों के किसान को साढ़े 7 से 10 रुपये क्विटल गन्ना के दाम मिले यानी लगभग 900 रुपये मिले। इस प्रकार पिछले साल से 300 रुपये कम दाम उसे मिले। जिस किसान को सन् 68–69 में 800 रुपये की बचत हुई थी उसे इस बार 300 रुपये की ही बचत हुई क्यों कि दूसरी तरफ कपड़े के दाम में वृद्धि हुई। यह समाजवाद के विपरीत है। गन्ने की चीनी के भाव उस समय पौने दो रुपये किलो थे और आज साढ़े तीन रुपये किलो पर उसके दाम पहुंच गये हैं और इस प्रकार एक व्यापारी तथा मिल मालिक के पास किसान तथा उपभोक्ता से अधिक पैसा मिलने के कारण ज्यादा पैसा उसके पास इकट्ठा होता जाता है। इस प्रकार पूंजीवाद में बढ़ोत्तरी होती जायगी और गरीबी तथा अमीरी में फर्क बढ़ता जाता है।

यह सब क्यों हो रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे सत्तारूढ़ दल के लोग पूंजीपतियों से करोड़ों रुपया चन्दा लेकर चुनाव में खर्च कर देते हैं। लोक सभा के चुनाव के लिये कानून बनाया गया कि कोई 35 हजार रुपये से अधिक खर्च नहीं करेगा। जिन लोगों ने कानून बनाया वही कानून को तोड़ देते हैं। 10 लाख रुपये तक लोक सभा के एक-एक चुनाव में खर्च होते हैं सत्तारूढ़ दल के लोगों द्वारा। तो यह सब किसका नुकसान हुआ। जनता का पैसा पूंजीपतियों के पास इकट्ठा कर दिया और इस तरह से उनसे लिया। हमारे इस देश में 55 करोड़ आदमी हैं, 44 करोड़ रुपये का कपड़ा बनता है। यदि एक-एक कपड़े का दाम भी बढ़ा दिया जाय तो इस प्रकार 44 करोड़ का मुनाफा हो जाता है। 20 करोड़ रुपया तो पूंजीपति के हो जाते हैं और 20 करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्च होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह अदल-बदल क्यों हो रहा है। वह इसलिए होता है कि यदि इधर रहते हैं तो 10-15 हजार रुपये से काम चल जाता है इलेक्शन में और उधर से हमें 5–5 लाख रुपये तक मिल जाता है। उधर जाने से इलेक्शन के लिये, जैसा कि अभी पार्लियामेंट के चुनाव के लिये हुआ, 50 हजार रुपया भी मिला तो 25 हजार रुपया घर पर रख लेते हैं और 25 हजार रुपया चुनाव में खर्च कर देते हैं। यदि जीत गये तब तो 50 हजार का मुनाफा हो गया और यदि हार भी गये तो भी 25 हजार अपने पास ही हैं। इसलिए यह दल बदल हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि अब केवल एक ही दल रह जायेगा और विरोध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम वचन यादव]

दल नहीं रहेगा। यह दशा देश की है। मुझ से कई लोग कहते हैं इधर आते तो यहां का मजा लेते, बड़े बेवकूफ हो, चले आओ इधर। मैं कहता हूं कि उधर जाने में पानी नहीं रहेगा। यदि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे फिर यहां पर चुनकर भेज दिया तो मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि इधर रहने में लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है और पानी भी बना रहेगा। उधर जाने में जितना भी आराम या पैसा मिलेगा वह किसी काम का नहीं। तो अमीरी और गरीबी में यह फर्क है। यह मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं।

हमारे देश में कई छोटे-बड़े उद्योगपति हैं। बड़े उद्योगपतियों को ही ज्यादा और सस्ती सहूलियतें दी जा रही हैं। छोटे उद्योगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां पर भी अमीरी और गरीबी का फर्क दिखाई देता है। तो जब तक सरकार ने अपनी इस नीति को नहीं बदला, और छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, छोटे किसानों को भरपेट भोजन नहीं मिल सकता। इसलिए गांवों में छोटे-छोटे उद्योगों को खोलने की निहायत आवश्यकता है। किसानों के लिये खाली समय में पार्ट टाइम जाब देने की व्यवस्था होनी चाहिए तभी उनकी हालत सुधर सकती है। कपड़े का उद्योग हमारे देश में भोजन के बाद की दूसरी समस्या है। कपड़े को बड़े-बड़े मिल मालिक शहरों में बनाते हैं। यदि यह शर्त लगा दी जाय कि हमारे देश में बने हुए पावर लम और हैंडलूम के कपड़े को ही पहना जावेगा और विदेश नहीं भेजा जायगा तो उसका नतीजा यह होगा कि गांवों में इस तरह के छोटे-छोटे उद्योग-धंधे स्थापित हो जायेंगे और पूंजी-पतियों द्वारा गरीबों का शोषण भी किसी सीमा तक कम हो जायेगा, साथ ही गरीबी और अमीरी भी कम हो जायेगी। तभी इस देश की हालत सुधर सकती है। हमारे बी० के० डी० के घोषणा-पत्र में यह नीति दर्शायी गई है।

महंगाई भत्ता बड़े लोगों को 50 रुपये महीना और छोटे कर्मचारियों को दस रुपया महीना यह कहां का न्याय है। जिन कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है उनको ज्यादा महंगाई-भत्ता मिलना चाहिए और जिनको ज्यादा वेतन मिलता है उनको कम मिलना चाहिए। मान लीजिए 600 रुपये पाने वाले के यहां 5 आदमी खाने वाले हैं और 100-150 रुपये पाने वाले के यहां भी 5 आदमी खाने वाले हैं तो दोनों का खाने का खर्चा तो एक ही आयेगा इसलिए कम वेतन पाने वाले को ज्यादा मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए। यह हमारी बी० के० डी० पार्टी की नीति है। 500 रुपये से ज्यादा वेतन पाने वालों को यदि महंगाई भत्ता न भी दिया जाय तो वह भूखों नहीं मरेगा। उसके बच्चे कम सिनेमा देखेंगे, बीबी कम साड़ियां खरीदेगी, और वह अपने ऐश आराम को कम करेगा। इससे उसके अन्दर राष्ट्रीय भावना आयेगी और देश की तरक्की होगी। छोटे कर्मचारी भूखों न मरें, गन्दे कपड़े न पहनें और गन्दी बस्तियों में न रहें और इंसान की तरह से वह रह सकें, इसके लिये मेरा सुझाव है कि सरकार इस नीति को अपनाये जिससे देश और समाज का कल्याण हो सके।

बेकारी मिटाने के लिये अभी-अभी त्वरित योजना चालू की गई है। इससे पढ़े-लिखे लोगों की समस्या हल होने वाली नहीं है। गांव के मजदूरों की समस्या जरूर कुछ हल होगी। मैं स्वयं गया था। वहां पर सड़क बनाई जायेगी, कंकड़ भी बिछेगा लेकिन पुल और पुलिया नहीं बनाये जायेंगे। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि जब तक पुल पुलिया नहीं बनेंगे तब तक सड़क पर कैसे सवारियां चल सकेंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिये सरकारी आदेश नहीं है। मैं बहुमत दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सरकार पर दबाव डालें कि उस सड़क पर पुल और पुलियों का अवश्य निर्माण कराया जाय।

कोआपरेटिव विभाग का यह हाल है कि दो कोआपरेटिव सोसाइटीज में मैं परसों गया था वहां गरीब किसानों ने कर्जा लिया नहीं और पता नहीं कि कैसे उनका अंगूठा लगवा लिया और 3 वर्ष बाद जब कुर्की आई तो उनको पता चला। सरकारी कर्मचारी यह कह रहे हैं कि एक हफ्ते में पुलिस आ जायेगी और गिरफ्तार कर लेगी। मैंने उन किसानों से कहा कि ईमानदारी से

बताओ कि तुमने रुपया लिया कि नहीं। उन्होंने कहा कि हमने रुपया नहीं लिया। मैंने फूलपुर ब्लाक में दो पंचायतों की जांच की तो पाया कि पचासों किसान ऐसे हैं कि जिन्होंने रुपया लिया नहीं और उनसे वसूली की जा रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल हो गया है। सहकारिता मंत्री जी नहीं हैं लेकिन माल मंत्री हैं, वे इस वसूली को मुल्तवी करने के आदेश दें और जांच-पड़ताल कर लें और हम भी क्षेत्र में चलें।

पुलिस विभाग अत्याचार करने पर तुला हुआ है और खास करके विरोध वालों के ऊपर और बी० के० डी० वालों को ज्यादा परेशान किये हुए है। मारो इनको और इतना दबाओ कि ये सिर उठाने के योग्य न रहें। यह क्यों हो रहा है? अगर किसी सब-इंसपेक्टर ने अत्याचार किया, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ और एस० पी० ने उसका ट्रांसफर कर दिया। बस यहां से स्टे चला जाता है, न जाने किस प्रकार से हो जाता है। उरई में हम, जयराम वर्मा और छेदालाल साथी गये थे। पिछड़ी जातियों का सम्मेलन था। उसमें भाषण हुए थे। लोगों से कहा गया कि तुम लोग जागो, बराबरी का दर्जा लो, क्यों दबे हुए हो, क्यों डरते हो? जब वे लोग थोड़ा सा उठने लगे तो पुलिस के द्वारा उनको दबाया जाने लगा। एस० पी० कहता है कि तुम लोग यह मीटिंग वगैरा बन्द करो नहीं तो किसी मामले में तुमको फांस देंगे। जब भाषण की सबको स्वतंत्रता है तो उनको क्यों परेशान किया जाता है। उनको डर है कि कहीं वे लोग उनकी कुर्सी न छीन लें।

अनुसूचित जातियों का जो रिजरवेशन है वह पूरा नहीं हो रहा है। भारतीय क्रांति दल ने यह तय किया था कि फैक्टरियों में जो क्लर्कों के स्थान हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो क्लर्कों के स्थान हैं, उनमें जो टीचर हैं उनमें भी इन लोगों को स्थान मिलना चाहिए क्योंकि सरकार उनको सहायता का रुपया देती है। सरकार को वहां भी अपनी पालिसी जारी रखनी चाहिए। सैकड़ों इन्टरमिडियेट पास हरिजनों के लड़के घूम रहे हैं। कहीं उनको स्थान नहीं मिलता। इसी प्रकार से पिछड़ी जातियों के जो गजटेड आफीसर्स हैं वे भी एक प्रतिशत होंगे। यह संख्या 62 की है अब शायद 2 फीसदी हो गये होंगे। इन लोगों को भी संरक्षण मिलना चाहिए। काका कालेलकर कमेटी के अनुसार जो 35 प्रतिशत का सिद्धांत बनाया गया था, भारतीय क्रांतिदल ने उसको मान लिया है। अगर उस तरह से हमारे देश में किया गया तो सब में बराबरी आ जायेगी और समाजवाद तो आ ही जायेगा।

*श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि बजट के अवसर पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। हमारे साथियों ने यह शंका दिखायी कि इस बजट से समाजवाद आने वाला नहीं है। लेकिन जिन समस्याओं का समाधान करने के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है उसके साथ ही साथ उन्होंने शंकाओं का समाधान भी उसमें रख दिया है। उनका कहना यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धनी अधिक धनी हो गया है और गरीब अधिक गरीब हो गया है। खेत में काम करने वाले को उसकी सेवा का मूल्य नहीं मिल रहा है और उद्योगपतियों को उनके कारखानों की उपज का मूल्य अधिक मिल रहा है। इसी प्रकार से बड़े और छोटे कर्मचारियों के बीच में खांई बढ़ती ही जा रही है। अगर वे इस पर अपनी दृष्टि डाल तो सारी समस्याओं का समाधान हो जायगा और उनको मालूम होगा कि इन्हीं समस्याओं के समाधान करने के लिये इस बजट ने एक दिशा दी है। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है जिसकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का छठवां हिस्सा है और उसका घनत्व 180 व्यक्ति फी किलोमीटर पूरे देश के स्तर पर और 300 व्यक्ति प्रति किलोमीटर इस प्रदेश का है। देश की आय का अधिकांश हम कृषि से प्राप्त करते हैं और इस प्रकर 75 प्रतिशत आय कृषि से हमें होती है या उसके द्वारा हम अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। यदि देश को समृद्धशाली बनाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसिंह खन्ना]

है, आगे बढ़ाना है तो यह जरूरी है कि 80 प्रतिशत इन्सानों को बेहतर जिन्दगी बिताने का मौका देने के लिये हमें साधन जुटाना होगा और सही मानों में कोशिश करना होगा। इसके लिये हमें यह देखना होगा कि सरकार ने जो चीजें आपके सामने रखी हैं, जो योजनायें वह लाई है और जिनके द्वारा वह कृषकों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं वह सही दिशा में उसके कदम हैं या नहीं।

यह बात सही है कि हमारे सूबे में आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि हमारे यहां गेहूं की पैदावार हरियाना और पंजाब के मुकाबले में कहीं ज्यादा कम है। सन् 66–67 में यहां पर वह थी 9.63 जब कि हरियाना में वह थी 14.28, और पंजाब में वह थी 15.43, इसी तरह से सन् 67–68 में वह यहां थी 11.75 और हरियाना में थी 17.34 और पंजाब में 18.58। सन् 69–70 में वह थी 11.74, हरियाना में 20.84 और पंजाब में 22.20। जब से हमारी यह हाई ईल्डिंग वेराइटीज आई हैं तब से 4 साल में हरियाना और पंजाब में 44 प्रतिशत आय बढ़ी है और प्रोडक्शन में हमारे यहां 21 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। गेहूं के अलावा पैडी में भी यही हाल हुआ, हमारे यहां केवल 6.7 की बढ़ोत्तरी हुई और वहां 13.61 की बढ़ोत्तरी हुई। कोशिश यह होना चाहिये कि खेतों से अधिक पैदावार लेने के लिए संसाधन जुटाये जायं, सिंचाई का प्रबन्ध और समय से बीज आदि का प्रबन्ध किया जाय। देखना यह है कि इसका कारण क्या है, हरियाना और पंजाब की पैदावार क्यों बढ़ी और यहां उतनी क्यों नहीं बढ़ी। इसका साफ जवाब है हमारे यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पन्तनगर में सब से पहले स्थापित की गई और उसके माध्यम से कृषि के टेक्निकल कार्य और रिसर्च वर्क शुरू किया गया। उसके द्वारा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तराई में और पश्चिमी प्रदेश में किसानों को लाभ पहुंचाया गया। लेकिन इसके बरखिलाफ हरियाना और पंजाब में उन्होंने पूरे प्रदेश को अपना एरिया आफ आपरेशन बनाया है और उन्होंने साइन्स और टेक्नालाजी को, नई मालूमात को गांव-गांव में और हर खेत पर फैलाया और पैदावार को बढ़ाया। इस तरह से उनकी आय में वृद्धि हुई। हमारी भी कोशिश होनी चाहिये कि हर रीजन में एक-एक यूनिवर्सिटी इस प्रकार की खोली जायं और पूरा रीजन उसका एरिया आफ आपरेशन बनाया जाय। इस तरह से पिछड़े हुये रीजन्स की आय बढ़ेगी और उस का नतीजा यह होगा कि पूरे प्रदेश की आय बढ़ेगी। अच्छे एक्सपेरीमेंट्स वहां किये गये हैं और जहां जहां उन के ज्ञान और साइन्स के लाभ पहुंचे हैं वहां-वहां उस से किसानों को लाभ हुआ है। इसलिए हर रीजन में एक-एक यूनिवर्सिटी खोल कर उनको मौका दिया जाना चाहिए जिससे हमारी पैदावार बढ़े।

दूसरे, हमारे यहां सिंचाई के बहुत कम साधन हैं। इस समय भी हमारे प्रदेश में 33 प्रतिशत जमीन ऐसी है जिसमें किसी प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। जो छोटी-छोटी कच्ची नहरें हैं, उनका लगभग 30–35 प्रतिशत पानी बेकार हो जाता है। इन सब बातों को देख कर हमें प्रदेश में बिजली को बढ़ाना चाहिए और उसके जरिये से 1–1 गांव में सिंचाई के लिए पानी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। हर खेत में पानी उसी मात्रा में पहुंच सके जिसकी आवश्यकता है। इसलिए टैक्नीकल नालेज, सिंचाई की व्यवस्था, बिजली का उत्पादन, अच्छे बीज और अच्छे औजारों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बजट में इन सारी चीजों की व्यवस्था करने की कोशिश की गयी है। और उस दिशा में कार्य करने का आश्वासन भी दिया है, इस बजट के जरिये से।

तीसरी बात उद्योगों के जरिये से हमारी आमदनी बढ़ती है। हमारे प्रदेश में बदकिस्मती से यह रहा कि स्वतंत्रता के बाद उद्योगों की ओर दो पंचवर्षीय योजनाओं में कोई धन नहीं दिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस प्रदेश के इन्टरप्रिन्योर्स कोई भी खतरा लेने के लिए तैयार नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि नये-नये कारखानों को खोला जाय जिनमें

उनको खतरा हो। ब्रिटिशर्स ने इस खतरे को मोल लिया और कानपुर में सबसे अधिक उन्होंने अपना कैपिटल लगाया। उससे प्रोत्साहन मिला था, कुछ लोग आगे बढ़ कर आये और उन्होंने उद्योग आरम्भ किया। नतीजा वही हुआ, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि उद्योगपतियों ने कभी इस बात का खयाल नहीं किया कि अपने साथ-साथ समाज को भी जिन्दा रखने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज का शोषण करना चाहा और उसका सारा मुनाफा अपनी जेबों में रखने की कोशिश की और उसमें वे काफी हद तक कामयाब भी हुए। आज इस बात की कोशिश है कि वह मुनाफा केवल इन तक न पहुंच कर ज्यादा से ज्यादा लोगों में वितरण हो और रईस ज्यादा रईस न बन सकें। इसलिए इन बातों को प्राइवेट सेक्टर में लाने की कोशिश हुयी है। लेकिन अफसोस है कि जिन-जिन कारखानों को, जिस-जिस बिजिनेस को सरकार ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उनमें उसे बहुत नाकामयाबी देखने को मिली है। जैसे सरकार की गवर्नमेंट प्रेसिजन एण्ड इन्सट्रूमेंट फैक्ट्री 1950 में खुली, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर में खुली, विभूति ग्लास फैक्ट्री, बनारस में खुली, सीमेंट फैक्ट्री, डल्ला में खुली। प्रेसीजन इन्सट्रूमेंट फैक्ट्री को 1962 में 7.04 लाख रुपये का फायदा हुआ और उसका सूद निकाल कर करीब 39.1 प्रतिशत का फायदा हुआ। इससे ज्यादा फायदा मुश्किल है किसी भी उद्योग में होना लेकिन 1966–67 में 5.50 लाख का नुक्सान हुआ। 1967–68 में 1.7 का मुनाफा हुआ। यहां पर प्रेसीजन इन्सट्रूमेंट फैक्ट्री जिसको दूसरे लोगों ने नहीं अपनाया, उसका यह नतीजा हुआ। सीमेन्ट फैक्टरी में 700 टन प्रतिदिन हमारा औसत है पैदावार का और 4.68 करोड़ रुपये की लागत है। लेकिन सिवाय सन् 66–67 के मुनाफे को छोड़कर बाकी बहुत मामूली तौर पर इसका मुनाफा हुआ जब कि हमने दुगुनी औसत कर दी है और दुगुनी पैदावार होने लगी है यानी 1,400 टन प्रतिदिन इसी तरह से टोटल 21 करोड़ रुपये की लागत में अब केवल 6.06 मुनाफा हुआ। यह कितनी बुरी तस्वीर है हमारे सामने। वजह क्या है ? मान्यवर, इसके साथ साथ मैं आपसे निवदन करूंगा—(लाल बत्ती होने पर) मुझे दो मिनट दे दीजिये जितने कार्य करने वाले लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स हैं उनको बिजिनेस का एक्सपीरिएन्स नहीं है। इससे बिजिनेस खराब होता है और उसका समाज पर खराब असर पड़ता है। हम अगर कर्मचारियों की ओर देखते हैं जिनसे हमने काम लेना है उनके लिये हम पूरे-पूरे साधन जुटायें ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह देंगे उनको लेकिन जिस काम के लिये वे रक्खे गये हैं अगर वे मुनासिब तौर पर काम नहीं करते हैं तो उनको दंड देने में भी हम न झिझकें। सारे प्रदेश में व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है। पुलिस का तो इतना बुरा हाल है कि रास्ता चलना मुश्किल पड़ रहा है। मैं एक मिसाल बरेली की बताना चाहता हूं कि शाम के आठ बजे के बाद निकलना मुश्किल है। अपनी बीबी के साथ सिनेमा जाना मुश्किल है। अगर वह लाकेट पहने है तो जबरदस्ती रास्ते से वह उससे छीन लिया जाता है। इस दुर्व्यवस्था को देखना चाहिये। अगर व्यवस्था ठीक नहीं है, अगर जनता यह महसूस करती है कि वह सेफ नहीं है तो वह रहना भी पसन्द नहीं करेगी और कामकरना या रुपया लगाना तो दूसरी बात है। धन्यवाद!

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वित्तीय वर्ष 1972–73 के इस आय-व्ययक की सामान्य चर्चा पर मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बजट के विरोध में तथा विरोधी दल के नेता द्वारा रक्खे गये संशोधन के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं, मान्यवर, बजट का इसलिये विरोध करता हूं कि यह एक नाटकीय बजट है, एक ऐसा चलचित्र समान है जो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

जिसमें समय भी व्यर्थ का चला जाता है और जेब भी खाली हो जाती है और विकास और उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, नाटकीय इसलिये कह रहा हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी श्री नारायणदत्त तिवारी ने जो कुछ भी बातें बजट भाषण में किया करते हैं दूसरे और तीसरे बजट भाषण में उसको बदल देते हैं। वे चीजें पूरा करने का वादा करते हैं वे सामान्यतया आगे पूरा नहीं करते। मैं इस ओर आपका ध्यान और इस सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पिछली 8 मई को 70–71 के बजट भाषण में उन्होंने जो विश्वास इस सदन को दिलाया था और जनता को दिलाया था उससे वे मुकर गये। उन्होंने कहा था अध्यक्ष महोदय, कि चीनी मिलों के फार्मों की वह भूमि जो अतिरिक्त है सीलिंग की सीमा से वह भूमिहीन किसानों को देंगे वह उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, उस 70 के बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि वह न्याय प्रणाली जो विलम्बकारी है उस विलम्बकारी प्रणाली में वे सुधार करेंगे लेकिन इस वर्तमान भाषण में उसका कहीं उल्लेख नहीं है और उन्होंने इस न्याय पद्धति की विलम्बता को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं किया।

मद्य-निषेध में परिवर्तन करने की नीति की बात कही थी, किन्तु इस बजट में वह मौन रह गये। उसी प्रकार से शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने महसूस की थी, परन्तु उन्होंने इसमें शान्ति व्यवस्था को सामान्य कह दिया है किन्तु उत्तर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था सामान्य नहीं रही है। श्रीमान् जी, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1970 के बजट भाषण में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में सत्य और निष्ठा को बहुत महत्व दिया है और स्वच्छ प्रशासन के लिये कटिबद्ध हैं, लेकिन स्वच्छ प्रशासन न तो उन्होंने प्रदेश को दिया और न ही इस बजट में उन्होंने उस स्वच्छ प्रशासन की बात कही। मितव्ययता की बात उन्होंने सन् 70 में कही थी, परन्तु मितव्ययता की बात इस बजट में उन्होंने छोड़ दी और सन् 1970 में उन्होंने न तो मितव्ययता बरती और न कोई उस बजट में प्राविधान किया। कर प्रवंचना द्वारा राजस्व की चोरी के रोकने की बात उन्होंने इस बजट में नहीं की। कहने का तात्पर्य यह है कि जो-जो आश्वासन उन्होंने उस बजट में सदन को दिये थे अधिकांश को पूरा नहीं किया गया और न ही इस बजट में उल्लेख किया। श्रीमान् जी इस प्रकार से किसी भी बजट में घोषणा कर दें और उसको पूरा न करें तो मैं समझता हूं कि एक नाटक मात्र है और उसमें हमारे वित्त मंत्री जी बहुत निपुण हैं।

एक बात अवश्य है सन् 1970 में उन्होंने केन्द्रीय सरकार पर बराबर यह आरोप लगाया था कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिये जितनी धनराशि देनी चाहिये थी, उतनी नहीं दी है। लेकिन इस बार केन्द्रीय सरकार के ऊपर जगह-जगह हिट करने से पीछे हट गये हैं। मैं नहीं समझता कि वह कौन सी ऐसी कमजोरी है, इस बार केन्द्रीय सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों की बात उन्होंने नहीं कही। सन् 1971 की स्थिति को देखते हुये केन्द्रीय सरकार के बारे में कुछ न कहने का मतलब यह है कि उन्होंने ऐसा अपनी सुरक्षा की दृष्टि के लिये किया है। लेकिन यह बात उत्तर प्रदेश के विकास के लिये अवरुद्ध करने वाली बात होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास में, पूरे देश के विकास के अनुपात में जो प्रति व्यक्ति धनराशि पंचवर्षीय योजना में दी गई है, वह बहुत अल्प थी। स्वाभाविक है, यह बात उन्होंने उस समय कही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वे डरते हैं कि केन्द्रीय सरकार जो सभी प्रदेशीय सरकारों का संचालन करती है, कहीं ऐसा न हो कि उनके ऊपर उनकी कुदृष्टि हो जाय और इस भय से उन्होंने बचने की कोशिश की है।

श्रीमान् जी, वर्तमान बजट पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुये कहना चाहता हूं कि इस शासन में महंगाई, बेकारी और भुखमरी बढ़ी है। इस मापदण्ड का कारण अगर आंकड़ों से लेना चाहें, तो वह तो हैं ही, लेकिन सामान्य जनता यह देखती है कि पहले से उसकी आमदनी में वृद्धि हुई, लेकिन महंगाई के करण उसका जीवन त्रस्त है। इस प्रकार मेरे व्यक्तिगत अनुभव

के आधार पर यह है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 18 प्रतिशत महंगाई में वृद्धि हुई है। मैं उन पूर्वी जिलों के प्रतिनिधि के रूप में आता हूं और वाराणसी से आता हूं, जहां पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 प्रतिशत लोग एक वक्त भोजन करके जीवन निर्वाह करते हैं और 30 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो एक वक्त भोजन पा जायं तो भगवान को धन्यवाद देते हैं। यही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। बेकारी, महंगाई और भुखमरी को दूर करने में यह सरकार पूर्णतया असफल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में कहीं भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है और न ही उसका समाधान है जिससे महंगाई को रोकने, बेकारी और भुखमरी को समाप्त किया जा सके।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 60.68 करोड़ रुपये का घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। उसमें से 30 करोड़ रुपये की टैक्स लगाने की बात कही है। बाकी धनराशि उन्होंने इसी में से पूरा करने का उपाय बताया है। आप देखें उन्होंने इसमें भूमि के बन्दोबस्त की चर्चा कर दी है। मालगुजारी की तरफ भारी विषमता की बात कही है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि नया बन्दोबस्त करने का विचार है। नये बन्दोबस्त पर विचार करने पर मालगुजारी को बढ़ा कर और विकास शुल्क को लगा कर 30 करोड़ रुपये की पूर्ति करने जा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अनधिकृत रूप से 30 करोड़ रुपये का टैक्स ठोंक दिया है। वर्तमान बजट से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार से गरीब जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाऊं जिसकी ओर अभी तक कुछ नहीं कहा गया, न तो किसी माननीय सदस्य ने ध्यान ही आकर्षित किया। माननीय मुख्य मंत्री जी श्री कमलापति त्रिपाठी जी हमारे ही नगर के रहने वाले हैं, इस सदन के नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने ही हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिये तीन चीजों का सहारा लिया। पहली चीज तो यह थी कि उन्होंने उर्दू का सहारा लिया। उन्होंने हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट बल्कि एम0ए0 तक शिक्षा के लिये उर्दू को माध्यम बनाने के लिये प्रयास किया और इस प्रकार के आदेश भी दिये। हमारे प्रदेश में उर्दू पढ़ाने के लिये 10 हजार अध्यापक रखे गये जो उर्दू माध्यम से शिक्षा देंगे। साथ ही इनकी और अधिक भर्ती होगी। मान्यवर, जैसा कि ज्ञात हुआ है माननीय मुख्य मंत्री जी ने विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को बुलाया था और उनसे सम्पर्क स्थापित किया और इस बात की हिदायत दी कि एम0 ए0 तक शिक्षा उर्दू माध्यम से दी जाय। मैं नहीं समझता कि पिछले 20 वर्षों से उर्दू में शिक्षा नहीं दी गई तो कोई हानि हो गई अथवा हमारे प्रदेश की एकता में कोई विघ्न पड़ गया। उन्होंने उर्दू का पक्ष लेने वाले नेताओं को प्रोत्साहित किया, उनको यह अवसर दिया कि उर्दू वाली बात को और जोरों से उठाया जाय।

मान्यवर, उन्हीं नेताओं के जरिये से इस बात की मांग भी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई जाय। मान्यवर, उन्होंने इस प्रकार से प्रोत्साहन देकर उर्दू माध्यम से शिक्षा देकर, उर्दू एकाडेमी की स्थापना करके, उर्दू को साम्प्रदायिकता का रूप देने का काम हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। आये दिन वे प्रेस गैलेरीज में बैठकर कहा करते हैं कि हम देशद्रोहियों को कुचल देंगे, साम्प्रदायिक तत्वों को कुचल देंगे। प्रेस गैलेरी अथवा पब्लिक मीटिंग में इस प्रकार की चीजें कहने से अथवा सदन में ऐसी बातों को कहने से राष्ट्रद्रोही तत्वों को दबाया नहीं जा सकता है। वाराणसी में साम्प्रदायिकता के अन्तर्गत दफा 153 (ए) के अन्तर्गत जिन पांच आदमियों को अरेस्ट किया गया था उसमें डा0 फरीदी भी थे। डा० फरीदी ने यह कहा था कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम यहां पर दूसरा पाकिस्तान बनवा देंगे। हमारे प्रशासन ने अन्य चार अपराधियों को तो नहीं छोड़ा लेकिन डा0 फरीदी को छोड़ दिया गया। डा0 फरीदी पर भी मुकदमा चलाया जाता और यदि वह निर्दोष होते तो उनको छोड़ दिया जाता लेकिन आपने उन पर बिना मुकदमा चलाये ही उनको राष्ट्रीय मान लिया जब कि अन्य चार व्यक्ति साम्प्रदायिकता के कारण पकड़ लिये गये और उन पर केस चलेगा, किस आधार पर डा० फरीदी को

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

राष्ट्रीय समझ कर उनके ऊपर से मुकदमा विदड्रा किया है। मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जितने भी दंगे होते हैं वह अल्पसंख्यकों की ओर से किये जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में राम और लमक्ष्ण की मूर्ति पर अल्पसंख्यकों ने प्रहार किया। पिछले महीने में वाराणसी में मुसलमानों ने एक हिन्दू आबादी पर हमला किया। अल्पसंख्यकों की ओर से किये जाने वाले दंगों को रक्षा का रूप दिया जाता है। इस प्रकार से मुसलमानों को साम्प्रदायिकता के लिये उभाड़ा जाता है। यह तीन बातें हैं जिनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द के साथ रहे हैं लेकिन उनसे क्या सीखा है, यह मालूम नहीं है। डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने राष्ट्रीयता पर बहुत अधिक जोर दिया है परन्तु इन्होंने इसका उल्टा काम किया है।

अब मैं थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं लेकिन दुर्भाग्यशाली भी मानता हूं। सौभाग्यशाली इसलिये कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के 15 जिलों से यहां के मुख्य मंत्री हैं और इन्हीं 15 जिले से प्रधान मंत्री हैं लेकिन दुर्भाग्यशाली इसलिये कि इस इलाके की बहुत अधिक उपेक्षा की गई है। इतनी उपेक्षा देश के किसी भी क्षेत्र की नहीं की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर जो अनुदान दिये हैं वह बहुत अल्प रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 जिले शामिल हैं जिनकी आबादी 3.50 से 3.75 करोड़ है। इनका क्षेत्रफल 86,629 वर्ग किलोमीटर है। इसमें उत्तर प्रदेश का 29.1 प्रतिशत भाग आता है लेकिन आबादी 38.4 प्रतिशत है। इस राज्य में 307 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या आती है जब कि इसके विपरीत यहां पर 404 व्यक्तियों का औसत प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। इस तरह से यहां पर कम भूमि पर ज्यादा लोग बसे हुये हैं। यहां 49.1 प्रतिशत परिवारों के पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर सभी लोग बोलते हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

मुझे 15 मिनट का समय और दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

5 मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

अच्छा तो मैं भाषण छोटा करने की कोशिश करूंगा। 5 मिनट में खतम कर दूगा।

श्री अध्यक्ष—

बहुत से लोगों को बोलना है। बांकेलाल जी बहुत समय से उठ रहे हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्पादन पूरे प्रदेश की तुलना में जहां कम है, वहां वन सम्पदा 17 प्रतिशत है। जंगल क्षेत्र 7.7 प्रतिशत है। यह सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। खनिज सम्पदा में यह क्षेत्र निर्धन है। इस क्षेत्र में गन्डक, राप्ती, घाघरा, गोमती और सई आदि बहुत सी प्रभावशाली नदियां बहती हैं और इनमें प्रति वर्ष काफी मात्रा में बाढ़ आती है। यह सरकार को स्पष्ट है कि 1959 की बाढ़ का सबसे अधिक अंश केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में केन्द्रीभूत है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्तर्गत पटेल समिति का निर्माण

सन् 1962 में हुआ और 1964 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन 1972 तक उसकी संस्तुतियां पूरी नहीं की जा सकीं। मान्यवर, मैं इस सदन में सरकार से मांग करता हूं कि पटेल समिति की संस्तुतियों को दो वर्षों के अन्दर कार्यान्वित करने के लिये 100 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में करे और उसकी सभी संस्तुतियों को 1973-74 तक पूरी कर देना चाहिये। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के विकास का मूल्यांकन करने के लिए और विकास में उपायों से सम्बन्धित सुझाव देने के लिये एक केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की जांच समिति बिठाई जानी चाहिये जिसकी रिपोर्ट एक वर्ष के अन्दर सदन को प्रस्तुत की जानी चाहिये। पूर्वांचल विकास निगम को और अधिक विकासशील बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ कहना चाहता हूं कि पटेल समिति ने इस क्षेत्र में पांच फैक्ट्रियों की स्थापना की संस्तुति दी थी। लेकिन उनमें से एक भी फैक्ट्री पूर्वी उत्तर प्रदेश में आरम्भ नहीं हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये फैक्ट्रियां तुरन्त दी जानी चाहिये। इसी के साथ कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल विकास के लिये बिजली अत्यन्त आवश्यक है और इसलिये यहां और विद्युत् केन्द्र स्थापित किये जायं और पूर्वी उत्तर प्रदेश को और विकसित किया जाय।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, मैं वाराणसी की एक-दो कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमन्, आपके भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री जी पिछले 19 जुलाई, 1971 को विधान सभा में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की घोषणा की थी। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उस घोषणा के फलस्वरूप इस बजट में धनराशि का प्राविधान होना चाहिये था लेकिन उसका प्राविधान नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दो हजार वर्षों में आयुर्वेद शास्त्र की जो उपेक्षा भारत में हुई उसके फलस्वरूप उसका विकास अवरुद्ध रहा, बल्कि विदेशी राज्यों ने उसे निर्मूल नष्ट कर डालने का कुप्रयास किया। उसके बाद इस वर्तमान शासन में भी उसकी उपेक्षा हुई। श्रीमान जी, मैं कहना चाहता हूं कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में से आयुर्वेदिक कालेज को अलग करके उसे अपने हाथ में लें और उसे विश्वविद्यालय का रूप देकर ,आयुर्वेद का जो विकास है उसकी चिकित्सा-पद्धति, उसकी शल्य और रसायन पद्धति, आदि-आदि—इन सब बातों में अनुसन्धान करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये वाराणसी हर सम्भव सहायता देने को हमेशा तत्पर रहेगा।

वाराणसी में कलाबत्तू का उद्योग प्राचीन काल से चला आ रहा है। एक लाख परिवार इस काम में लगे हुये हैं और 4 लाख लोगों की रोजी इससे चलती है। चांदी के मूल्य बढ़ जाने के कारण तथा जापान से रासायनिक जरी और नकली जरी के मिलने में कठिनाई के कारण यह उद्योग समाप्त होता जा रहा है। उन लोगों के सामने भुखमरी की समस्या आ खड़ी है। लोग रिक्शा चलाने को मजबूर हो गये हैं, घर की औरतें बर्तन मांज कर एक वक्त भोजन कर पाती हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। मैं इसके लिये उन्हें अपने सुझाव लिखकर भी दूंगा, दे भी चुका हूं।

दूसरी बात एक यह कहना चाहता हूं कि डा० सम्पूर्णानन्द जी ने पूर्वांचल की बेरोजगारी को दूर करने के लिये, वहां पर लोको डीजिल इंजन का कारखाना लगवाया था मगर उसमें 90 प्रतिशत लोग अन्य प्रान्तों के काम कर रहे हैं और 10 प्रतिशत ही उस वाराणसी क्षेत्र के हैं। यह वह शहर है जहां सभी प्रान्तों के लोग रहते हैं, मुझे किसी प्रान्त वाले से नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य से उस कारखाने की वहां स्थापना की गई थी वह तो तभी पूरी होगी जब 90 प्रतिशत उसी क्षेत्र के लोगों को वहां काम में लगाया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं बजट का समर्थन करते हुए वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं जो आर्थिक कठिनाई के होते हुये भी ऐसा सन्तुलित बजट उन्होंने उपस्थित किया। इस बजट में समाजवादी कार्यक्रम को अग्रसर करने की ओर कदम उठाया गया है। इस बजट में ऐसे प्राविधान किये गये हैं जिससे हमारे विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे। पिछले वर्ष विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए 209 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी, जबकि इस वर्ष 225 करोड़ 28 लाख रुपया रखा गया है। इससे निश्चय ही विकास कार्य तेजी से बढ़ेंगे। सड़कों के निर्माण में पिछले वर्ष 9 करोड़ 50 लाख रुपया रखा गया था जो अब इस वर्ष बढ़ाकर 13 करोड़ 43 लाख कर दिया गया है। इसी तरह सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कार्यों के लिये भी विशेष सतर्कता बरती गयी है।

शिक्षित बेकारों की समस्या को देखते हुये सरकार ने एक विशेष योजना बनाकर भारत सरकार के पास भेजी है। उस योजना में खर्च करने के लिये भी बजट में 5 करोड़ का प्राविधान है। इससे काफी हद तक बेरोजगारी दूर होगी और उपज भी बढ़ेगी।

हरिजनों की आर्थिक उन्नति के लिये भी कई महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। उनके आवास के लिये भूमि और भवन बनाने के लिये अब सरकार अनुदान तथा ऋण दोनों ही देगी। प्रत्येक जिले के एक ब्लाक में लगभग 500 घर बनवाने के लिये सहायता दी जायगी। हरिजन आबादी वाले गांवों में विद्युतीकरण की भी व्यवस्था करने की विशेष योजना विचाराधीन है।

सिंचाई के कार्य भी आगे बढ़े हैं, किन्तु इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सिंचाई की दृष्टि से सभी विभागों के संचालन में एकरूपता लायी जानी चाहिये। नहर विभाग नलकूप विभाग के कार्यों में बाधा डालता है। हमारे इलाहाबाद जिले में जहां नहरों से सिंचाई नहीं हो रही है यहां भी नलकूप लगाने की स्वीकृति नहर विभाग के अधीक्षण अभियन्ता नहीं दे रहे हैं। वे नहर को अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझते हैं। करछना तहसील की बेलन नहर को लिफ्ट विभाग में स्थानान्तरित कर पांच गुना अधिक रेट बढ़ा दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैंने सिंचाई मन्त्री से प्रार्थना की थी कि इस नहर का सिंचाई-कर बेलन नहर के समान ही लगाया जाय और यह नहर पूर्ववत् लिफ्ट के बजाय बेलन नहर शाखा में ही रहे। माननीय सिंचाई मन्त्री ने रेट कम करने की दिशा में विचार करने के लिये वसूली रोक दी थी। आशा है अब वह इस नहर को बेलन नहर में ही रखेंगे और सिंचाई की दर घटाकर बेलन नहर की ही सिंचाई दर के समान रखने की कृपा करेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भिक पाठशालाओं के भवन निर्माण की ओर इस सरकार ने इस वर्ष विशेष ध्यान दिया है। ये पाठशालायें अपनी बड़ी ही दयनीय दशा में हैं और उनमें से बहुत सी खुले मैदानों में और पेड़ों के नीचे चल रही हैं। उनके भवन निर्माण की ओर विशेष ध्यान अब दिया गया है। अब तक अनुदान बहुत कम दिये जाते थे। इस वर्ष प्रत्येक भवन के लिये साढ़े आठ हजार रुपये तक देने का प्राविधान किया गया है। हिन्दी की प्रगति और प्रयोग के लिए सरकारी अधिकारियों का जैसा सहयोग मिलना चाहिए वैसा मिलता दिखाई नहीं पड़ता है। सरकार को हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग जैसी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को भारी अनुदान देकर राष्ट्रभाषा हिन्दी की उन्नति को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार को सम्मेलन के हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं को सरकारी नौकरियों के लिए मान्यता देना चाहिये।

मान्यवर, पिछले वर्ष की अतिवृष्टि और अनावृष्टि से हमारे इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीलें काफी प्रभावित हुई थीं। वहां पर कई नाले और नदियां हैं जिनकी वजह से बाढ़ से बड़ी कठिनाई होती है। पिछले वर्ष मैंने यहां के बाढ़ नियन्त्रण के लिए

एक योजना बनाकर माननीय सूचना मन्त्री को दी थी और मुझे आशा है कि सरकार नालों पर बन्धे बनाने, लकटही सिरसा से उमापुर तक गंगा के कटान को रोकने, लेहड़ी, बरदहा, बरहा आदि तालों की जल निकासी की व्यवस्था करने की कृपा करेगी, जिससे जनता को राहत मिल सके।

मान्यवर, बजट में अगले वर्ष 200 एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्राविधान किया गया है। किन्तु यह सरकार एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के समान भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने का कोई विचार नहीं करती है। आयुर्वेदिक पद्धति को, अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिए और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि ग्रामों में सस्ती और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो सके। हमारे क्षेत्र के करछना और मेजा तहसील के बसही और शुक्लपुर गांवों में इस वर्ष से ही अस्पताल खोलने की कृपा की जाय। इलाहाबाद की मेजा और करछना तहसील को एक स्थानीय टोंस नदी अलग करती है, दोनों ओर पक्की सड़कें हैं। मेरा निवेदन है कि कोहड़ार घाट पर टोंस नदी पर पुल बनाकर इन दोनों तहसीलों को मिला दिया जाय, इससे आवागमन में जनता को काफी सुविधा होगी और व्यापार भी बढ़ेगा। बांदा के राजापुर के ऐतिहासिक स्थान को इलाहाबाद से जोड़ने के लिए सरकार ने जमुना नदी पर एक पीपे के पुल (पान्टून ब्रिज) के निर्माण का इस बजट में जो समावेश किया है, यह एक स्तुत्य कार्य है और इसके लिये सार्वजनिक निर्माण मन्त्री तथा विद्युत् मन्त्री श्री राधाकृष्ण गोस्वामी बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद जिले का लाक्षागृह गांव भी ऐतिहासिक है उसे भी गंगा नदी पर पान्टून ब्रिज बनाकर मेजा तहसील से जोड़ दिया जाय तो इससे मध्य प्रदेश तक का व्यापार बढ़ेगा और उस ऐतिहासिक स्थान की महत्ता भी बढ़ जायेगी।

हमारा इलाहाबाद जिला सांस्कृतिक दृष्टि से काफी आगे है, लेकिन फिर भी कई मानों में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी मेजा और करछना तहसीलें बुन्देलखंड में आती हैं। अतः इनके विकास के लिये इन्हें बुन्देलखंड विकास बोर्ड से जोड़ दिया जाय, जिससे वहां का समुचित विकास हो सके। यह जंगली और पहाड़ी क्षेत्र है और पत्थर काफी मिलता है। इसलिए मिर्जापुर की तरह यहां भी सीमेंट का एक कारखाना लगाया जाय। सरकार करछना तहसील में बहुत बड़ा क्षेत्र उद्योग के लिये अवाप्त कर चुकी है, किन्तु उस क्षेत्र की अब भी अधिकांश भूमि खाली पड़ी है। इसलिए निवेदन है कि वहां उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम अपनी इकाइयां स्थापति करे या उद्योगपतियों को कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित करे।

हमारे यहां बाढ़ के दिनों में वर्षा के कारण आवागमन में बड़ी कठिनाई पैदा होती है, जिससे बच्चों को स्कूल आदि जाने में बड़ी परेशानी होती है। इसके लिए सरकार ओनोर, भगेसर, पनासा, बेनीपुर, ओसा आदि के पास नालों पर बांध बनवा दे, तो इससे आवागमन में बड़ी सुविधा होगी और बाढ़ रुकेगी। हमारे जिले में भूमि संरक्षण की दृष्टि से मेड़बन्दी का निरर्थक कार्य चल रहा है। इससे केवल किसानों पर ऋण का भार बढ़ रहा है और कुछ नहीं। भूमि काटने वाले नाले या नदियों पर कोई काम होता नहीं है केवल समतल खेतों की मेड़ें ऊंची करके ठेकेदार और सम्बन्धित अधिकारियों की जेबें भरी जा रही हैं। यह कार्य इस तरह का बन्द किया जाय, विगत दो-तीन वर्षों में जो मेड़बन्दी की गई है वह गई हैं। उनका कोई चिह्न नहीं दिखाई देता है। पिछली बाढ़ में बहुत सा पैसा टेस्ट वर्क्स के लिए हर जिले में भेजा गया है, हमारे जिले में भी 9 लाख रुपया भेजा गया है। लेकिन जिले के अधिकारियों का कहना है कि फेमिन कोड में ऐसा नियम है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को ही पैसा दिया जा सकता है, वही खर्च करेंगे। उनके पास जो कार्य है वह पूरा नहीं हो रहा है। जो सड़कें बहुत पहले से बजट में स्वीकृत हैं उन पर कार्य

श्री रामकिशोर शुक्ल]

शुरू नहीं हुआ है, तो कैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग उसे कर सकता है? अब मैं निवेदन करता हूं कि जो टेस्ट वर्क हैं कार्य हैं उनको जिला परिषद् के सुपुर्द कर दिया जाय और उन्हीं के द्वारा कराया जाय तभी पूरे हो सकते हैं। अगर फेमिन कोड (अकाल संहिता) को बदलना पड़े तो उसको बदल दिया जाय।

पिछले दिनों जो विकास क्षेत्रों की संख्या कम कर दी गयी है उससे कठिनाई है, फिर से ब्लाक्स का परिसीमन किया जाय। ऐसे गांव हैं जो एक विकास क्षेत्र के नजदीक हैं और दूसरे प्रधान कार्यालय से दूर पड़ते हैं। मेजा, करछना तहसील बहुत बड़ी है, वहां पर भवन आदि बने हुऐ हैं, उसके बाद ब्लाक आदि तोड़ दिये गये हैं तो कोरांव और जसरा ब्लाक को फिर से चालू किया जाय।

चीनी के भाव बढ़ते जा रहे हैं, शहर में एक किलो चीनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलती है और गांव में प्रत्येक परिवार को एक किलो चीनी देने की व्यवस्था है। गांव में शादी-ब्याह का आजकल ही ज्यादा रिवाज है। उनके लिये भी कोई परमिट की व्यवस्था नहीं है। तो वहां का कोटा बढ़ाया जाय और गांव को शहर के बराबर चीनी दी जाय—यानी प्रति व्यक्ति को एक किलो दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो वित्त मन्त्री जी ने यह बजट सदन के साम प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा और अपने सुझाव दूंगा। इसके पहले सदन के समक्ष प्रातः-काल जो एक घटना उपस्थित हुई थी, हमारे माननीय सदस्य श्यामलाल कनौजिया हैं, उनका आजमगढ़ जिले की गोंडा तहसील के परगनाधीश ने घोरतम अपमान किया। मैंने इसके बारे में बोलना उचित नहीं समझा शायद विशेषाधिकार समिति को वह मामला सुपुर्द कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय मौजूद थे। लेकिन मैं अपने मन में चिन्तन करता हूं कि यह गति क्यों हो रही है और आत्म-विवेचना, आत्म-निरीक्षण मैंने किया, और अपने बारे में भी सोचा था कि हम माननीय सदस्यों का अपमान क्यों हो रहा है? ऐसी घटनायें कई बार आयीं। मैं जब 1962 में जीतकर आया था तो 1963 में एक समस्या उपस्थित हुई थी। एक माननीय सदस्य को पुलिस वालों ने जाते हुये, ट्रेन में, बन्द कर दिया था, वे बस्ती के सदस्य थे। बहुत विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम लोग इसी के पात्र हैं।

जितनी कुरीतियां और जितना भ्रष्टाचार इस मुल्क में पैदा हुआ है उसके जिम्मेदार असेम्बली के मेम्बर और पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। जब प्रतिनिधि भ्रष्टाचारी हैं और जब प्रतिनिधिगण अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति में लगना चाहें तो प्रतिनिधियों का इसी प्रकार से अपमान सरकारी कर्मचारी करेंगे। मैं जब शासन के बारे में सोचता हूं और अधिकारियों के बारे में सोचता हूं तो बड़ी ग्लानि उत्पन्न होती है जब मैं यह देखता हूं कि फलां मन्त्री ने यह भ्रष्टाचार किया और जब मैं यह सुनता हूं कि फलां अधिकारी ने इतना रुपया गबन किया। मैं इत्तिफाक से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का मेम्बर भी हूं। मेरे सामने तमाम गबन के मामले पेश होते हैं जिन में 92-92 लाख रुपया गायब होता है, करोड़ों रुपया लापता हो जाता है, जनता के धन का बहुत ही बड़ा दुरुपयोग होता है, जिसका परिणाम यह है कि हमारे मन्त्रिगण के महल आबाद होते जाते हैं। आई० सी० एस०, आई० ए० एस० अफसरों के महल आबाद हो जात हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं जनप्रतिनिधि बादशाह की तरह उपभोग करते हैं। उसका यह परिणाम है जो प्रातःकाल बहस हुई जहां तक मैं देखता हूं हम लोगों की नैतिकता जनप्रतिनिधियों की नैतिकता समाप्त हो गई है। तो उनके नीचे रहने वाले कर्मचारियों की नैतिकता, कहां रह जायगी? जब एम० पी०, एम०एल०ए० भ्रष्ट हो गये। मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री गलत आश्वासन देते हैं तो उनके नीचे के कर्मचारी उनका नकल करेंगे और वैसा ही मुल्क हो जायगा कहने का मतलब यह कि हम लोगों का स्तर बहुत गिर गया है। बजट कितना भी बढ़िया हो, कहने का ढंग कितना भी बढ़िया हो, माननीय वित्त मन्त्री जी मेरे साथ जेल में भी रह चुके हैं। मैं उनको भली-भांति जानता हूं। उनका साहित्यक बजट भाषण जो प्रस्तुत हुआ है उसको मैंने विधिवत् कई

दिन तक पढ़ा। शुरू में उसमें बहुत बड़ाई है बंगला देश के बारे में, उसके बारे में विशेष नहीं कहना चाहता। एक लड़ाई हुई, एक घटना थी, उसमें हमारी विजय हुई, जनतन्त्र की रक्षा हुई। लेकिन भारत रत्न की पदवी प्रधान मन्त्री तैयार करती हैं, उसको राष्ट्रपति पहनाता है। प्रधान मन्त्री जी ने उस रत्न को तैयार किया और स्वयं ही उसको पहन लिया। अगर वह मानिकशाह को पहनाई गई होती, सुरक्षा मन्त्री जगजीवन राम को पहनायी गयी होती तो हमारा हृदय बड़ा प्रफुल्लित होता। लेकिन माननीया ने अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंक दी। यह चिन्ता का विषय हुआ।

इस बजट में समाजवाद का चित्र कहीं नहीं दिखाई देता है। समाजवाद के नाम पर हमारे बहुत से दोस्त इधर से उधर गये। जो समाजवाद के विरोधी थे, अब उधर बैठ कर वह भी समाजवाद का नाम लेते हैं। समाजवाद की हवा मिठाई की दूकान पर, चाय की दूकान पर बह रही है लेकिन वह इस बजट की किताब में, इस धरती पर कहीं उतर रही है या नहीं? कहीं आचरण में आ रही है या नहीं? यह समाजवाद की विचारधारा जितने माननीय सदस्य हैं किसी में नहीं पाता हूं। मैंने देखा एक बार संविद की सरकार ने जिसमें तीन चार मन्त्री हमारे दल के नेता थे। किसी ने तीन महीने अस्पताल में बिताये, कोई कुतिया ले कर मोटर में चलने लगे। वह समाजवादी चरित्र न माननीय मुख्य मन्त्री में देख रहा हूं, जितने माननीय मन्त्री बैठे हैं न उनमें देख रहा हूं और न माननीय रियासत हुसैन में देख रहा हूं। ये समाजवादी लोग हैं, और समाजवादी समाज की रचना करने चले हैं। यह झूठ, यह धूर्तता कितने दिन चलेगी? हमारे मुख्य मंत्री जी ने गन्ने की कीमत के बारे में तीन रेट निर्धारित किये इस प्रान्त में। यह समाजवाद की विचारधारा का द्योतक है। क्या तमाशा है? जो भी योजना आप बनाते हैं अधूरी रह जाती है।

आपका का चरित्र समाजवादी नहीं है तब यह अधिकारी क्या करेंगे जिनका चरित्र बना बनाया है। पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के बारे में क्या कहूं? पैसा चाहे जितना खर्च कर लो, जनता के ऊपर चाहे जितना टैक्स लगा लो, प्रलोभन दे कर अपोजीशन के लोग चाहे जितने तोड़ लो, लेकिन समाजवाद आने वाला नहीं है और इसका नतीजा यह होगा कि समाजवाद के लिये चौराहे पर, असेम्बली तथा लोक सभा, हर जगह झगड़े प्रारम्भ हो जायंगे और माननीया ने जो वायदा किया है बांगला देश का झुनझुना दे कर वह ज्यादा दिन नहीं बजेगा। माननीया ने जो यह झुनझुना दिया है उससे ऊब कर जनता उसे पटक देगी और वह जब टूट जायगा तब दलबदलू लोग प्रहरी नहीं बनेंगे, उसके प्रहरी बांकेलाल होंगे। जो आप लोगों के अत्याचार से पीड़ित जनता होगी, जो बैकवर्ड होंगे उनका झंडा ले कर बांकेलाल ललकारेगा। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है और इस दलबदल के परिणाम की बड़ी दुर्दशा होगी। कहां गया आप का नारा धरती के बटवारे का, अमीरों के राष्ट्रीयकरण का? कितने दिन यह वादा चलेगा और वायदा का सहारा लेकर कितने दिन लोग समाजवाद का इन्तजार करेंगे?

मैं तामिलनाडु तथा केरल गया था। वहां शिक्षा और लघु उद्योग धन्धों का विकास हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग काम नहीं चाहते, चाम चाहते हैं। उत्तर प्रदेश एक प्रधान मन्त्री चाहता है और वह उसे मिल गया है और सारा रुपया दक्षिण पर खर्च हो रहा है। वहां विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश में बढ़िया चेहरा दिखाई देता है। भारत सरकार से दक्षिण वाले ज्यादा पैसा ले जाते हैं और वे लोग भारत सरकार की सर्विसेज में भी अधिक हैं, उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं? शिक्षा तथा विकास में यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। यहां की सरकार का बड़ा विचित्र स्वरूप है और हर वक्त भय लगा रहता है मन्त्रियों को कि माननीया की तलवार न जाने कब सर पर गिर पड़े, चुनाव न जाने कब करा दिये जायें? लेकिन मैं भयभीत नहीं हूं। मैं कहता हूं कि इस सरकार को तोड़ दिया जाय क्योंकि इससे समाजवाद आने वाला नहीं है।

एक बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जो नहरें बनी हैं उन नहरों पर एक-एक मील पर एक-एक पुल बनाया जा रहा है।

[श्री बांके लाल]

नारायणी नदी से जो नहर निकाली जा रही है उसमें एक पुल बनाया जा रहा है किन्तु जहां किसान को पुल की आवश्यकता है वहां पर नहीं बनाये जा रहे हैं। किसान इससे बड़ा परेशान है। न वक्त से वह अपने खेतों में खाद ले जा पाता है, न हल ले जा पाता है और मान लीजिये धान की खेती के लिये उसे बन्धान करना है तो उसको एक मील दूर से होकर जाना पड़ता है। यदि बीच में बरसात हो गई तो उसकी सारी खेती बरबाद हो जाती है। अधिकारियों का यह हाल है कि यदि उन्हें कोई सुझाव दिया जाय तो वे मानने के लिये तैयार नहीं हैं, मंत्रीगण जो बैठे हैं वे इतने ढीले हो गये हैं कि उनकी आवाज और उनके लिखने में कोई दम नहीं रह गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ? एक एम० एल० ए० की दुर्दशा हो रही है। कनौजिया साहब की वहां पर जाकर यह दुर्दशा हो रही है। हम तो सोशलिस्ट हैं, बड़े झगड़ालू हैं। तो यह हालत हो रही है दल-बदलुओं की। आगे भी होगी · · ·

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बांके लाल—

5 मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट का समय आप ले सकते हैं।

श्री बांके लाल—

सिंचाई के बारे में नहरों की यह दुर्गति हो रही है, सड़कों की यह गति हो रही है। ग्रैंड ट्रन्क रोड जिसको कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था यह 28 नम्बर की सड़क, उसकी हालत भी खराब हो रही है। इस सरकार द्वारा बनी हुई सड़क साल भर में टूट जाती है, पुल टूट जाते हैं किन्तु पुराने जो पुल और सड़कें हैं, वे नहीं टूटते। उसका क्या कारण है ? कारण स्पष्ट है कि सीमेंट गायब हो जाता है, आधा बालू मिला दिया जाता है तो कैसे वह पुल या सड़क मजबूत हो सकती है ? कितना ही बढ़िया इस बजट को कहा जाय किन्तु पैसा गायब हो जायेगा काम बढ़िया नहीं होगा, तो कैसे बजट को हम बढ़िया कहेंगे ? मैं इन शब्दों के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट जो पेश हुआ है वह केवल अधिकारियों और मंत्रीगणो के जीने-खाने का साधन मात्र बन गया है और उसमें कोई नई बात नहीं है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जहां तक बजट स्पीच के मुताल्लिक सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि इस बजट स्पीच में जो प्लान दिये गये हैं अगर उसी तरीके से उसका अमल–दरामद किया जाय तो यकीनन इस प्रदेश में खुशहाली आ सकती है। इस बजट स्पीच को पढ़ने के बाद मैं माननीय वित्त मंत्री को मुबारकवाद पेश करता हूं और उनकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं—

रुत बदल जाती है, दिन-रात बदल जाते हैं,
अज्म मुहकम हो तो हालात बदल जाते हैं।

जो प्लान बजट में दिये गये हैं अगर उनका अमल-दरामद सही तरीके से किया जाय तो हमारे सूबे में खुशहाली आ सकती है। मैं अर्ज करूं कि इस बजट में खास चीज यह है कि जो स्कीम और

प्लान गवर्नमेंट ने उसमें दिये हैं इस किस्म के प्लान और स्कीम्स पहले की किसी भी सरकार ने अपने बजटों में नहीं दिया है। इस तरफ किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। देहातों में बिजली और ट्यूबवेल्स के लिये जो गवर्नमेंट ने पालिसी बनाई है···

(इस समय 2 बजकर 51 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अगर इसको सही तरीके से प्रेक्टीकल शेप दी जाय तो देहात की समस्या खत्म हो सकती है।

इसके अलावा बैक वर्ड क्लास और अछूत लोगों के लिये जो राहत गवर्नमेंट ने दी है और गुंजायश पैदा की है अगर सही तरीके से उस पर अमल-दरामद किया जाय तो सारी समस्यायें बैक वर्ड लोगों की और अछूतों को खत्म हो जायेंगीं। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि आज जो हमारी स्कीमें है उनको सही तरीके से आफिसर लोग चला रहे हैं या नहीं इसको चेकिंग के लिये गवर्नमेन्ट को देखना चाहिये कि आया इसका क्या तरीका हो सकता है जिससे चेकिंग सही तरीके से किया जा सके। ज्यादातर ऐसा पाया जाता है कि यहां से स्कीमें सेंक्शन होती हैं और आगे जाकर वे खत्म कर दी जाती हैं। इसलिये इस पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है।

इसके बाद जहां तक लखनऊ और कानपुर की गन्दी बस्तियों का जो तजकिरा किया गया है, वह एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि अगर इसको अपना लिया जाय और सही तरीके से इसका अमल-दरामद किया जाय तो गन्दी बस्ती दूर हो सकती हैं। लेकिन ऐसा अक्सर हुआ नहीं है। इसलिये मेरा मश्विरा यह है कि यह बस्तियां जरूर बनाई जायं। लेकिन अक्सर यह होता है कि जो बस्तियां उजाड़ी जाती हैं वहां अच्छी कालोनी बनने पर वहां के लोगों को नहीं मौका दिया जाता। अगर कोई बस्ती उजाड़ी जाती है तो कारपोरेशन की यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह एग्रीमेंट लिखे कि जब कालोनी बन जायेगी तो आप लोगों को मौका दिया जायेगा। इससे सब से बड़ी परेशानी, जो बस्ती के उजड़ने से लोगों को होती है वह खत्म हो जायेगी। मैं इस स्कीम का खैर मकदम करता हूं और चाहता हूं कि गंदी बस्तियां खत्म हो जायं, अच्छी कालोनी बनाई जायं जिनमें जनता अच्छी तरह से रह सके।

जहां तक तालीम का सवाल है इसमें बहुत से प्राइमरी स्कूल खोलने की गवर्नमेंट ने अपनी पालिसी बनाई है और इसमें 2,100 प्राइमरी टीचर्स रोजगार में लग जायेंगे, इसी तरह से 190 सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे। अगर यह खोल दिये जायं तो बेरोजगारी की समस्या किसी हद तक खत्म हो जायेगी। इसी तरीके से 56 करोड़ की स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी है जिससे एजूकेटेड लोगों को रोजगार से लगाया जाय। अगर इस पर सही अमल-दरामद हुआ तो यह समस्या खत्म हो सकेगी।

बजट में देहात और शहरों के लियें स्कीमें हैं। लेकिन उर्दू के सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो पालिसी बनाई है, उसमें इतना ही तजकिरा करके छोड़ दिया है कि एक उर्दू एकेडेमी बनी है और वह काम कर रही है। उर्दू एकेडेमी का पंडाल सजाया गया और मुअज्जिम मेहमान भी वहां बैठे थे, मैं सोच रहा था कि इसकी अच्छी शक्ल आयेगी और कुछ हो सकेगा। लेकिन एक साल बीत गया लेकिन इसकी कोई कारगुजारी सामने नहीं आई। इससे न सिर्फ मेरे बल्कि कुल उन मुहिब्बाने उर्दू, जो उर्दू के लियें जद्दोजहद करते हैं, के मन में मायूसी हुई है और बेचैनी पैदा हो गयी है। अगर कोई चीज कहीं का जुज बनी हुई है और वह वहां से हटायी जाती है तो उस हटा देने की खामी साफ नजर आती है। किसी ने एक शेर कहा है वह शेर उर्दू के लिये लागू होता है—

अंधेरा दूर करने को जलाओगे दिये जितने,
बढ़ेगी और उतनी तीरगी, जब हम नहीं होंगे।

बजट में सिर्फ इसका तजकिरा करके छोड़ दिया गया है। वह सरकारी पालिसी के तौर पर साफ तौर से आना चाहिये था कि सरकार को उर्दू के लिये क्या-क्या कदम उठाने चाहिये।

[श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—]

इसी सिलसिले में मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि पीलीभीत में गवर्नमेंट जी०आई० कालेज की लड़कियों ने मुझे एक खत लिखा कि हम यहां 10 से ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो उर्दू लेना चाहती हैं। मैंने सरकार को कई खत लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब मैं सेक्रेटरी से मिला और कहा कि दिसम्बर की बात है, मैंने उनसे कहा कि आज भी अगर उनको टीचर दे दिया जाय तो भी लड़कियां उर्दू पढ़ने को तैयार हैं। उन्होंने आर०आई०जी०एस० बरेली को खत भेजा लेकिन वहां से उस खत को ही लापता कर दिया गया। कोई चीज यहां से अगर भेजी जाती है, लेकिन नीचे के अधिकारी सबसे ज्यादा बदनीयत हो गये हैं, हमेशा गवर्नमेंट की पालिसी में रोड़ा अटकाते रहते हैं। इन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट को कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। जो भी आर्डर्स यहां से जाते हैं उनकी कम्लायएन्स होनी ही चाहिए।

तीसरी चीज यह है कि गवर्नमेंट अस्पतालों में जो डाक्टर होते हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस एलाउड है। इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन उसका एक जबरदस्त नुकसान भी है। जब भी कोई मरीज उनके पास आता है और वे बहुत खामोशी से उनको मशविरा देते हैं कि वे बंगले पर आ जायं। वहां उनसे फीस ली जाती है और बाहर से दवायें दी जाती हैं। अवाम जिस उम्मीद से हास्पीटल जाते हैं, वह खत्म ही हो जाती है।

शहर कानपुर में बनकुट्टी और सब्जीमण्डी मुहल्ले हैं। वहां पर एक गन्दा नाला है, जो आगे चल कर बन्द हो गया है। उसमें पानी भरा ही रहता है। लोगों ने मुझे बताया और मैंने देखा कि वह मामला सही है। वह हमेशा भरा ही रहता है। मैंने इसके बारे में यहां एक सवाल दिया और जो यहां से उत्तर आया वह यह आया कि इस तरह से सभी नाले अक्सर बन्द हो जाया करते हैं लेकिन उनको साफ कर दिया जाता है। मैं इस बारे में चैलेन्ज करने को तैयार हूं कि नाला मुस्तकिल तरीके से बन्द है और उसके पानी निकासी का कोई तरीका नहीं है। इस बारे में सरकार ने सही तरीके से नहीं सोचा। सरकार को अपने आर्डर्स को कम्प्लायेन्स करने के लिये नीचे के अधिकारियों पर सख्त ऐक्शन लेना चाहिये।

इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों के नेशनलाईजेशन के लिये जो स्कीम तैयार की है मैं उस स्कीम का खैर-मकदम करता हूं। लेकिन एक मजबूरी भी है। वह यह है कि इन स्कूलों को अपने इन्तजाम में लेने के साथ ही साथ इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये कि जो माइनारटीज के स्कूल हैं उनको इस बात से मुस्तसना रखा जाय क्योंकि वे अपने तरीके से अपने माशरे का वजूद कायम रख सकेंगे, ताकि उनकी हक तलफी न हो, उसमें कोई बाधा न आने पाये। इन स्कूलों को खुद चला सकें। अगर इन स्कूलों को भी लिया जायगा तो एक बेचैनी सी पैदा हो जायगी। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि इन स्कूलों को अपने तहत में न लेकर जो सरकारी स्कूल्स हैं महज उनको ही लिया जाय।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस किसान विरोधी और ग्रामीण जनता की वास्तविक और सही समस्याओं से आंखें मूंद कर उसकी बेबसी का उपहास करने वाले बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रदेश में भयंकर बाढ़ और अतिवर्षा से गांव का किसान त्रस्त है। 54 जिलों में से 50 जिले आज ऐसे हैं कि जहां के किसान इस वर्ष भूख से भी पीड़ित हो गये हैं। खीरी जिला कृषि के मामले में उत्तर प्रदेश में सदैव अधिक अन्न पैदा करने वाला जिला रहा है, आज वहां के गांवोंके किसान एक-एक रोटी और एक-एक दाने के लिये परेशान हैं। जो सहायता सरकार की ओर से दी गयी है उसका बड़ा शोर मचाया गया लेकिन जो दी गयी, किस प्रकार से और कितनी, उसकी तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो गांव पिछली बरसात में नदी के भीषण कटाव से कट गये हैं और वहां के लोग अपनी मड़िया उठाकर दूसरी जगह पर कहीं बैठ गये थे, आज भी वे

वहीं पर बैठे हुये हैं और आज उनको न कोई जमीन देने की योजना है और न बसाने की कोई स्कीम है। पता नहीं, महीने दो महीने बाद जब फिर बाढ़ आने वाली है,उस समय उनका क्या हाल होगा। किसानों के हजारों जानवर मर गये और जो तकावी उनको दी गयी है वह 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया तक है। कहा गया कि किसानों के काम में बाधा न आने पाये, इसके लिये सारे साधन उपलब्ध कर दिये गये हैं। पर सचमुच किसान के साथ मजाक किया जा रहा है। इसको गांव के किसान भी जानते हैं और सरकारी कर्मचारी भी जानते हैं। लेकिन चूंकि होली और मुहर्रम एक साथ पड़ रहे थे, यह सोच कर कि उसके बच्चे त्योहार में भूखे तो नहीं मरेंगे, किसान ने कर्ज में इतनी छोटी रकम लेना स्वीकार कर लिया। नहीं सौ डेढ़ सौ में तो बकरे की भी अच्छी गोई नहीं मिलती, पिछले वर्षों में किसान इतने कर्ज से लद गये हैं कि अब उसकी आर्थिक स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है। खीरी जिले में तो लैंड मार्गेज बैंक, कोआपरेटिव से, तकावी ऋण से और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो किसानों के ऊपर कर्ज हो गया है वह 2 1/2 करोड़ रुपया से अधिक है। आज किसान के घर में अनाज की तरी समाप्त हो गई है और जो आने वाली फसल है, सही तरीके से उटकर आ जाये तो भी उतनी नहीं होगी कि अगली फसल तक इस फसल के सहारे किसान चल सके। जब किसानों की ऐसी हालत हो, उस वक्त यह सरकार यह समझती है कि शायद सबसे अधिक सम्पन्न हालत किसान की है इसलिये किसान के लगान को बढ़ाने की बात बजट में है, उस पर विकास-कर लगाने की बात भी कही गई है। खेती के उत्पादन में जिन चीजों की जरूरत होती है, उनकी कीमत बढ़ा दी गयी है। खाद की कीमत बढ़ी है और जो बिजली से सिंचाई करते हैं, उसका रेट भी बढ़ गया है लेकिन इस सबके बाद भी गल्ले के, गेहूं के रेट कम करने की बात की जा रही है।

यह किसानों के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? स्टेट भर में बहुत से सरकारी कृषि फार्म चल रहे हैं, सभी यह जानते हैं कि वह सब फार्म घाटे में चल रहे हैं जबकि उनको सभी आधुनिक वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं और सारी सुविधायें उनको समय से मिलती है, अनुभवी कृषि विशेषज्ञों का ज्ञान और सारे साधन उपलब्ध होने पर भी यह फार्म घाटे पर चल रहे हैं तो किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी होगी? पर यह सरकार उन्हीं पर सारे कर लगाकर घाटा पूरा करना चाहती हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। मैंने बहुत ध्यान से यह समझने की कोशिश की कि इस बजट में क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें समाजवाद की ओर ले जाती है? लेकिन वह हमें कहीं नहीं दिखाई दी। समाजवाद के लुभावने नारे को लगाकर आप गांवों में किस तरह से समाजवाद लाना चाहते हैं उसकी तसवीर मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो स्वयं समझ जायेंगे कि यह किसान क साथ कैसा मजाक है?

नई सीलिंग लाने की बात कही गई कि आपने बजट भाषण में कहा कि "अगले वर्ष शहरी व ग्रामीण सम्पत्ति पर कानून द्वारा सीलिंग को सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के अधिक अनुरूप लागू करने के बाद बेघरों व भूमिहीनों को अधिक राहत मिल सकेगी यदि आप इस उद्देश्य और लक्ष्य को सामने रखकर कोई सीलिंग लाना चाहते हैं तो प्रदेश का जन-जन उसका स्वागत करेगा लेकिन आपने जो यह इरादा अपने बजट भाषण में जाहिर किया है आप के पुराने कार्यों से ही उसका मूल्यांकन किया जा सकेगा। इस बार जो सीलिंग आने वाली है उसका बड़ा शोर मचाया गया है जबकि शायद इस बार सीलिंग में मुश्किल से एक डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं मिलने वाली है। बहुत से लोगों ने होशियारी से पहले ही अपने बचने का प्रबन्ध कर लिया है। पिछले दिनों मे जो सीलिंग हुई थी उसमें 12 लाख एकड़ जमीन पूरे प्रदेश में मिली थी लेकिन सवाल यह है कि उसमें से कितने एकड़ जमीन आपने सही आदमी के पास पहुंचा दी है? यदि आप उस में से आधी जमीन भी भूमिहीन, हरिजन और खेतिहर मजदूरों के पास पहुंचा देते तो हम समझते कि आपने काफी सफलता प्राप्त की लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वह स्वयं गांवों में जाकर देखें और समझें तो मालूम होगा कि उस भूमि का कोई भी हिस्सा आप गरीबों तक नहीं पहुंचा सके हैं।

[श्री करन सिंह]

हमारे खीरी जिले में ही डेढ़ लाख एकड़ से अधिक भूमि ग्राम समाज और सीलिंग से निकली। वहां पर खेतिहर मजदूर और भूमिहीनों की भारी समस्या है, हमने और सभी दलों ने उस समस्या के समाधान के लिये समय-समय पर आवाज उठाई। वहां की भूमि समस्या को लेकर पिछले दिनों वहां नेक्सेलाइट भी सक्रिय रहे और वहां डांगे साहब ने भी भूमि पर जबरिया कब्जे कराने का अभियान चलाया। हमने वहां जनता को बराबर आश्वासन दिया है कि वह कानून हाथ में न ले, हम ऐसी व्यवस्था सरकार से करायेंगे कि जमीन सही मानों में सही मालिकों के पास पहुंच सके। लेकिन नतीजा यह हुआ कि एक इंच भी जमीन सही आदमियों के पास नहीं पहुंची।

आप जो जमीन देते हैं वह सवा तीन एकड़ एक भूमिहीन परिवार को देते हैं। सदन की राय से सवा 6 एकड़ तक की जोत अलाभकर है और उसमें एक परिवार की गुजर बसर नहीं हो सकती है इसी कारण से आपने उसे लगान मुक्त किया है। आज फिर सवा तीन एकड़ जमीन पर किसी एक परिवार को बिठा देने के माने यही होंगे कि सही जो आवश्यकता है उसे आखें मूंदकर आप एक तरफ यह कह सके कि आप समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ उस किसान को मजबूर कर दें कि वह सवा तीन एकड़ जमीन किसी बड़े फार्मर के हाथ बेच दे और चलता बने या जहां एक तरफ यह व्यवस्था हो रही है कि जमीन पर ज्यादा भार आबादी का हटाया जाय वहां इतना भार लादकर इतनी छोटी जोत देकर एक परिवार को पुश्तहापुश्त गरीबी में रहने के लिये आप मजबूर कर देना चाहते हैं। क्या यही समाजवाद की रूपरेखा है ?

श्रीमन्, फिर भी जिन्हें सवा तीन एकड़ की जमीन दी गई बहुत प्रयत्न करने के बाद एक अभियान चलाया गया खीरी जिले में जिसमें 115--डी के लगभग पन्द्रह हजार मुकदमें जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों के ऊपर चलाये गये और करीब-करीब सभी मुकदमें साढ़े चौदह हजार से अधिक अनकान्टैस्टेड फैसल हो गये। लोगों ने यह तो कह दिया कि हमें जमीन से मतलब नहीं है और पहले भी नहीं रहा। या यह कहा कि यह जमीन जो हमारे कब्जे में थी हमने छोड़ दी। सरकार जिसको चाहे बांट दे। कब्जा करने वालों पर हजारों रुपये जुर्माने हुये और कुछ ऐसा हुआ दुर्भाग्य से कि ज्यादा बाढ़ और वर्षा की वजह से पिछले दो वर्षों से वह जुर्माना मुल्तवी रहा और किसान धोखे में रहे।

जो जमीन छूटी थी वह सारी जमीन को गांवों में बांटने के लिये एक स्पेशल स्टाफ दिया गया। इस कार्य के लिये खीरी जिले में दो ए०डी०एम० दिये गये। उन्होंने जाकर गांव के गरीब हरिजन भूमिहीन और खेतिहरों की सूची बनाकर सारी जमीन बांट दी। सारे गरीब लोगों को कई कई दिन तक जमीन प्राप्त करने के लिये दौड़ लगानी पड़ी। अदालतों में खर्च करके अपना बयान-हलफी दाखिल करना पड़ा कि और कोई जमीन उनके पास नहीं है। लेकिन सारी चीज कागज पर ही रही, जुर्माना, जमीन बंटवारा और कब्जा सब कागज पर ही रह गया। एक भी नाजायज कब्जा करने वाले से जमीन खाली नहीं कराई गई और एक भी भूमिहीन, खेतिहर मजदूर को जमीन नहीं मिल सकी। आपके पास चाहे कुछ भी आंकड़े हों न आपकी जमीन गरीबों के पास पहुची और न समाजवाद की तरफ आपका कदम बढ़ा।

आप पहले अपना इरादा साफ करें और प्रमाण दें कि आप गांवों में बड़ी जोतों से जमीन इसलिये ले रहे हैं कि आप बे जमीन वालों के पास उसको पहुंचा सकें। पिछली बार जो जमीन सीलिंग में ली गई थी वह डबुल रेट पर उसी के पुराने मालिकों के दे दी थी जब यहां बड़ी आवाज उठी कि उसे खाली करा ली जाय। तो वह केवल कागज पर ही खाली हुई। मैं मिसाल के तौर पर एक गांव लेना चाहता हूं थोला, जहां दो हजार एकड़ जमीन सीलिंग से निकली हुई है। वहां पर बहुत से गरीब लोग बैठे हुए हैं जमीन पर। जब जमीन बंटी तो मैं मौजूद था। सही लोगों को जमीन दी गई। उसमें कुछ लोगों की इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। दोबारा वह जमीन बांटी गई। एक एक परिवार को 20-21 पट्टे तक दिये गये, उससे भी तुष्टीकरण नहीं हुआ तो अब शायद तीसरी लिस्ट भूमिहीनों की बनाई जा रही है जिससे यह जमीन फिर से बांटी

जा सके। यह मजाक हो रहा है। दो बड़े फार्म बिड़ला फार्म, जो चार हजार एकड़ का है जिसकी पिछले दिनों में बड़ी गूंज रही है इस सदन के अन्दर और जमुना बाद फार्म-बजाज एण्ड कम्पनी का, यह दोनों फार्म जब्त किये गये, पिछले साल पर क्या हुआ? उन फार्म के आस-पास गांव के भूमिहीन गरीब किसानों ने तथा खेत मजदूरों ने दबाव डाला और मांग की थी कि इन फार्म्स से उन्हें जमीन मिले। जमुनाबाद फार्म तो स्टेट का फार्म बन गया और बिडला का 4 हजार एकड़ फार्म की जमीन परती पड़ी हुई है। जो मजदूर वहां पर 15–20 और 25 सालों से से रहकर वहां मजदूरी करते थे और कमाते थे पता नहीं आज कहां पर जी विकोपार्जन के लिये बाध्य होकर बिखर गये और चले गये। सारी जमीन परती पडी हुई है। हां, आस पास के लोगों ने उस पर जबरदस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया है।

यह जो सारा तमाशा है उस पर खाली जबरदस्ती कब्जा करने वालों का दोष नहीं है और आज अगर मौके पर देखें तो 2 और, 5 सौ एकड़ के कोई-कोई फार्म हैं पर 25, 30 एकड़ स ज्यादा क भूमि एक पट्टे पर कहीं नहीं हैं। एक व्यक्ति जिसके पास 15 एकड़ का फार्म है, यह 20–25 हजार क्विन्टल सप्लायर है, केन यूनियन का। जिसके पास 15 एकड़ का फार्म हो और 20 हजार क्विटल केन सप्लाई करे, कोई पूछने वाला नहीं है कि कितनी भूमि पर वह गन्ना उगा? पिछली बार मैंने इसी सदन में निवेदन किया था कि खीरी जिले में जमीन चोरों का एक बहुत बड़ा गिरोह है और गिरोह के पीछे मजबूर वहां का लेखपाल इसलिये है कि वहां नेपाल के किनारे और मेरे ही क्षेत्र में स्मगलिंग के अड्डे हैं। बड़े-बड़े बन हैं सठियाना, दुदुआ, बनकटी, सम्पूर्णनगर, आदि बड़े सुन्दर वन विश्रामलय हैं जो विदेशी मेहमानों को और प्रदेश के अधिकारियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। श्रीमन्, कोई जानता हो या न जानता हो, लेकिन यह सचाई है कि वहां जाने वाले मेहमानों का खर्चा लेखपाल से वसूल होता है और मजबूर होकर वह जमीन चोरों से उसे वसूल करता है।

जब इस सरकार का गठन हुआ था और माल विभाग के एक डिप्टी मिनिस्टर सौभाग्य से हमारे जिले के ही बने थे, तो हमारे जिले के हर व्यक्ति को यह आशा बंधी कि वह इस जिले में हरिजनों की, और भूमि समस्या को जरूर हल करेंगे। आप रिकर्ड उठा कर देखें तो अपने कार्यकाल में हर सप्ताह में वह वहां का दौरा करने गये हैं। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से अदब क साथ यह पूछना चाहता हूं कि वहां इस समस्या को सुलझाने का क्या प्रयास किया, जो उन्हें करना चाहिये था। धोला परिहन, दरेरी, मंझनपुर किसी एक भी गांव की भूमि की समस्या वे सुलझा न सके। हम आशा करते थे और आज भी आशा करते हैं और भविष्य में वह अपना सारा व्यक्तित्व और अनुभव इस भूमि समस्या को सुलझाने में लगायेंगे। जो जमीन आपने लोगों से ली है गरीबों को देने के नाम पर, उससे बड़े-बड़े लोंगों को फायदा पहुंचा है। जब तक आप इसका सही उपयोग नहीं करते हैं और दूसरी सीलिंग लाते हैं, तो इससे गरीबों को फायदा पहुंचने वाला नहीं है।

कुछ क्षेत्रीय बातों की ओर भी मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शारदा सहायक परियोजना हमारे जिले हमारे ही क्षेत्र में आरम्भ हो रही है। हमारे क्षेत्र में इसका इतना अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। वहां का सारा इलाका पानी में गर्क हो गया और हर साल ही यह विनाश लीला हुआ करेगी। वह पानी में डूबता ही जायेगा। इसका लाभ होगा इलाहाबाद और आजमगढ़ को और उसकी हानि हम लोगों को उठानी पड़ेगी। 120 करोड़ रु० उस परियोजना पर आप खर्च कर रहे हैं इसलिये कि प्रदेश के और हिस्सों को इसका लाभ पहुंचे। आप बनकसा से लेकर इन्दरनगर तक शारदा नदी पर बांध डाल दें ताकि पानी न फैले। आज हमारे प्रदेश की हालत यह है कि जो हमारे प्लानिंग सेट है ग्राम सेवक से लेकर वी० डी० ओ० तक वह सिर्फ एक ही बात में उलझा है कि कैसे वह अधिक से अधिक पम्पिंग सेट्स बिकवा सके। जिसका रेट कन्ट्रैक्ट है 3,000 रु० और 4,000 रु०। इस कीमत पर वह यहां मिलता है जब कि वही पंजाब में 1,500 और 1,200 का बिलकुल नया मिल जाता है। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी किसान कोई भी मशीन अपने काम के लिये खरीदेगा

[श्री करन सिंह--]

तो वह अगर पंजाब की बनी हुई है तो वह उसको सबसे पहले खरीदेगा। हमारे यहां इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है जिससे हमारे यहां के उद्योग धन्धे बढ़ सकें। दूसरे प्रदेशों में जो खाद का उत्पादन होता है जैसे नंगल आदि में तो वहां की प्रदेश सरकारों का यह निश्चय है कि वह उसको अपने यहां के काश्तकारों की जरूरतों को फीड करके तभी दूसरे प्रदेशों में उसको जाने देंगी। हमारे यहां तो खाद का उत्पादन है ही नहीं और जो है उसका 80 प्रतिशत् उत्पादन चला जाता है दक्षिण भारत को। कैसा समाजवाद है यह? कैसे इस प्रदेश का भला हो सकता है?

इस सदन के अन्दर पूर्व, पश्चिम, बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाकों के गरीबों की समस्याओं को बड़े जोरदार शब्दों में कहा जाता है परन्तु जो बेचारा लखनऊ है या उसके आसपास के जो जिले हैं उनकी समस्यायें एकदम ही धुंधली रह जाती हैं। अपनी शराफत के कारण हम हल्ला भी नहीं मचा सकते हैं।

सरकार को अपनी नियत की सफाई देनी चाहिये। आपको कोई रेडिकल कदम उठाने होंगे। इसके लिये दो ही तरीके हैं। पिछली सीलिंग से निकली हुई और ग्राम समाज की सरप्लस भूमि खेतिहर भूमिहीनों में वितरित की जाय। साथ ही जो नाजायज कब्जे से भूमि निकाली जाय वह भी इन लोगों में बांटी जाय। बिना इसके आप आगे समाजवादी कदम नहीं उठा सकते हैं या सरकारी पक्ष के जो बड़े सदस्य भूस्वामी हैं वे बिनोवाभावे की भूदान आन्दोलन के अनुसार अपनी अधिक भूमि को अपनी इच्छा से गरीब भूमिहीन खेत मजदूरों को बांट दें। और आज के बाद जितनी भूमि बांटें उसका मुआवजा उसी रेट से उन्हें दिया जाये जिस रेट से अब सीलिंग में ली जाने वाली भूमि का दिया जायेगा लेकिन बिला अपनी नेक नियती का सबूत दिये केवल दबाव या दिखावटी भावना के अधीन केवल प्रदर्शन हेतु यदि कोई कदम जमीन के मामले में उठाया गया तो उसका विनाशकारी नतीजा होगा। इसलिये इस पर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लें।

श्रीमती सरस्वती टमटा (जिला अल्मोड़ा)--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया है। पिछले वर्ष हमारा प्रदेश कई कठिनाइयों से गुजरा है। यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार की रही हैं। इन सबके होते हुए भी जनता की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हुये, जनता पर बिना किसी बोझ को डाले हुए 72-73 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। श्रीमन्, पिछले वर्ष में कई दैवी विपत्तियों का सामाना करना पड़ा। प्रदेश के 51 जिलों में बाढ़से जान-माल का नुकसान हुआ तथा सरकार द्वारा जो सहायता पहुंचायी गई वह सराहनीय है। श्रीमन्, हाल ही में पाकिस्तान के युद्ध में हमारे देश और प्रदेश के जवानों ने बंगला देश को मुक्त कराके वीर गति प्राप्त की।

(इस समय 3 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगबीर सिंह पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं आपका अपने जिले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे जिले में 56 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 26 घायल हुये। जिसमें सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 32 सैनिक वीरगति को और 13 सैनिक घायल हुए हैं। इन वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों की सरकार के द्वारा सहायता की गई। यह मेरी आंखों देखी बात है लेकिन श्रीमन्, उनकी विधवाओं और उनके बच्चों के जीवन निर्वाह के लिये सरकार को ठोस कदम उठाना है। उनके लिये मकान और भूमि की व्यवस्था करनी है। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये प्रबन्ध करना है। श्रीमन्, हमारे यहां के पहाड़ी जिलों की स्थिति मैदानी इलाकों से भिन्न है। हमारे यहां घाटियों को छोड़कर बाकी सारी जमीन असिंचित रहती है और जिसके फलस्वरूप पैदावार नाम मात्र की ही होती है। इन जगहों पर फल उत्पादन की योजना हो सकती है। फल उत्पादन विभाग खोला गया है लेकिन उस का कार्य रानीखेत जैसी कुछ खास जगहों तक ही सीमित नहीं होना चाहिये।

श्रीमन् मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भारत-जर्मन परियोजना चल रही है जिसके अन्तर्गत काश्तकारों को रासायनिक खाद पैदावार की वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाया जा रहा है। इस से काश्तकारों को बहुत फायदा हुआ है। पैदावार संतोषजनक हो रही है। इस कार्य को करने के लिये जिला स्तर के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी जिस विद्युत गति से बिजली का विस्तार कर रहें हैं, वह पर्वतीय जिलों में बहुत मन्द है। पर्वतीय जिलों के विकास के लिये यातायात और संचार साधनों की समुचित व्यवस्था होना चाहिये क्योंकि वहां के विकास के लिये इन का अलग महत्व है। इसके अलावा भी इन जिलों की सीमा उस प्रदेश से मिली हुई है जिनसे हमारे प्रदेश को हमेशा खतरा रहता है।

इधर कुमायूं की पहाड़ी तिब्बत से मिलती है तो उधर गढ़वाल की पहाड़ियां चायना से मिलती हैं। 32 लाख लोगों के विकास के लिये यहां पर्वतीय विकास निगम बनाया गया है जो हमारे पर्वतीय लोगों के लिये झुनझुना मात्र है। और जोकि केवल फाइलों तक ही सीमित रहता है। पर्वतीय विकास का कार्य सम्भव नहीं होगा जब तक कि इसके लिये एक अलग से मंत्री और सेक्रेट्री की व्यवस्था न की जाय। जब किसी समस्या के विषय में शासन को लिखा जाता है तो जवाब आता है कि यह पर्वतीय विकास परिषद् से आना चाहिये। श्रीमन्, इससे हमारे सारे कार्य रुके रहते हैं।

श्रीमन्, इस वजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने वहां उद्योग खोले जाने की बात कही है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र, बागेश्वर में ऊन का कारोबार अच्छी मात्रा में होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यहां लघु उद्योगों और ऊन के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाय।

दूसरी बात श्रीमन्, अल्मोड़ा जिले में मैग्नीसाइट के कारखाने के खोले जाने की बात इस वजट में कहीं गयी है। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देना चाहती हूं। इस विषय के संबंध श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि यह कारखाना प्रायवेट में न होकर पब्लिक सेक्टर में खोला जाय। इसका संचालन केवल टाटा के हाथ में न जाकर, सरकार अपने हाथ में रखे और सरकार इस पर अपना अंकुश रखे। इससे वहां के लोगों को जो बेरोजगार हैं, काम मिलेगा। वहां के उन स्थानीय लोगों को, जिनके मकान और जमीन इस संबंध में ले ली गयी है और जिन्होंने इस संबंध में शासन को और मुझको भी प्रार्थना-पत्र भेजे हैं, (क्योंकि यह कारखाना मेरें ही क्षेत्र में खुल रहा है), जागेश्वर रेन्ज में जमीन दिलायी जाय और उन्हें बसाने की व्यवस्था की जाय। इस कारखाने में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इन्हीं लोगों में से रखा जाय। प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी वहां उपलब्ध हो सकते हैं।

श्रीमन्, हमारे जिले में सरकार द्वारा क्रैश प्रोग्राम की योजना चलाई जा रहीं है जिसका कार्य हमारे यहां काफी संतोषजनक हो रहा है। पिछले महीने में पंचायतराज मंत्री जी भी उस कार्य को देख आये हैं। उस कार्य को सफल बनाने में वहां जिलाधिकारी और जिला नियोजन अधिकारी (जिन क्षेत्रों में यह त्वरित योजना चल रही है) धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि वे लोगों की काफी मदद कर रहें हैं।

श्रीमन्, हमारे पर्वतीय जिलों में कई ऐसे दर्शनीय स्थान हैं जिनको देखने के लिये दूर-दूर से पर्यटक लोग प्रायः आते हैं। पिन्डारी ग्लेशियर हमारे क्षेत्र में है, जहां श्रीमन, 11 किलोमीटर सड़क बनायी जा रही है। श्रीमन्, मरारी से लोहार खेत तक 14 किलो मीटर तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। श्रीमन्, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भगाड़ी लोहारखेत से खावी तक यह सड़क और बना दी जाय तो पर्यटकों को काफी सुविधा होगी।

श्रीमन्, हमारे यहां पेय-जल का अभाव है। दो-ढाई मील की दूरी से लोग पानी लाते हैं। पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है। मैं पट्टी सरई पेय जल योजना के बारे में कहना चाहता हूं। श्रीमन्, अल्मोड़ा में पट्टी सरई के 50 गांवों में पेयजल का अभाव है। यहां की आबादी

[श्रीमती सरस्वती टमटा—]

12 हजार है। श्रीमन्, कई बार मैं इस माननीय सदन में इस बारे में कह चुकी हूं लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया। श्रीमन्, वहां की पेय जल की योजना हल हो सकती है क्योंकि 2,3 मील नीचे सरयू नदी से पानी इकट्ठा करके उनको वितरित किया जा सकता है। इस पेय जल की समस्या को सरकार शीघ्र हल करें।

श्रीमन्, हमारे बागेश्वर क्षेत्र में पौने दो लाख की आबादी है और 100 मील का क्षेत्रफल है लेकिन इसमें कोई भी सरकारी औषधालय नहीं है। पहले बागेश्वर में एक अस्पताल खोलने की बड़ी चर्चा थी, मगर वहां आज तक अस्पताल नहीं खोला गया। वहां नगरपालिका है, तहसील हेडक्वार्टर है, मगर अस्पताल कोई नहीं है। पिछले वर्ष 1 बच्चा 5 साल का बीमार हो गया, उसे डिप्थीरिया हो गया था, उसके मां-बाप उस बच्चे को 50 मील नीचे बागेश्वर लाये, वहां पर एक आर्डिनरी डाक्टर ने उसको यह कह दिया कि वह मर गया है। उसकी मां ने कहा कि उसकी सांस तो अभी चल रही है। खैर, उसने टैक्सी की, किसी प्रकार वह बच्चे को अल्मोड़ा लायी, वहां उसको डिप्थीरिया का इन्जेक्शन दिया गया, वह ठीक हो गया। तो मेरा निवेदन यह है कि अस्पताल के न होने से वहां की जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर और लोहाघाट में सरकार शीघ्र एक अस्पताल खोलने की कृपा करें।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बड़ी जागरूक है, पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां बागेश्वर में आज तक कोई डिग्री कालेज नहीं खोला गया। हमारे यहां 6–7 इन्टरमीडिएट कालेज हैं, मगर डिग्री कालेज एक भी नहीं है। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाने के लिये भेज भी नहीं पाते, कुछ भेजते भी हैं तो उन्हें एडमीशन बड़ी मुश्किल से मिलता है, कभी-कभी नहीं भी मिलता है। इसलिये बागेश्वर में एक डिग्री कालेज शीघ्र खोला जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके इस बजट भाषण के लिये धन्यवाद देती हूं।

*श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे 1972–73के बजट पर बोलने के लिये समय दिया। मान्यवर, मुसलमानों के त्यौहार पर ताजियों का जो निर्माण होता है वह इस तरह होता है कि बांस की पट्टियों को रंग बिरंगे कपड़ों से लपेट दिया जाता है और ताजिया बना दिया जाता है। उसी प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण को बनाया है जिसमें यह स्वीकार किया है हर जगह कि मैं यह करूंगा, वह करूंगा, यह विचार कर रहे हैं, जिसे देख कर यह लग रहा है कि वे मानो कान पकड़ कर उठ बैठ रहे हों। इसका कारण यही हो सकता है कि इन्होंने हर समय देश को आश्वासन दिये हैं और उक्त आश्वासन को पूरा करने के लिए अपने कदमों को कार्यान्वित नहीं किया। हिन्दुस्तान अधिकतर गांव में बसता है इसलिये हिन्दुस्तान प्रगति नहीं करेगा जब तक गांव की समस्याएं हल नहीं होंगी। इस देश में लगभग 6 लाख गांव हैं और 7 करोड़ गांव के परिवार है और इसमें से डेढ़ करोड़ खेतिहर मजदूरों के परिवार हैं। इसलिये जब तक ग्रामों की प्रगति नहीं होगी, तब तक हमारा देश प्रगति नहीं करेगा। हम देखते हैं शासन में वही लोग हैं जो बड़े-बड़े परिवारों से आते हैं, और ऐसे लोग आते हैं, जो छोटे लोगों की गरीबी की परेशानियों को तनिक भी नहीं जानते हैं। ये लोग अपने दिये गये वायदों को बिलकुल भूल जाते हैं। देश की स्थिति तभी सुधर सकती है जब गरीब घरों के व्यक्ति शासन में आएं, जिस व्यक्ति को कांटा चुभ रहा है वही दूसरों के कांटे निकालने का प्रयास करेगा। एक जगह यह कहा गया है :—

सुना था सदियों से हर कुटी अटारी तब होगी,
वह क्रांति पली झोपड़ियों में वह राजदुलारी जब होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं।

मान्यवर, यह कितना भावपूर्ण है। यह देश की स्थिति से अवगत कराने वाला शेर है। जब तक देश की बागडोर संभालने वाला गरीब और दुखिया परिवार का नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी हमेशा हवाई जहाज पर चली हैं,

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कारों पर चली हैं, उनको इसका एहसास कभी नहीं हो सकता है। उनको इस विषय में राय देने वाले 10–10 छोटे घरों के लोग होने चाहिये, तब इनको देश की सही जानकारी हो सकती है। आप देखिए चुनावों में कितने वायदे किये गये, किन्तु बजटों में इनमें से एक भी पूरे नहीं किये गये। पिछड़े वर्ग और हरिजनों को ले लिया जाए, किसी के विषय में निर्धारित नीति का पालन नहीं किया गया है। मान्यवर, मुझे 19 जनवरी, 1972 का एक दृष्टान्त याद है। मैंने गोरखपुर से सम्बन्धित ट्यूबवेल्स आपरेटरों की स्थिति के विषय में असेम्बली में एक प्रश्न पूछा था। उसमें मैंने हरिजनों के कोटे के प्रश्न पर पूछा था। उसमें हरिजनों का कोटा केवल 8 प्रतिशत है। परीक्षा में 3 हरिजन बैठे थे। हाईस्कूल तक शिक्षा की योग्यता थी, लेकिन बी०ए० पास हरिजन को फेल कर दिया गया है। इस परीक्षा में उसी विभाग के लोगों के लड़कों को पास किया गया है और सभी हरिजनों को फेल कर दिया गया है। वाइवा टेस्ट में फेल किया गया। बाद को मुझे यह भी पता चला कि जो लड़के पास हुए हैं, फेल होने वाले लड़के थे, लेकिन उनकी कापियां तक बदल दी गई। इस तरह से अधिकारी हरिजनों का कोटा पूरा न होने देने के लिये साजिश करते हैं। इसलिए मैं अपने मननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इन हरिजनों को जो लम्बे चौड़े आश्वासन दे दिये जाते हैं, वे कोरे भ्रम हैं और आप लोगों के सामने अब सन् 62 वाली स्थिति आने वाली है जब खद्दर का कुर्ता पहनना दुर्लभ हो गया था। क्योंकि अपने देश की जनता को दिग्भ्रमित किया था। आपको विचार करना है कि आपको एक मौका मिला है और उसमें कुछ काम करके दिखाना चाहिये। लेकिन आप अब भी आश्वासन देते जा रहे हैं। केवल कागजों में प्रगतिशीलता समाजवादी बातों की कर देने से समाजवाद नहीं आता। वह समाजवाद देहात से शुरू होगा और शहरों तक पहुंचेगा, तभी ठीक होगा।

आप तो अधिकतर शहरों के विषय में सोचते हैं। कहीं देहात में बिजली के बल्ब जल गये तो कहते हैं कि प्रकाश पहुंच गया। आपने देहात के हृदयस्थल को टटोला नहीं है। उसके साथ-साथ इधर जो तकावी का वितरण चल रहा है, प्रत्येक जिले में बहुत धांधली चल रही है। अधिकृत रूप से गोरखपुर के विषय में कह सकता हूं कि 10 प्रतिशत उस तकावी का वहां के लोगों ने लिया है। इतना ही नहीं उस क्षेत्र के विशेष स्थल हैं। तहसील सदर का मुझे ज्ञान है। माननीय मनीराम क्षेत्र में बडी संख्या में तकावी दी गयी है। दूसरा स्थान है सहजनवा और तीसरा जंघटा सदर में पड़ता है जो तोसरे नम्बर पर है। आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि इस विषय में जांच करा दें कि क्यों ऐसा हुआ। मैंने स्वयं तहसीलदार के निवासथान पर रात में लोगों को बैठे देखा और बताया गया कि तकावी दे दी गयी, लेकिन मुझे पता चला कि 3-3 महीने से नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने बंधी हुई अप्रत्यक्ष रकम जो होती है, वह नहीं दी है।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान प्रदेश में जो सिंचाई योजनाएं चल रही हैं उनकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सिंचाई खेती के लिए बहुत आवश्यक चीज है। सिंचाई के लिये नहरें, ट्यूबवेल, पम्प नहरें हैं जी केवल लगा दी गयी हैं पर उनकी कार्य क्षमता कुछ भी नहीं है। उदाहरण के रूप में रामगढ़ की पूर्वी नहर की ओर संबंधित मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह बहुत दूर तक दिखाई गयी है। उसके कमांड में न तो कोई दूसरी नहर जाती है, न पानी चलता है, न बिजली से चलने वाला ट्यूबवेल ही उधर लगाया गया। इस तरह से वहां भुखमरी हमेशा छायी रहती है। जहां तक ट्यूबवेल की स्थिति है, उनमें 10–5 प्रतिशत ऐसे ही चल रहे हैं जो केबल गाड़ दिये गये हैं, पानी नहीं देते हैं। खेती के संबंध में बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही जाती हैं लेकिन ऐसी-ऐसी अनियमितताएं हैं कि जो आपके इंजीनियर, ओवर सीयर ऐसे ट्यूबवेलों के लिये जो जगह स्वीकार करते हैं उससे कैसे प्रदेश का ढांचा आप खड़ा रख सकते हैं ?

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

मैं आपका ध्यान कुछ कछारी भू-भागों की ओर भी जो फ्लड अफेक्टेड एरिया हैं, उनकी ओर ले जाना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि इधर कुछ फ्लड डिवीजन की स्थापना की गयी है जो बोर्ड को दे दी गयी है, लेकिन अभी जो कुलाबे मात्र हैं, उसकी रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आयी। मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान गोरखपुर की जंगहा तहसील की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 24 तारीख को तहसील में शायद पहला अवसर आया जबकि उस क्षेत्र में पहली बार जिलाधिकारी वहां गये थे। उनके सामने हजारों की संख्या में उस रात्रि को कछार के निवासियों ने भूखे और फटेहाल होकर प्रदर्शन किया और उन्होंने अपना नसबन्दी का प्रश्न रखा और आश्वासन दिया कि हम करायेंगे लेकिन जो सदियों-सदियों से आने वाला कष्ट बाढ़ का है उसके विषय में ध्यान दें, लेकिन आज तक उस विषय में कुछ नहीं हुआ।

इसी के साथ-साथ में आपका ध्यान जो यह कहा जाता है कि प्रदेश विकास कर रहा है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। हमेशा यह प्रदेश पीछे की ओर जा रहा है। कर्मचारियों के भुलावे के लिये आयोग का गठन अध्यापकों के वेतन आदि के लिए कोठारी आयोग, पूर्वी जिलों के लिये पूर्वांचल के विकास के नाम पर बोर्ड की बात कही जाती है। ये मेरी समझ से कोलाबे की बात हो जाती है। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जो आयोग बनता है, वह जो रिपोर्ट देता है तो वह सचिवालय में बन्द हो जाने पर उसकी चाभी खो जाती है। फिर उस पर कार्य नहीं होता है। या अगर सरकार कार्य करने का थोड़ा साहस करती है तो धनाभाव दिखा कर अपना समय काट ले जाती है। कहीं वेतन आयोग के विषय में बैठकर कई वर्ष टालते चले जाते हैं और प्रदेशके कर्मचारियों के सामने आश्वासन का केवल एक मात्र बहाना रह जाता है। यह सरकार अपने कोरे वादों पर चल रही है।

जहां तक हरिजन बस्तियों की बात है हर जिले में 30 या 40 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है लेकिन रुपया किन को मिलने वाला है? मैं साफ-साफकहता हूं कि यह कर्ज कुछ वर्ष तक वसूल नहीं होगा। इसमें भी जिनके मकान हैं, उन्हीं लोगों ने अधिकतर अपने फार्म डाइरेक्टर हरिजन कल्याण को प्रेषित किये हैं। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में ध्यान दिया जाय।

मैं समाज कल्याण मंत्री का ध्यान इस समाज के उस वर्ग की ओर ले जाना चाहता हूं कि जो समाज का स्वास्थ्य निरीक्षक, धोबी है। गांवों में चकबन्दी चल रही है। धोबी एक सार्वजनिक हित का काम करता है। उसको तालाब पोखरे की जरूरत होती है। तालाब पोखरे भी लिख लेते हैं उनको धोने के लिय पानी नहीं मिलता है। इसके लिए नगरपालिकाओं ने कुछ प्रबन्ध किया है लेकिन देहात में धोबी के लिये व्यवस्था नहीं की गयी है। आयेदिन उनकी बेइज्जती होती है और उनके जानवरों को मवेशीखाने में कर दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक जिले में जहां चकबन्दी चल रही है धोबी घाट के विषय में मंत्री जी ध्यान दें, नहीं तो हमारे आपके कपड़े जो चमक रहे हैं, शायद ऐसे न दिखायी दें क्योंकि पोखरे वगैरह सब लिख लेते हैं और उनको धोबी घाट न होने के कारण बड़ी असुविधा होती है। कपड़े बिछाने के लिये भी उनको जमीन चाहिये नहीं तो कपड़े सूख नहीं पाएंगे। आप इस ओर अवश्य ध्यान दें।

आपके यहां बिजली की आरईसी स्कीम केन्द्र से आयी हुई है। शायद उसमें दो परसेंट रिटर्न पर बिजली दी जाती है। वह उपेक्षित क्षेत्रों में बिजली देने के लिए है। लेकिन मंत्री लोग अपने क्षेत्रों को उपेक्षित दिखा रहे हैं और दो परसेंट रिटर्न वाला हिस्सा अपने यहां मार दे रहे हैं। जहां बाढ़ की स्थिति है, न कोई बांध है, न कुछ है, वहां के लिये यह योजना जानी चाहिये। इससे वहां की जनता का विकास हो सकता है। आजकल जो गावों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं चल रही हैं उसमें बड़ी धांधलिया हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। यह मंत्रियों के जेबखर्च का केवल बजट है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट मैंने देखा। ध्यान से पढ़ा, और सुना भी। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रदेश के पिछड़ेपन, गरीबी, बेकारी दूर करने और इसके विकास के लिए कुछ ठोस कदम सुझाये हैं ऐसा मुझे नजर पड़ता है। कुछ महत्वाकांक्षी तथा महत्वपूर्ण योजनायें उन्होंने इस प्रदेश के लिये प्रस्तुत की हैं। सिंचाई, कृषि तथा विकास पर, छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना पर, खासतौर से पिछड़े इलाकों पर उन्होंने बल दिया है। एक दर्जन कार्यक्रम विशेष के लिये निगमों की स्थापना पर बल दिया गया है। किन्तु मैं माननीय मंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि निगमों की स्थापना कार्यक्रम विशेष के लिये जो वह कर रहे हैं, उनमें अगर ईमानदार और योग्यतम, अधिकारियों को न रखा गया तो यह योजनायें सफलता प्राप्त न कर सकेंगी। चरित्र पंजिका के आधार के अलावा उनको शोहरत के आधार पर, उनकी ईमानदारी का ध्यान रखते हुए अधिकारियों को उनमें रखा जाय और पुराने तथा सेवा निवृत्त अधिकारियों को किसी हालत में भी उनमें न रखा जाय और अगर ऐसा वह करेंगे तो उनको पश्चाताप करना पड़ेगा।

प्रदेश के विकास के लिये किसी भी सरकार को नये टैक्स लगाने पड़ते हैं जिससे मंहगाई बढ़ती है, निर्धनों पर बोझ पड़ता है तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जीवन तो दूभर ही हो जाता है। वैसे आवश्यकता होती है नये टैक्सों को लगाने की, लगाये भी जाते हैं और लगाये भी जायेंगे लेकिन उससे भी बढ़ कर आवश्यकता है कि पुराने टैक्सों तथा एरियर्स को कड़ाई के साथ वसूल किया जाय। प्रदेश में करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है। बकाये की धन-राशि के लिये जहां गरीब आदमी जेल में बन्द होता है वहां अमीर आदमी सिफारिश के आधार पर मोहलत लेता रहता है और वह अपनी देय धनराशि को टलवाता रहता है। एरियर्स इकट्ठा होते रहते हैं। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जैसे कहा जाता है कि दो अथवा तीन के बाद कभी नहीं, उसी तरह से एक सिफारिश के बाद मोहलत कभी नहीं। जिला अधिकारी की सिफारिश पर अगर एक दफा टैक्स की वसूली मुल्तवी कर दी गयी है तो उसके बाद दुबारा उसके साथ वसूली में ढिलाई न बरती जाय। राजस्व मंत्री से मेरा निवेदन है कि जायदाद के बैनामें जो होते हैं उनकी बहुत कम कीमत दिखाई जाती है। इसके लिये घोषणा की जाय कि तीस दिन के अन्दर किसी बैनामे की धनराशि से 10 फीसदी अधिक मिलने पर कोई उस बैनामे को लेना चाहे अथवा सरकार खरीदना चाहे तो पुराना बैनामा रद्द हो जायगा। इससे यह होगा कि लोग जो कम कीमत बैनामों में दिखा कर सरकार को धोखा देते हैं, वह धोखा न दे सकेंगे।

इसके अलावा इस प्रदेश में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है पिछले दशक में 2.8 प्रतिशत हमारी अर्थ व्यवस्था में वृद्धि हुई है। अगर आप पंजाब को लें तो वहां पर ९ प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई है और हरियाणा में जिसका निर्माण हुए अभी केवल 5 साल ही हुए हैं, उसने पिछले 3 सालों में 26 प्रतिशत अपनी अर्थ व्यवस्था में वृद्धि की है। कहां हरियाणा जो कि निहायत ही एक छोटा सा प्रदेश है, साधन भी वहां के सीमित हैं, उसने 16 प्रतिशत की वृद्धि अपनी अर्थ व्यवस्था में की है। जब वह प्रदेश इतनी वृद्धि कर सकता है और उसका अभूतपूर्व विकास हो सकता है तो उसकी तुलना में हमारा प्रदेश, जो कि एक भारी भरकम प्रदश है केवल 2.8 प्रतिशत की ही वृद्धि हो सके तो यह एक विचारणीय प्रश्न है। आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आन्ध्र, तामिलनाडू और गुजरात आदि जिन प्रदेशों ने आशातीत विकास किया है, प्रगति की है उनसे इस प्रदेश को सबक लेना चाहिये और उसी के अनुसार इस प्रदेश को प्रगति मार्ग पर ले जाना चाहिये। वर्तमान सब मंत्री जानते हैं और सब सरकारें जानती हैं कि प्रति वर्ष मार्च के अन्त में या मार्च के पिछले 15 दिनों में रुपया अनुदान के रूप में या ऋण के रूप में दिया जाता है। तो जब 28, 30 और 31 मार्च को रुपया दिया जायेगा तो उसका क्या सदुपयोग होगा ? मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कोशिश की जानी चाहिये और कड़ाई से इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिये कि जनवरी के बाद किसी भी प्रकार का ऋण और अनुदान नहीं दिया जायेगा जिसका सदुपयोग न हो

[श्री वीरेन्द्र वर्मा---]

सके। जितनी धनराशि बजट में प्राविधित की जाती है प्रतिबर्ष बहुत-सा रुपया बगैर प्रयोग किये पड़ा रहता है तो यह इन इफीसियेन्सी का द्योतक है और प्रशासन की ढिलाई का द्योतक है। अतः यह उचित ही होगा अगर यह प्रयास किया जाय कि जिन-जिन विभागों में बजट में प्रोवाइड की हुई धनराशि सही प्रयुक्त नहीं होती, उन विभागों के उच्चाधिकारियों से जवाब तलब किया जाय और इस बात की कोशिश हो कि नियमानुसार शनैः शनैः इसमें सुधार आये। परफारमेंस बजट जो केवल 5 विभागों का बनाया गया है उससे लाभ उठाया जा सकता है। ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी या सेल आफ प्रापार्टी के सिलसिले में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अक्सर बहुत से आदमी जिन के ऊपर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या अन्य गवर्नमेंट ड्यूज बकाया होते हैं, वे अपनी जायदाद को बेच देते हैं। माननीय मंत्री जी इस बात के ऊपर भी गौर करें कि क्या यह उचित नहीं होगा कि नो क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स और अन्य गवर्नमेंट ड्यूज का, जायदाद का ट्रान्सफर या बिक्री करते समय होना चाहिये।

हमारा प्रदेश गरीब प्रदेश है। उसमें बहुत से पब्लिक स्कूल भी हैं। जहां अमीर आदमी अधिक पैसा खर्च करके पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वहां भारत सरकार ने प्राविधान कर प्रतिभाशाली गरीब बच्चों के लिये कुछ सीटें आरक्षित की हैं। मेरा सुझाव है कि 40 प्रतिशत सीटें ऐसे निर्धन बच्चों के लिये, ऐसे स्कूलों में आरक्षित होनी चाहिये और जो बड़े आदमियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते है, उनके अभिभावकों पर कोई टैक्स लगाया जाना चाहिये जो गरीब प्रतीभाशाली बच्चों पर खर्च हो।

सन् 1937 और 1939 के बीच इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार पहली बार आयी थी उसने किसान पर पुराने कर्जों की समाप्ति की थी। रिडैम्पशन आफ डैट ऐक्ट बना कर निर्धन, गरीब किसानों को कर्जे से मुक्ति दिलाई थी। मेरा सुझाव है कि आज जो छोटे कर्मचारी हैं जो भूमि हीन निर्धन व्यक्ति हैं वे अधिकांश बड़े कर्जे से दबे पड़े हैं। रिजर्व बैंक ने रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट निकाली थी उसमें दिखाया गया है कि सब से ज्यादा कर्जे में जो दबे हैं वह निर्धन व्यक्ति हैं, निम्न वर्ग के हैं, उनके ऊपर सब से ज्यादा कर्जा है। आज न कोई सूद का प्रतिबंध है, न किस्त का प्रतिबंध है, और न रुक्के के रजिस्ट्रेशन हैं। इस प्रकार के कर्जा देने वालों को लाइसेंस दिया जाय और उनके रुक्के का रजिस्टशन कराया जाय, सूद की शरह खोली जाय और किस तरह से कर्जा वापस किया जायेगा उसको भी खोला जाय और जो पुराने कर्जे हैं 5 साल से अधिक के जो वे नहीं दे सकते है उनका रिडम्पशन किया जाय, उनको समाप्त किया जाय, इस प्रकार का बिल 1970 में तत्कालीन सरकार ने बनाया था। वह आज भी मौजूद है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये और इस अधिवेशन में उसको पारित कराना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि सहकारिता विभाग ने रिक्शा चालकों के लिये कोआपरेटिव सोसायटी की स्थापना पर विचार किया है। आन योर ओन रिक्शा, अपनी रिक्शा और टेम्पो ले सकें, इस प्रकार की योजना सरकार को बनानी चाहिये जिससे पैसे वाले गरीब आदमियों का शोषण न कर सकें बल्कि निर्धन आदमी आपके कर्जे से अपना रिक्शा तथा टैम्पों वगैरा ले सकें।

किसानों के गन्ने का मूल्य बहुत दिनों तक पड़ा रहता था। मिल मालिक कहता था कि हमारी चीनी उठी नहीं है, क्रय कर भी वसूल नही होता था। किसानों का गन्ने मूल्य बहुत समय तक बकाया रह जाता था। पिछले वर्ष 20/25 करोड़ रुपया काफी दिनों तक बाकी रहा। लेकिन अब सरकार ने कानून बना दिया है जिससे चीनी के स्टाक पर बैंक से जो रुपया एडवांस मिलता है उससे गन्ने का मूल्य मिल जाता है और जिस तरह से भारत सरकार उत्पादन-कर काटती है, प्रदेश का क्रय-कर काट लिया जाता है। पिछले वर्षों का जो मिल मालिकों के ऊपर काफी बकाया है उसकी वसूलयाबी कड़ाई के साथ मालगुजारी की तरह होनी चाहिये। इसके लिये भी कानून में उचित संशोधन करने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, मुझे बड़ी हैरत हुई जब एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने इस वर्ष गेहूं के क्रय मूल्य को घटाने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने फर्टिलाइजर पर और पम्पिंग सेट्स पर कर लगाया। एग्रीकल्चरल एम्पलीमेंट्स की कीमत बढ़ी है, किसान कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है और उसका लाभांश घटता चला जा रहा है। मुझे मालुम नहीं कि कृषि मूल्य आयोग के पास कौनसा औचित्य था कि उसने गेहूं की कीमत घटाने का सुझाव दिया। मैं तो नहीं सोचता कि कृषि मूल्य आयोग में किसानों का कोई प्रतिनिधि है। इसके पहले चेयरमैन, श्री दांत वाला थे, मैंने उनसे कहा कि इस आयोग पर किसानों का प्रतिनिधि होना चाहिये क्योंकि उन्हीं की पैदावार की कीमत तो आप यहां मुकर्रर करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया का अगर हम किसानों का प्रतिनिधि रखेंगे तो उपभोक्ताओं का भी रखना होगा। मैंने कहा कि उपभोगताओं के नुमायंदे तो आप सब है ही। लेकिन किसानों का कौन है? वे चुप हो गये। यह खेद की बात है कि किसानों का पैदावार की कीमत मुकर्रर की जाती है और उनको अपना प्वाइन्ट आफ व्यू रखने के लिये मौका भी नही दिया जाता।

1969–70 में 16 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और इस वर्ष मुश्किल से 8 1/2 लाख टन होगी। कभी गन्ने का क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है कि किसान लोग तबाह हो जाते हैं और उनको असहनीय माली हानि उठानी पड़ती है और फिर कभी चीनी का इतना कम उत्पादन होता है कि उपभोक्ताओं को मुशकिल हो जाती है। यह भारत सरकार की दोषपूर्ण नीति का परिणाम है।

इसी प्रकार से अनाज के मामले में भारत के आजाद होने के 24 साल तक अन्न का आयात होता रहा, केवल 1972 में अमेरिका से जो गेहूं आयात होता था, उसको रोक दिया गया। अब किस कारण से किसानों को निरुत्साहित करने की कोशिश हो रही है, मान्यवर, आप देखें कि दुनिया में कहीं भी फर्टीलाइजर की इतनी अधिक कीमतें नहीं हैं जितनी कि भारत में। उसके ऊपर भी टैक्स और बढ़ा दिया गया है जिससे गरीब उसको क्रय ही न कर सकें। पम्पिंग सेट्स के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है।

अभी मैंने सिंचाई आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में केवल 20-22 फीसदी ही कृषि योग्य भूमि सिंचित है और अभी कुछ साल लगेंगे, तब वह बढ़ कर 50 फीसदी हो सकेगी। हमारे प्रदेश में 30 फीसदी सिंचाई का क्षेत्र है इस पर भी पम्पों पर नये टैक्स लगा दिये गये हैं। क्या यह किसानों को निरुत्साहित करने के लिये नहीं है? अगर आप शराब के ऊपर टैक्स लगाते तो मुझे खुशी होती कि शराब पीने को आप निरुत्साहित कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि अंग्रेजी शराब को भी नीलाम किया जायगा। यह उम्मीद मुझे नहीं है कि सचिवालय के उच्चाधिकारी शराब को नीलाम होने देंगे। पहले भी उन्होंने रुकावटें डाली है और अब भी वही डालेंगे।

1965 में माननीय लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधान मन्त्री थे तभी केवल खेती की पैदावार बढ़ाने पर समुचित ध्यान दिया गया था और उसके बाद देश में खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई और आज सौभाग्य से हमारा देश खाद्यान्न में आत्म निर्भर हो गया और आत्म निर्भर ही नहीं बल्कि बंगला देश को भी हम निर्यात कर सके हैं और कर सकेंगे, यदि इसी प्रकार 5 साल के लिये नीति हमारी सरकार घोषित कर सके।

मैं सरकार को इस विषय पर भी बधाई देता हूं कि उन्होंने ट्रांसफारमर्स का चोरी कोई करता था, चोर को दंड न देकर किसानों से उसकी कीमत ली जाती थी। इस सरकार ने तय किया है कि इसका मूल्य किसानों से नहीं लिया जायगा और विभाग ही उसको बर्दाश्त करेगा।

न्यूनतम गारन्टी 120 रुपये की जो थी, उसे तो उन्होंने समाप्त कर दिया लेकिन 15 पैसे प्रति यूनिट दर को बढ़ा कर 18 पैसे कर दी है। देश में यदि आप देखें तो पायेंगे कि 15 पैसे प्रति यूनिट की दर सारे प्रदेशों के मुकाबले में आज भी अधिक है परन्तु फिर भी आप ने बढ़ा दिया। यह प्रदेश सब प्रदेशों में सब से अधिक गरीब है अतः मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पर पुनः विचार करें।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

पिछले वर्ष खलिहानों में अनाज का स्टाक भीग गया था क्योंकि थ्रेसर्स को चलाने के लिये बिजली नहीं दी जा सकी थी। दूसरे अप्रैल, मई और जून में किसान को सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। इन महीनों में किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है। अतः श्रीमन, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त एवं विद्युत मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अप्रैल, मई, और जून के महीनों में प्राथमिकता के आधार पर काश्तकारों को 24 घंटे के लिये बिजली दे ताकि वे अपने थ्रेसर्स चला सकें और सिंचाई कर के पैदावार बढ़ा सकें। यह किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता है और प्रदेश की भी सबसे बड़ी आवश्यकता है।

नरौरा में एटामिक स्टेशन स्थापित करने के बारे में कई वर्षों से साइट का सेलेक्शन हो चुकाहै। मेरे जैसे आदमी को भय होने लगा है कि कहीं इसको दूसरे स्थान पर न उठा ले जायें। मेरी प्रार्थना है कि एक आध चीज तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप स्थापित करा दें।

गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लान्ट की स्थापना हुयी लेकिन इस विशाल प्रदेश के लिए एक और फर्टिलाइजर फैक्ट्री की आवश्यकता है जो पश्चिमी जिलों में होनी चाहिये। एक स्टील प्लान्ट और एक रिफाइनरी भी इस प्रदेश में लगनी चाहिये। दूसरे प्रदेशों में स्टील प्लान्ट और रिफाइनरी आदि लग चुकी है लेकिन आपके प्रदेश में, इतना बड़ा होते हुए भी उसमें कोई स्टील प्लान्ट और रिफाइनरी नहीं लगायी गयी है। प्रगतिशील आप की नीतियों में मेरी, प्रार्थना है कि भगवान आपको सफलता दे। मेरा निश्चित मत है कि इस क्षेत्र में स्टील प्लान्ट और एक रिफाइनरी अवश्य लगनी चाहिये।

1905 में मेरठ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में एक छोटी लाइन के नाम से लाइट रेलवे चलती थी, जिसे शहदरा–सहारनपुर लाइट रेलवे भी कहते थे, 1970 में वह भी बन्द हो गयी, कम्पनी ने बन्द कर दिया। हर्ष है कि इस सरकार के मुख्य मंत्री जी ने उसकी पटरी को उखड़वाना बन्द करवा दिया था। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई नयी चीज न दी जा सके तो कम से कम पुरानी को तो चलवाने का प्रयास अवश्य कर ही दें।

मान्यवर, इस बजट स्पीच में सस्ते न्याय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। न्याय दिनों दिन महंगा और दुर्लभ होता चला जा रहा है। यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि न्याय सस्ता और सुलभ मिल सके। उसके लिये मेरा एक सुझाव यह भी है कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच भी स्थापित की जाय।

लोक-सेवा आयोग की परिक्षाएं इलाहाबाद में होती हैं, जिस प्रकार से पी० एम टी० की परीक्षाएं रीजनल बेसिस पर होती हैं, उसी प्रकार प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों की अलग रीजनल बेसिस पर परीक्षा करायी जा सके तो बहुत अच्छा हो। मेरा सुझाव है कि रीजनल बेसिस पर इन परीक्षाओं की व्यवस्था करायी जाये। इसके साथ ही साथ अगर यह भी संभव हो सके कि पिछड़ी जाति के निर्धन और गांव के वातावरण में रहने वाले अभ्यर्थियों को उच्च नौकरियों के लिये जैसे आई० एस०, पी०सी०एस० की परीक्षा होती है, रीजनल बेसिस पर उसके लिये ट्रेनिंग और कोचिंग की यदि व्यवस्था हो सके तो हमारी सेवाओंका स्तर भी ऊंचा होगा, ऐसा मुझेविश्वास है।

मान्यवर, संविधान में पच्चीसवां संशोधन केंद्रीय सरकार ने किया है उसके लिये वह बधाई की पात्र है। मुझे उम्मीदहै कि इस पच्चीसवें संशोधन के हो जाने के बाद मिलों के राष्ट्रीयकरण में कोई असुविधा नहीं रह जायेगी और गन्ने के मिलों का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण हो सकेगा। वेतन आयोग की शीघ्र ही सिफारिश आने वाली है। समाजवाद के इस युग में मैं निवेदन करूंगा कि अगर मुमकिन हो सके और मुमकिन होना चाहिये कि निम्न श्रेणी के अर्थात् तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का महंगाई-भत्ता मुकाबलेतन दूसरों से ज्यादा होना चाहिये।

मान्यवर, अब मैं शिक्षा प्रणाली के संबंध में कहना चाहता हूं। हमारे देश के सभी कर्णधार उसके आमूल चूल परिवर्तन की चर्चा करते हैं मांग भी करते हैं पब्लिक प्लेट

फार्म से उसकी चर्चा करते हैं । कई एक उच्च आयोग भी शिक्षा विदों के इस सिलसिले में बने । उन्होंने रिपोर्ट्स भी दी लेकिन किसी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया । शिक्षा द्वारा ही हमारी भावी संतान के दिलोदिमाग बदले जा सकते हैं । बदलते हुए संसार में बदलते हुए समाज में बदली शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है । मैं ध्यान दिलाऊंगा इस सरकार का कि वह इस तरफ ध्यान दें ।

आखिर में, जहां तक बेकारी हल करने का सवाल है, उसके लिय क्रैश प्रोग्राम की योजनायें बनीं, जिलों में रोजगार भी मिले सड़कें भी बनीं और बनेंगी लेकिन यह अनुत्पादक रोजगार हैं । इससे परमानेंट रोजगार नहीं मिल सकेगा । यह प्रदेश गरीब है इसलिये उत्पादक रोजगार की आवश्यकता है । आवश्यकता है ऐसे छोटे उत्पादक रोजगारों की, क्रांतिकारी योजनाओं की जिसके फलस्वरूप लोगों को परमानेंट नेचर का रोजगार उत्पादक रोजगार मिल सके । उनके लिये बाजार और क्षेत्र भी पूर्व से निर्धारित करा दिया जाय ।

मान्यवर, आखिर में मैं परिवार नियोजन की बाबत कहना चाहता हूं । बहुत बड़ा खर्चा परिवार नियोजन पर प्रदेश की सरकार कर रही है । करना भी चाहिये उसकी आवश्यकता है लेकिन मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहूंगा सरकार उस पर भी ध्यान दे । शायद चालीस साल पेश्तर शारदा ऐक्ट बना था । उसका अगर कड़ाई के साथ पालन करा दिया जाय तो उससे खर्चा भी कम होगा, मैजिस्ट्रेटों के सामने उन शादियों के रजिस्ट्रेशन होने लगे तो काफी कंट्रोल हो जावेगा । प्रदेश सरकार भारत सरकार से कहकर लड़क और लड़कियों की आयु में 21 और 18 वर्ष की आयु क्रमशः करा सके तो वह और भी ज्यादा सहायक होगा । इसमें खर्चा भी नहीं होगा ।

मान्यवर, अन्त में मैं आपको धन्यबाद देकर यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि सभी योजनाओं की कामयाबी के लिये हमारे प्रदेश का प्रशासन स्वच्छ और दक्ष होना नितांत आवश्यक है । जिले की जनता का सीधा बड़ा वास्ता जिला प्रशासन से पड़ता है । वहां अगर उनको स्वच्छ प्रशासन नहीं मिलता है तो उसका समाज पर अच्छा असर नहीं पड़ता है । इस ओर ध्यान दिया जाय और प्रशासन स्वच्छ किया जाय जिससे जनता का प्रशासन में विश्वास उत्पन्न हो सके और तभी प्रजातंत्र की नींव गहरी होगी । इन शब्दों के साथ जो बजट पेश किया है, माननीय वित्त मंत्री ने उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

उपाध्यक्ष––

आज नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । माननीय महातम प्रसाद त्रिपाठी ने सूचना दी है कि केन यूनियन में भ्रष्टाचार है और लाखों रुपयों का गोलमाल है ।

यह प्रश्न आश्वासन समिति के विचाराधीन है इसलिये यह स्वीकार नहीं किया गया है और यह अविलम्बनीय है भी नहीं । दूसरा माननीय शम्भूनाथ चौधरी की सूचना है और माननीय त्रिलोकचन्द्र की भी । उनका कहना है कि बलिया के जनपद के कलेक्टरी में मुहाफिज खाने में आये दिन मुदकमें की फाइलें और खसरा-खतौनी गायब कर दिये जाते हैं । यह अस्पष्ट है और अविलम्बनीय लोक-महत्व का भी नहीं है ।

बलिया जिला आपके लिये एक समस्या हो गया है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)––

वहां फाइलें गायब होती हैं तो कोई नई बात नहीं । हर महीने ही फाइलें गायब होती हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)––

बलिया आप मजाक में कह रहे हैं या गम्भीरता से कह रहे हैं ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

वहां का कलेक्टर खुद साजिश कर रहा है। मैंने दरख्वास्त दी थी और जो इंचार्ज है उसने अपनी रिपोर्ट भी लगा दी है। फिर भी कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिये कि कौन सी फाइल गायब हुयी, कैसे गायब हुयी और कब गायब हुयी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने बराबर प्रश्न किया और उत्तर यही मिला कि जांच हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको कैसे स्वीकार कर लें इतना अस्पष्ट है कि एक भी इसमें दृष्टांत नहीं है कि कौन फाइल है, कहां की है और कैसे गायब हुयी। मैं पूछता हूं कि क्या यह उपयुक्त विषय है वक्तव्य के लिये? अगर कोई दूसरा माननीय सदस्य कह दें तो स्वीकार किया जा सकता है। हो सकता है कि आपकी तरह के लोग हों, तो हो सकता है। आप प्रश्न करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी ने उन्नाव जिले के गंज मुरादाबाद कस्बे में होली जुलूस निकालने पर मनाही के कारण जनता में असंतोष की सूचना दी है। इसमें कौन-सी होली है, आने वाली होली या····

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, होली तो होली। मायवर, 80 लोग भूख हड़ताल कर चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

चूंकि यह सम्भावना पर आधारित है, इसलिये अस्वीकार किया।

माननीय कल्याण सिंह जी ने 9 अप्रैल को आंधी एवम् ओला वृष्टि से फसल एवम् खलिहानों में हानि की बात कही है। इनका प्रश्न दैवी प्रकोप के संबंध में है, कल की घटना है अतः कार्यवाही के लिये भेजा जा रहा है।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं इस पर वक्तव्य इसलिये चाहता था कि कल आंधी के बाद वर्षा और ओले पड़े हैं जिससे जो फसल खड़ी है उसको नुक्सान पहुंचा और जो खलिहानों में रखी है, उसको नुकसान हुआ है। चूंकि पूरे प्रदेश का मामला है और लाखों किसानों से संबंधित है·····

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, बाद में देखा जायेगा।

श्री रामकिशोर शुक्ल ने इलाहाबाद में मेजा करछना तहसीलों के तालाबों में बाढ़ से भरे पानी को निकालने के सम्बन्ध में सूचना दी है। आप इस पर प्रश्न करें।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं वक्तव्य इसलिये चाहता था····

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें और अगर प्रश्न से संतोष न हो और सरकार कार्यवाही न करे, तो सोचा जा सकता है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, ...

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, हमको भी कभी समय दीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक वक्तव्य रोड़वेज वाला होने वाला था....

श्री उपाध्यक्ष—

5 बजे के बाद ।

१९७२-७३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद—(क्रमागत)

*श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने बजट भाषण पर मुझको बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें शुरू से ही चुनाव की भूमिका रखी है । यह आरम्भ किया कि हम कितने बहुसंख्यक दल के रूप में बिजयी हुये । चुनाव वे कैसे जीते हैं यह तो सभी लोगों के सामने है । एक आदमी सत्ता पर है और एक आदमी सड़क पर चलने वाला है इन दोनों का मुकाबिला एक साथ नहीं हो सकता है । ये चुनाव उसी बीच में हुये । शायद इंदिरा गांधी जी के पहले इस प्रकार की चीज कभी नहीं हुयी होगी कि पार्लियामेंट भंग हो गई परन्तु कैबिनेट चालू रही और उसी बीच में एलेक्शन्स करवा दिये गये । पूरी सरकारी मैशीनरी का खुलकर इस्तेमाल किया गया और फिर चुनाव जीतते हैं तो वह जीत नहीं है । जब हम सत्ताधारी लोग सत्ता में बैठते हैं, अपने दल की सरकार बनाने लगते हैं तो हमको यह भी विचार करना चाहिये कि हमारे मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री किस स्तर के हैं, उनका चरित्र और सामाजिक स्थान कैसे रहे हैं ।

मान्यवर, 1947 में आगरे में अशोक सेन साहब को चीनी, मिट्टी के तेल, सूत आदि की ब्लैकमेलिंग के सिलसिले में बन्द कर दिया गया था और आज वही सज्जन राज्य मंत्री हैं । जो सज्जन ब्लैक मार्केटिंग में बन्द हो चुके हों उनको राज्य मंत्री बनाया जाय । इसी प्रकार से 57-58 में एक ऐसे सज्जन भी थे जो स्मगलिंग के अन्तर्गत बन्द कर दिये गये थे आज ही प्रदेश में उपमंत्री बने हुये हैं । इसी प्रकार से गर्मियों की बात है कि नैनीताल में रायल होटल में एक मंत्री जी गये और वहां पर शराब पी और कैबरे डांस देखा, उसका कपड़ा फाड़ना चाहा लेकिन नहीं फटा तो उसको गोद में बैठा लिया । मान्यवर, इस प्रकार के मंत्री हमारे मंत्रिमंडल में हैं। ऐसा होते हुये क्या देश उन्नति कर सकता है ? क्या इस प्रकार के चरित्र से समाजवाद आ सकता है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मतालबा करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और इन्क्वायरी करवायें । और अगर इस प्रकार के मंत्री हैं तो उनको मंत्रिपद से हटा दिया जाना चाहिये । मान्यवर, दारुलसफा के अन्दर दलाल घूमा करते हैं । वह लोग काम करवाते हैं। सदस्यों के पास गये और उनसे टेलीफोन करवा दिया बीच में जो मिला वह बट गया। ऐसी सरकार मान्यवर, कभी नहीं आई जैसी अभी है। मान्यवर, हमको देखना होगा कि हमारा चरित्र किस प्रकार का है और बिना उसके अच्छा हुये हम अपने देश या प्रदेश का सुधार कभी नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, जो इस प्रकार के नाजायज काम हो रहे हैं उन पर पूरी सख्ती के साथ काबू पाना होगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ खन्ना—]

इसके बाद श्रीमन्, मैं माननीय शर्मा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वह पुनर्वास मंत्री भी हैं और राजस्व मंत्री भी हैं । सन् 47 में यहां पुनर्वास विभाग जब शरणार्थी पंजाब और बंगाल से आये थे तो बनाया गया था । उसके बाद 25 वर्ष हुये इसके कर्मचारियों ने उनको बसा दिया लेकिन खुद आज तक परमानेंट नहीं हो सके हैं । इन कर्मचारियों का रिटायरमेंट नजदीक है लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका भविष्य क्या है । फंड में या पेंशन में कुछ मिलेगा या नहीं । मैं शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें ।

एक बात और कहना चाहता हूं। पुनर्वास विभाग में एक लेखा अनुदान कार्यालय है, उसमें लेखाकार के पद पर एक नियुक्ति की गई है। जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायतें हैं और चार इंक्रीमेंट्स रोके गये हैं उसको वहां रख दिया गया है । विभाग के जो लोग सीनियर थे और जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी उनकी पदोन्नति न करके जिसके खिलाफ शिकायतें हैं उसको रक्खा गया है । ऐसा करना विभाग के साथ अन्याय है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस बात की जांच करवा लें ।

इसके बाद श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अन्दर भी सचिवालय विभाग अलग विभाग है । सचिवालय का इक्जीक्यूटिव से कोई ताल्लुक नहीं रहता है लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यहां का सचिवालय बिलकुल स्वतंत्र बाडी कर दिया जाय जिसका नियंत्रण इक्जीक्यूटिव न करे, आप करें । श्रीमन्, यह ऐसी बाडी है जिसके ऊपर अंकुश आपका ही होना चाहिये ।

श्रीमन्, इसके बाद मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले दिन जब यह भाषण हो रहा था तो उसमें माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि हमने 69 पैसे से बढ़ाकर एक रुपया मेडीकल पर व्यय कर दिया है । लेकिन यह नहीं बतलाया कि यह एक रुपया महीना या वर्ष का है । अगर एक वर्ष में एक मनुष्य पर एक रुपया दवा पर खर्च किया जावेगा तो इससे हालत अच्छी होने वाली नहीं है । इससे हास्पिटल में सुधार होने वाला नहीं है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमन्, कई वर्षों में कई सरकारें बदलीं । पश्चिम के लोगों की एक अपील थी कि हाई कोर्ट की ब्रांच मेरठ में खोल दी जाय । श्रीमन्, सहारनपुर मुजफ्फरनगर से जिस आदमी को हाई कोर्ट में अपील करना होती है तो बहुत खर्च करना पड़ता है । आम आदमी इस खर्च को बरदाश्त नहीं कर पाता है । सभी सरकारों ने इस पर विचार किया है लेकिन निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं । तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि एक ब्रांच इलाहाबाद हाई कोर्ट की मेरठ में खोली जाय जिससे वहां के रहने वालों की परेशानी दूर हो ।

श्रीमन्, शहरी सम्पत्ति के बारे में बिल का जिक्र राज्यपाल जी के भाषण में आया है । मैं इसके पक्ष में हूं लेकिन यदि उत्तर प्रदेश सरकार शहरी सम्पत्ति पर अंकुश लगाना चाहती है तो इसके बारे में रेजोल्यूशन केंद्रीय सरकार को भेज दें कि वह यह तय करें । इसका एक कारण है । यदि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई नियम बनाती है और 2, 3 या 4 लाख की हद मुकर्रर करती है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार का कानून उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा, दूसरी जगहों पर लागू नहीं हो सकता है । अगर मान लीजिये उसकी सम्पत्ति पंजाब, हरियाना या अन्य प्रदेशों में है, तो उस पर यह नियम नहीं लागू होगा । तो श्रीमन्, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आप कानून बनायें लेकिन इसको सेंटर तय करें। आप सेंटर को लिख दें कि आप कानून बनायें ताकि जो अमीर लोग इससे फायदा दूसरे प्रदेशों में उठाना चाहते हैं, वह न हो सके ।

श्रीमन्, इसके बाद मैं सहारनपुर के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे जिल में कोई मेंडिकल कालेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सहारनपुर के अन्दर मेडिकल कालेज खोलने का प्रबन्ध करें। यह मेरी सरकार से अपील है।

सहारनपुर उद्योग का एक बहुत बड़ा सेंटर होने जा रहा है। सहारनपुर छोटी लाइन की तरफ तेजी से बढ रहा है। इसके ऊपर सरकार विचार करे और सहारनपुर को एक इंडस्ट्रियल टाउन डिक्लेयर करे जिससे कि वहां के व्यापारियों को जो वहां पूंजी लगावें और जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोत्साहन मिल सके।

इसके बाद मैं एक चीज पर और निवेदन करना चाहता हूं। सरकार रोडवेज को निगम बनाने जा रही है। तो इसके पहले कि उसको कारपोरेशन बनाया जाय, उसके कर्मचारियों की क्या दिक्कतें है और उन लोगों की क्या मांगे हैं वे क्या चाहते हैं, इन तमाम बातों पर भी सरकार विचार कर ले। यह सब उनके नेताओं को बुलाकर सरकार पूछ ले और उनको संतुष्ट करे कि निगम बनने के बाद भी आपकी सर्विसेज में जो सुविधायें हैं और जिन्हें आप चाहते हैं, वे आपको मिलेंगी क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि निगम बनने के बाद व लोग एक आन्दोलन सरकार के सामने खड़ा कर दें जिससे कि सरकार और जनता को नुक्सान हो। इसलिये उनके नुमाइन्दों को बुला लें निगम बनन के पहले, इस पर पूरी तरह से विचार कर लें कि उनकी क्या मांगे हैं। इसके बाद ही निगम बनाया जाय।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे निगम सरकार बनाने जा रही है। ठीक है सरकार निगम बनाये। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन निगम बनने के बाद जो वे रिपोर्ट दें, उसको कड़ाई से लागू भी किया जाय। उस रिपोर्ट पर पूरी तरह से अमल किया जाय। तभी शायद प्रदेश को इन निगमों से कोई फायदा होगा। अगर सरकार निगम बनाती है तो पूरी कड़ाई से उन चीजों को लागू करे। तभी उससे फायदा होगा नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ये निगम केवल इसलिये न बनाये जायं कि इस सदस्य को उस, सदस्य को जिसको और कोई जगह न मिले, उन निगमों के चेयरमैन बना दिया जाय। जिस विभाग का निगम बनाना हो, उसमें उस विभाग के एक्सपर्टस को जरूर लेना चाहिये। उनकी राय बहुत माने रखती है और उससे काफी लाभ पहुंच सकता है इन विभागों को।

इसके बाद, श्रीमन्, मैं पुलिस विभाग के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। श्रीमन्, पुलिस विभाग की ज्यादतियो को मैं मानता हूं। लेकिन साथ-साथ हमें यह भी देखना होगा कि इस विभाग के अन्दर अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही बहुत-सी बातों में सुधार होना चाहिये। अगर सर्दी का मौसम है तो हमारे मिनिस्टर को दो कोट, और ऊनी चादर और कमीज चाहिये। जब भी कहा जाता है कि बहुत ठंडक हो रही है। लेकिन पुलिस विभाग के कर्मचारियों को जब वे ड्युटी पर होते हैं तो वहीं अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कमीज और नेकर दिया जाता है। उसी वर्दी में उन बेचारों को खड़े रहना पड़ता है डियुटी पर। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करे और उन्हें जाड़े के दिनों में उचित वर्दी दी जाय ताकि वे अपनी ड्युटी का ठीक तरह से निर्वाह कर सकें।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज गांव में चोरी, डकैती, कत्ल आदि की घटनायें दिनो दिन बढ़ती जाती हैं। किन्तु गांव में थानों के अन्दर कोई जीप नहीं दी जाती। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक थाने में एक जीप अवश्य होनी चाहिये।

पुलिस के बड़े छोटे कर्मचारी हैं। उनका आप ट्रान्सफर तो कर देते हैं लेकिन जब वह बेचारे दूसरी जगह जाते हैं तो उसे मकान 30–40 रुपये से कम नहीं मिलता। इसलिये सरकार को उनके लिये क्वार्ट्र्स बनाने चाहिये आप काम के लिये तो उन पर सख्ती करें, लेकिन जो आवश्यक सुविधायें उन्हें चाहिये, उनको प्रदान करें।

[श्री जगन्नाथ खन्ना—]

सरकार ने तय किया है कि वह ग्राम विकास के नाम पर कोई टैक्स लगाने जा रही है मगर हमें यह नहीं बताया गया कि वह टैक्स किन पर लगेगा, कितने एकड़ जोत वालों पर लगेगा। आज केन्द्रीय सरकार ने वैसे ही तमाम टैक्स किसानों पर लाद रखे हैं, उनकी खाद पर टैक्स बढ़ा दिया है, बीड़ी पर बढ़ा दिया है, मिट्टी के तेल पर बढ़ा दिया है, कपड़े पर बढ़ा दिया है, औजारों पर बढ़ा दिया है और आगे आप यह अपना टैक्स लगाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब माननीय वित्त मंत्री जी अपना भाषण दें तो इतना अवश्य स्पष्ट करें कि वह टैक्स किन पर लगाया, जायेगा किन पर नहीं लगेगा। अगर कहीं छोटे किसानों पर भी यह टैक्स लादा गया तो जो आपने लगान माफ किया था उसका क्या लाभ उनको होगा।

मान्यवर, प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की हालत में बड़ी खरारबी होती जा रही है। अगर सरकार ने विशेष ध्यान न दिया तो 10–15 साल में वह हालत भी आ जायगी कि लोगों की जेब से चलते हुए नोट निकाल लिये जायेगें।

सरकार राष्ट्रीयकरण करने पर बड़ा जोर दे रही है। मैं उसके पक्ष में हूं, मगर उससे एक गरीब मजदूर को क्या लाभ पहुंच रहा है इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। गरीब मजदूर को उससे आज कोई लाभ नहीं पहुंचा। आप अगर राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो मजदूर को भी भागीदार बनाइये। तभी वह मेहनत से काम करेगा और अपने काम में रुचि लेगा और मजदूर का विकास हो सकेगा।

अंत में मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि मैंने जो सुझाव दिया है उन पर सरकार ध्यान देने की कृपा करें। ऐसे मंत्रियों पर जो शराब पीते हैं, चोर बाजारी करते हैं, उनको रखने पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी को विचार करना चाहियें। इन शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने का समय दिया है, उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में केन्द्रीय वेतन मण्डल की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में वक्तव्य—(क्रमागत)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

हम लोगो ने श्रीमान्, उस पर चर्चा की मांग की थी, किन्तु आपने केवल बक्तव्य के लिये उसे रखा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह रोडवेज के हजारों कर्मचारियों से सम्बन्धित विषय है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न इस पर कर सकेंगे, जो आवश्यक है।

परिवहन उप मंत्री (श्री आबिद अली)—

परिवहन उद्योग से संबंधित केन्द्रीय वेतन मण्डल की संस्तुतियां भारत भारत सरकार ने 2 फरवरी, 1970 को राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजी। वेतन मण्डल ने इस उद्योग में सेवारत कर्मचारियों के वेतनमान, मंहगाई-भत्ता, आवास भत्ता, ग्रेच्युटी आदि के बारे में संस्तुति की है। इस पर बिचार करने के पश्चात् राज्य की परिस्थियों के अनुसार समयायोयजित करते हुये राज्य सरकार ने इस संस्तुतियों को रोडवेज संस्थान में 1 अपैल, 1971 से लागू करने का निश्चय किया और तत्संबंधी राजाज्ञा 22 फरवरी, 1972 को प्रसारित हुई।

इस बीच राज्य सरकार ने राज्य की सेवा श्रेणीयों के वेतन मान तथा अन्य परिलब्धियों के बारे में विचार करने के लिये सैय्यद अली जहीर की अध्यक्षता में एक वेतन आयोग गठित किया। रोडवेज कर्मचारियों की ओर से एक मुख्य मांग आई कि उनकी सेवा शर्तों और परिलब्धियों को भी वेतन आयोग के विचारणीय विषय में सम्मिलित

किया जाय, और जब तक आयोग की संस्तुतियां उपलब्ध न हो जायं तब तक केंद्रीय वेतन मंडल की संस्तुतियों पर आधारित निर्णय लागू न किया जाय । मुख्यतः इसी मांग पर कर्मचारियों के एक संगठन ने अप्रैल 11 से हड़ताल पर भी जाने का नोटिस दिया था । यद्यपि कर्मचारियों के एक दूसरे संगठन ने यह मांग की है कि यदि केंद्रीय वेतन मंडल की संस्तुतियों पर आधारित जो राजाज्ञा प्रसारित की गई है, तात्कालित प्रभाव से न लागू की जायेगी तो वे 20 अप्रैल, 1972 से हड़ताल करेंगे, फिर भी राज्य सरकार ने केंद्रीय वेतन मंडल की संस्तुतियों पर आधारित परिलब्धियों के बारे में कर्मचारियों को विकल्प देने तथा इनके लागू करने की बात तब तक के लिये बढ़ा दी है जब तक कि राज्य के वेतन आयोग की संस्तुतियां उपलब्ध नहीं हो जातीं । उस समय रोडवेज कर्मचारियों के सामने राज्य वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित जैसा कि शासन द्वारा माना गया होगा, परिलब्धियां और केंद्रीय वेतन मंडल की संस्तुतियों पर आधारित परिलब्धियां दोनों ही सामने होंगी और कर्मचारियों में बहुसंख्यक दोनों के बीच जो चयन करना चाहेंगे कर सकेंगे । इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है और अप्रैल 11 से हड़ताल की बात समाप्त हो गई है ।

कुछ सदस्यों ने राजकीय रोडवेज को प्रति स्थानित करने के लिये प्रस्तावित निगम की स्थापना के बारे में चर्चा की है। शासन ने निगम की स्थापना करने का निर्णय मुख्यतः इस कारण किया है कि इसकी स्थापना के बाद केंद्रीय सरकार से पूंजी अंशदान, केंद्रीय वित्तीय संस्थानों से तथा खुले बाजार से ऋण प्राप्त करने के द्वार खुल जायेंगे और बढ़ती हुयी मांगों के अनुकूल रोडवेज समुचित सुविधा जन साधाण को पहुंचाने में समर्थ हो सकेगी । इस समय सीमित साधनों के कारण यात्रियों की सुविधाओ को उस मात्रा में विभाग सुलभ नहीं कर पा रहा है जितना अपेक्षित है । जहां तक निगम में हस्तांतरित होने पर कर्मचारियों की सेवा शर्तों का संबंध है निगम केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट के अन्तर्गत स्थापित होगा, इस अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत निगम सेवा शर्तों के बारे में रेगुलेशन बनायेगा, किन्तु यह रेगुलेशन तभी लागू होंगे जब राज्य सरकार उसे अनुमोदित कर देगी । जब तक इन रेगुलेशनों का अंतिम रूप नहीं हो जाता तब तक निगम के बनने पर सभी कर्मचारियों को सैद्धांतिकतः प्रतिनियुक्ति पर माना जायगा । कारपोरेशन के बनने पर कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव न होगा । इस संबंध में रोडवेज कर्मचारियों के बीच जो भ्रामक विचार प्रसारित कर उनमें असंतोष जागृत किया जा रहा था, उनका निराकरण इस संबंध में स्पष्टीकरण देकर कर दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह जो कर्मचारियों के साथ फैसला हुआ है और जिस कारण उन्होंने अपनी हड़ताल को स्थगित किया है वह क्या हैं, उस फैसले के मुख्य-मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बलरामसिंह यादव)—

5 आश्वासन थे—

1—रोडवेज कर्मचारियों के वेतन, अन्य परिलब्धियों तथा सेवा शर्तों का मामला, अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति उत्तर प्रदेश वेतन आयोग के विचारणीय विषयों में सम्मिलित किया जायगा । आयोग की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृति अन्तरिम सहायता रोडवेज कर्मचारियों को भी मिलेगी ।

2—रोडवेज संस्थान में सड़क परिवहन उद्योग से संबंधित केंद्रीय वेतन मंडल की संस्तुतियों को जैसा कि शासन द्वारा मानी गई हैं, तब तक लागू न किया जायगा जब तक वेतन आयोग की संस्तुतियां उपलब्ध न होंगी ।

[श्री बलराम सिंह यादव, श्री]

3—रोडवेज कर्मचारियों की अवकाश संबंधी मांगों पर शासन के स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जायगा।

4—कर्मचारियों की आशंकाओं का निराकरण करते हुये यह आश्वासन दिया गया कि प्रस्तावित राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना के कारण निगम द्वारा कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी ।

5—रोडवेज संस्थान का कोई कर्मचारी जिसने 1 जनवरी, 1972 को न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, निर्धारित विभागीय परीक्षा में असफल होने के कारण निकाला नहीं जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि जो केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश हैं उसमें और जो मौजूदा वेतनक्रम है सरकार के कर्मचारियों का, इसमें कोई अन्तर है ? अगर है तो वह क्या है और उसे दूर करने का प्रयास कैसे कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो केंद्रीय वेतन मंडल की सिफारिशें हैं उसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो एडवर्सली अफेक्ट हो रही हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको वेतन मंडल की सिफारिश लागू करने से लाभ होगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उनके विभाग में तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा विधि के सामान्य नियम नहीं हैं ? यदि नहीं हैं, तो बनायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नया सवाल है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, वह नियम है ही नहीं और आप कहते है कि निगम बनायेगा ?

श्री बलरामसिंह यादव—

इसके लिये मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि जो भी कर्मचारी होंगे चाहे वह चतुर्थ श्रेणी के हों, या तीसरी श्रेणी के हों, परिवहन निगम बनने के बाद उनके रूल्स इत्यादि बनेंगे और हमने इस बुनियाद पर यह आश्वासन दिया है कर्मचारियों आदि के जो नियम आदि बनेंगे वह राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिये आयेंगे तो हम भी उनको देखेंगे और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि उनके नियम बनाये जायेंगे और बेहतर बनाये जायेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय कल्पनाथ सिंह ने पूछा था कि केंद्रीय वेतन मंडल की संस्तुतियों के हिसाब से परिलब्धियां मिलेंगी और जो वर्तमान है, उसमें क्या अन्तर है ? उसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा और कुछ को श्रेणी का फायदा होगा । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन कर्मचारियों को फायदा होने वाला है और किन-किन को नुक्सान होगा? इसीलिये कह रहा था कि जरा इस पर बहस का लम्बा टाइम मिलना चाहिये ।

(श्री बलराम सिंह यादव फाइल में विवरण ढूंढने लगे ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

दूसरा सवाल पूछ लें, वह ढूंढ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इससे भ्रम पैदा कर देंगे ।

श्री बलराम सिंह यादव—

मैं उत्तर दे रहा हूं । ये जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं तथा क्लीनर आदि इनको फायदा होगा और दूसरे ड्राइवर्स को फायदा होगा लेकिन जो कंडक्टर्स, बुकिंग क्लर्क तथा असिस्टेंट इंचार्ज हैं, उनको नुकसान होगा ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या कारण है कि जो मान्यता प्राप्त यूनियन है उसके पदाधिकारियों को मंत्री महोदय ने नहीं बुलाया जब कि उसने हड़ताल का नोटिस दे रखा है और जो मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, उसके महामंत्री तथा पदाधिकारियों को बुलाया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

दुर्भाग्य से परिवहन विभाग में तीन यूनियन हैं । एक यूनियन रिकग्नाइज्ड है, दूसरी नहीं है । उसने पहले से नोटिस दे रखा था हड़ताल का । रिकग्नाइज्ड यूनियन को भी बुलाया गया है, मेरी बातचीत उसके पदाधिकारियों से आवश्यकता होने पर होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पहले फैसले के अनुसार जो अवकाश नहीं दिया गया था उसको सरकार कब से रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर देंगी ताकि कर्मचारियों का अवकाश समाप्त न हो जाय और उनके वेतन में भी कटौती न हो ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उसके बारे में फैसला नहीं हो सका है । आगे चल कर इस संबंध में विचार किया जायगा ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

ड्राइवर्स तथा कुछ कर्मचारियों को लाभ होगा तो कितना धन इन कर्मचारियों को देने में व्यय होगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

62 लाख रुपया अधिक देना होगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जो रिकग्नाइज्ड यूनियन है उसने अब तक भी नोटिस दे रखा है और उसमें बड़ा असंतोष व्याप्त है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उनका नोटिस है और उस पर भी हम शीघ्र विचार करेंगे ।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

कंडक्टर की पदोन्नति होने पर वह जूनियर बुकिंग क्लर्क हो जायगा लेकिन उसको कोई लाभ नहीं होगा तो ऐसी पदोन्नति से क्या अभिप्राय है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो असंगतियां इस तरह की वेज बोर्ड की सिफारिशों को इम्प्लिमेंट करने में हैं उनको दूर किया जायगा और इसके लिये एक हाई पावर कमेटी नियुक्त की जायगी जो इन सारी असंगतियों को दूर करने का प्रयास करेगी ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

स्टेटमेंट में संस्तुतियों को 1 अप्रैल, 70 से लागू करने की बात कही गयी है लेकिन उनको 1 अप्रैल, 71 में लागू किया गया, तो साल भर बाद उनको क्यों लागू किया गया ? और क्या उनको रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

एक साल पहले निर्णय नहीं हुआ था, निर्णय अब हुआ है और हम उसको 1 साल पहले से रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट दे कर लागू कर रहे हैं ।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

अभी बतलाया गया कि बुकिंग क्लर्क, कंडक्टर को तनख्वाह कम मिलेगी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व ड्राइवर्स को अधिक मिलेगी जिससे 62 लाख अधिक देना होगा लेकिन जिनको कम मिलेगी उन कर्मचारियों की संख्या क्या होगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, करीब 10 हजार 9 सौ एम्प्लाइज ऐडवर्सली अफेक्टेड होंगे, जिनको फायदा होगा वह करीब 15 हजार 3 सौ हैं ।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जैसा कि वक्तव्य में बताया है, निगम की स्थापना मुख्यतया इस कारण से की जा रही है कि भारत सरकार कुछ पैसा देगी और खुले बाजार से हम कर्जा ले सकेंगे, क्या केवल यही कारण है कि भारत सरकार पैसा देगी और खुले बाजार में टाटा बिड़ला से कर्जा ले सकेंगे या और भी कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

समय-समय पर मैंने सदन में इस बात की घोषणा की है कि चूंकि हमारे साधन सीमित हैं, हम तेजी से नैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, हम तेजी से बस सेवाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, चारों तरफ से मांग आती है कि रूट्स पर बसेज नहीं हैं उनकी पूर्ति के लिये, सुविधादायक बस स्टेशनों को, बस सेंटर्स को बनाने के लिये यह कदम उठाया गया है । इसमें यही नहीं कि कर्ज लेंगे, बल्कि हम सुविधाएं भी देंगे ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

मंत्री जी ने कहा कि एक हाई पावर कमेटी बनायेंगे, वह कमेटी बन गई है या नहीं, बनी है । तो कौन से सदस्य होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

बनाएंगे ।

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, बनाएंगे ।

श्री चन्द्रप्रताप नारायण सिंह--

हाई पावर कमेटी जो बनती है उसमें सरकार के आई० ए० एस० आफिसर्स रहते हैं। क्या इस कमेटी में अन्य लोगों को भी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सरकारी अधिकारी तो रहेंगे ही। सरकारी अधिकारी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे और उनकी बात सुनेंगे। जो माननीय सदस्य ने असरकारी लोगों को सदस्य बनाने के लिए कहा है इस प्रश्न पर विचार कर लिया जायगा।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यह ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन स्टैटुटरी बनाएंगे, और इस सम्बन्ध में सदन में बिल पेश करेंगे या सरकारी आदेशों से ही बनाने जा रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कारपोरेशन बनाना तय हो गया है इसके लिये बिल पेश करने की आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन वगैरह हो गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस वक्तव्य में स्वीकार किया गया है कि वेतन मंडल की संस्तुतियों को सरकार ने मान लिया है और कर्मचारियों से कहा है कि अगर विकल्प के रूप में स्वीकार करें तो अपनी रजामंदी दे दें। जिन कर्मचारियों ने इसको स्वीकार कर लिया है उनको राहत देने में क्यों विलम्ब कर रहे हैं इसका क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस मामले पर अभी कंट्रोवसी चल रही है। अभी यह नहीं मालूम है कि कितने लोगों ने ऐक्सेप्ट कर लिया है।

श्री रामलाल भाई--

जो कमेटी सरकारी कर्मचारियों के हित में बनाने जा रहे हैं। उसका चेयरमैन रामबहादुर सक्सेना, ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर को बनाने का इरादा तो नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो निगेटिव सवाल है। यह कैसे कहें कि नहीं बनायेंगे। यह पूछिये किसको बनायेंगे।

श्री रामलाल भाई--

हो सकता है कि कहीं यह गलती न कर बैठें। इसलिए मैंने पहले पूछ लिया, इसका आश्वासन दे दें।

श्री बलराम सिंह यादव--

अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं हुआ है। माननीय सदस्य को मैं क्या आश्वासन दे दूं।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)--

मन्त्री जी ने कहा कि बसें कम हैं इस वजह से कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं, जब बसेज की कमी है तो पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली को बसेज भेजने का क्या कारण था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह तो ऐसा प्रश्न कर दिया वैसे बंगला देश के रिफ्यूजी हमारे देश में आये थे तो कहा गया कि रिफ्यूजीज को अपने देश में क्यों रख लिया। वहां स्ट्राइक हो गयी थी। वहां क्राइसिस आ गयी थी। दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे और अन्य राज्यों से बसेज को मांगी था। हम ने हेल्प कर दिया। इस में कौन सी ऐसी बात है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो निगम आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए आप कोई रिजोल्यूशन लायेंगे ? तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप कब से इसे लागू करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि कोई बिल नहीं आयेगा। आदेश होगा।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, शीघ्र ही लागू कर दिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने उठाया था उसमें माननीय मन्त्री जी ने बड़ा गोलमोल जवाब दिया है उसके सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि जब राज्य वेतन आयोगा की सिफारिशें आ जायगी और जो केन्द्रीय वेज बोर्ड की सिफारिशें आयी हैं उनको आप सामने रखेंगे और उसके अनुसार चयन करेंगे तो इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि सारे कर्मचारियों में मेजोरिटी जो होगी उसके अनुसार स्वीकार करेंगे या प्रत्येक कर्मचारी को आप्शन देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्रीमन्, आप्शन दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इस के बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
10 अप्रैल, 1972।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 388 पर) ।

तालिका

क्रम-सं०	भट्ठे का नाम एवं पता	भट्ठे कब से चल रहे हैं	प्रत्येक भट्ठे द्वारा 31 मार्च, 1972 तक दी गयी बिक्री-कर की धनराशि	प्रत्येक भट्ठे के ऊपर बिक्री-कर का बकाया 31-3-72 तक
1	2	3	4	5
	सर्वश्री—		रु०	रु०
1	राजनीति सिंह रामबृक्ष सिंह, बेलबा खुर्द	1965–66 से	8,743	17,742
2	राजबाली राम शिवनारायन चौरा-चौरी	1970–71 से	755	शून्य
3	राजेन्द्र सिंह, करमहा ..	1970–71 से	210	1,400
4	रबिन्द्र कुमार, डोमरी खुर्द ..	1967–68– से	शून्य	5,600
5	गोयल ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, धर्मशाला	15–10–1964 से	21,986	शून्य
6	घनश्याम दासा मोतीराम अड्डा ..	1–4–1966 से	18,255	1,810
7	गनेश प्रसाद ओझा, आमकोल ..	1–7–1966 से	20,944	शून्य
8	लाल चन्द ईंट भट्ठा, गुलरिहा ..	1968–69 से	13,608	शून्य
9	केदार नाथ डुबौली ..	1968–69 से	3,984	शून्य
10	खेमचन्द ईंट भट्ठा, माउमुर ..	1970–71 से	1,670	शून्य
11	अशोक कुमार सिक्टौर ..	1968-69 से	3,939	शून्य
12	अग्रवाल ब्रिक्स सप्लाई कम्पनी, कुसमी बाजार ..	1966–67 से	20,552	2,343
13	ओची राम, झंगहा ..	1962–63 से	47,114	शून्य
14	तमेसर प्रसाद, डोमरी खास ..	1967–68 से	12,743	शून्य
15	अवधेशप्रसाद दुबे, ब्रन्हपुर ..	1961–62 से	25,714	1,326
16	आनन्द प्रसाद दुबे ऐन्ड सन्स लखन प्रसाद द्विवेदी, ब्रह्मपुर	1967-68 से	शून्य	4,200
17	गोबिन्द राम ऐन्ड कम्पनी, सरया	1962–63 से	85,231	6,875
18	जियालु दास प्रताप सिंह, जयशंकर	1964–65 से	76,917	17,020
19	गोपीचन्द अग्रवाल, बलुवा ..	1968–69 से	4,907	2,780
20	बलराम दास अग्रवाल, कुसमी ..	1966–67 से	6,286	4,197
		योग ..	3,73,558	65,293

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 395 पर)

श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा जिला जेल, मैनपुरी की निरीक्षण पंजिका में दिनांक 9 दिसम्बर, 1971 को लिखी गयी आख्या का संक्षिप्त विवरण।

1—चिकित्सालय में मरीज बन्दियों के कपड़े और बिस्तर इत्यादि गन्दे थे।

2—मरीजों को दवायें नहीं दी जातीं।

3—एक टी० बी० के मरीज का बेड अन्य बन्दी मरीजों के साथ था जिससे संक्रमण की सम्भावना थी।

4—बन्दियों के प्रयोग के लिए दिये गये खाने के तेल तथा साबुन इत्यादि का प्रयोग डाक्टर स्वयं अपने लिए करते हैं।

5—डाक्टर, श्री एस० एन० श्रीवास्तव, सदैव अपनी निजी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं।

6—जेल का सामान्य प्रशासन अच्छा पाया गया।

शिकायतों पर की गई कार्यवाही

शिकायतों के सम्बन्ध में चिकित्सक का स्पष्टीकरण मांगा गया। उनके स्पष्टीकरण के बाद जो स्थिति विभिन्न शिकायतों के सम्बन्ध में सामने आयी वह निम्न प्रकार है:—

(1) मरीज बन्दियों के बिस्तर, कपड़े की गन्दगी के बारे में यह कहना है कि जेल की मुख्य दीवार टूट जाने के कारण चिकित्सालय को एक कच्ची बैरिक में लाना पड़ा। इस कारण कपड़े तथा बिस्तर इत्यादि जल्दी गन्दे हो जाते हैं। मरीज बन्दियों के कपड़े, बिस्तर इत्यादि प्रत्येक सोमवार को बदले जाते हैं।

(2) बन्दी मरीजों को दवायें आवश्यकतानुसार दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में कभी कोई शिकायत नहीं की गयी।

(3) टी० बी० मरीज के लिए अलग कोई व्यवस्था नहीं है। वह उसी वार्ड में अलग एक किनारे रखे जाते हैं। निरीक्षण के दिन जो मरीज अस्पताल में था वह संक्रामक नहीं था।

(4) यह सही नहीं है कि बन्दियों को मिलने वाला कड़वा तेल, साबुन इत्यादि डाक्टर अपने निजी इस्तेमाल में लाते हैं।

(5) यह ठीक नहीं पाया गया कि डाक्टर निजी प्रैक्टिस करते हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 395 पर)।

उन्नाव जिले के उन ग्रामों की सूची जो कि 1972–73 में विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लिये गये हैं, निम्नलिखित हैं :—

1—बछोरा
2—अमोली
3—कुदरा
4—पारा
5—सन्दना
6—मबई
7—गुलरिहा
8—गरदमपुर
9—अर्वारी
10—बिहार
11—कहरा निधान खेड़ा
12—सक्का खास
13—करनईपुर
14—अकबरपुर
15—सगवार
16—रायपुर
17—ऊंचगांव
18—अटका
19—जय गांव किला
20—अरगांव वाला खेड़ा
21—बेहटा
22—अबकरिया
23—ईगमानी
24—बेहटा (मकई के पास)
25—फटारी कलां
26—बटारी खुर्द
27—तरगांव
28—सिकन्दरपुर
29—कुसुम्बी
30—भौजी
31—लालपुर
32—नौवतगंज
33—आदमपुर बरैठी
34—बीरसिंह पुर
35—माणी
38—कोरारी कलां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 399 पर)।

1 जनवरी, 1970 से 20 फरवरी, 1972 तक भट्ठे वालों को दिये गये कोयले की सूची

क्रमांक	भट्ठा मालिक का नाम	कोयला देने का माह	दी गयी कोयले की मात्रा
			बाक्स वैगन
1	मे० मिजाबीलाल ऐण्ड कं०, मैनपुरी ..	अप्रैल, 1971	1
		सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	4
2	,, रघुबीर सहाय, राजबहादुर भटनागर, मैनपुरी	अप्रैल, 1971	1
		सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		योग ..	3
3	,, छैलबिहारीलाल, निरंजनलाल, शिकोहाबाद	अप्रैल, 1971	1
		मई, 1971	1
		सितम्बर, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	4
4	,, जगदम्बा प्रसाद, दीपचन्द, मैनपुरी ..	मई, 1971	1
		सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	4
5	,, अटल बिहारी लाल, कुरावली ..	सितम्बर, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	2

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
		बाक्स बैगन	
6	मे० भीमसेन, सिरसागंज ..	मई, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971 ..	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	4
7	,, दुर्ग विजय सिंह, चेमरई	अप्रैल, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972 ..	1
		योग ..	3
8	,, लक्ष्मी प्रसाद कौडरिया, घिरोर ..	अप्रैल, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971 ..	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	4
9	,, जीवनदास अतरचन्द्र, करहल ..	अप्रैल, 1971 ..	1
		मई, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971 ..	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	5
10	,, श्रीराम आहूजा, शिकोहाबाद ..	अप्रैल, 1971 ..	1
		मई, 1971 ..	1
		अक्तूबर, 1971 ..	1
		दिसम्बर, 1971	1
		योग ..	4

उत्तर प्रदेश सरकार

1	2	3	4
			बाक्स बैगन
11	मे० द्विगविजयसिंह रमेशचन्द्र, जोगा भोगांव ..	अप्रैल, 1971 ..	1
		मई, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971 ..	1
		जनवरी, 1972 ..	1
		फरवरी, 1972 ..	1
		योग ..	6
12	,, सियारामसिंह भदारिया, संसारपुर ..	सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		योग, ..	2
13	,, जय प्रकाश, कल्हौर	मई, 1971 ..	1
		अप्रैल, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		योग ..	4
14	,, भटनागर एण्ड कं०, बैबर	अप्रल, 1971 ..	1
		मई, 1971 ..	1
		अक्तूबर, 1971	1
		योग ..	3
15	,, वीरेन्द्र पाल सिंह, मैनपुरी	अप्रैल, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	3
16	,, अमर सिंह भदौरिया, अशोकपुर ..	सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		योग ..	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
			बाक्स वेगन
17	मे० श्याम गोपाल सिरसागंज ..	.. मई, 1971 ..	1
		.. सितम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	3
18	,, भगवानदास बाबवानी, करहल	..	
19	,, हरभगवान सेठ, मीठेपुर ..	.. अप्रैल, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		योग ..	3
20	,, सुरेश ऐण्ड कं० सेवड़ा ..	.. अप्रैल, 1971 ..	1
		मई, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		योग ..	3
21	,, रमेश चन्द्र चतुर्वेदी, धरमगंदपुर	.. मई, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		योग ..	2
22	,, सरनाम सिंह, कुरावली ..	.. सितम्बर, 1971	1
23	,, ओम प्रकाश पालीवाल, कुसमरा	.. अप्रैल, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	3
24	,, सियाराम महोलीखेड़ा ..	.. अप्रैल, 1971 ..	1
		सितम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	3
25	,, रामसिंह प्रधान, मल्लाई	.. सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		योग ..	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
			बाक्स वैगन
26	मे० मिजाजीलाल प्रदीपकुमार, जसराना ..	अप्रैल, 1971	1
		सितम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	3
27	,, फूलसिंह, अलीपुर मोहनीपुर ..	अप्रैल, 1971	1
		सितम्बर, 1971	2
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	4
28	,, सहजलपुर भट्ठा ईंट, सहजलपुर ..	सितम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	2
29	,, सुधाकर ऐण्ड कं०, सिंहपुर ..	सितम्बर, 1971	1
30	,, जसरामसिंह, घिरोर	सितम्बर, 1971	1
31	,, राजेंद्र प्रताप अग्रवाल, शिकोहाबाद ..	सितम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	2
32	,, पंजाब ब्रिक वर्क्स, करहल	सितम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	2
33	,, मारग श्री देवी, जसराना	अप्रैल, 1971	1
34	,, रघुवीर सिंह, जगभुवी	अप्रैल, 1971	2
35	,, भोलानाथ सुरेन्द्र कुमार, अलुवा ..	सितम्बर, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		योग ..	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
			बाक्स वेगन
36	मे0 सुरेन्द्र दत्त पालीवाल, बिछवां ..	अप्रैल, 1971	1
		मई, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		योग ..	3
37	,, बृजमोहन लाल सर्राफ, सिरसागंज ..	अप्रैल, 1971	1
		मई, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	14
38	,, महेशचन्द्र गुप्ता, खिदरपुर ..	अप्रैल, 1971	1
39	,, बच्चन लाल ऐंड सन्स, छाछा ..	अप्रैल, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	2
40	,, इतवारी लाल गुप्ता, धारऊ ..	अप्रैल, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		योग ..	2
41	,, जसकरनसिंह देव प्रकाश, उम्हेरा ..	अप्रैल, 1971	1
		मई, 1971	1
		योग ..	2
42	,, जगदीश लाल आहूजा, शिकोहाबाद ..	अप्रैल, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	3
43	,, सत्यपाल अवरोल, जसराना ..	अप्रैल, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1971	1
		योग ..	3

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
			बाक्स वैगन
44	मे० बाबू सिंह, फतेहपुरगनी ,, ..	मई, 1971	1
45	,, मथुराप्रसाद लालाराम, शाहजहांपुर ..	मई, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	3
46	,, त्रिवेनी सहाय रामग्रौतार, कुरावली ..	मई, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	2
47	,, जनहितकारी संस्थान, पाढ़म ..	मई, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	3
48	,, परशराम, भोगांव	मई, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	3
49	,, ओंकार सिंह, शंकरलाल, नगला बल्ल ..	मई, 1971	1
50	,, रामसेवक हरीओम, सिरसांगंज ..	मई, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	3
51	,, कुजीलाल मुन्नालाल, खरपरी ..	मई, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	3

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
			बाक्स वैगन
52	मे० उमाकान्त शिवपाल, मैनपुरी	मई, 1971	1
		अक्तूबर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	3
53	,, बलवीरसिंह, हरदयाल सिंह, पढ़त ..	अक्तूबर, 1971	1
54	,, रामेश्वर दयाल, कुरावली ..	अक्तूबर, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	2
55	,, सियाराम दुबे, करहल	अक्तूबर, 1971	1
		नवम्बर, 1971	1
		योग ..	2
56	,, दया नन्द व्यास, छाछा	नवम्बर, 1971	1
57	,, सुन्दर लाल, अरसाल	नवम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	2
58	,, दिलीपसिंह, अरुणकुमार, शिकोहाबाद ..	नवम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	2
59	,, प्रभूदयाल, गोविन्द नरायन, करहल ..	नवम्बर, 1971	1 केवल
60	,, भवनसिंह, रघुवीरसिंह, सोवरा ..	नवम्बर, 1971	1
		जनवरी, 1972	1
		योग ..	2
61	,, बाधू राम पालीवाल, कुसमरा ..	जनवरी, 1972	1 केवल
62	,, राम भरोसे सिंह, बीलों	जनवरी, 1972	1
63	,, गुप्ता ट्रेडर्स मैनपुरी	जनवरी, 1972	1
64	,, उजागर लाल, कैंचूला	जनवरी, 1972	1
65	,, राम प्रकाश सिंह, रामसेवक, मोहनपुर ..	जनवरी, 1972	1
66	,, सन्तोषकुमार, असुलकुमार, शिकोहाबाद ..	जनवरी, 1972	1

पी० एस० यू०पी—ए० पी० 33 एल०ए०—1973—845।

उत्तर प्रदेश विधान सभा